राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 सोलहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का सत्ताईसवां दिवस संख्या 16

सोमवार,
29 जुलाई 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी,अध्यक्ष,पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। श्री श्रीचन्द कृपलानी।

निम्बाहेड़ा के रीको औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार

264. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार निम्बाहेड़ा के रीको औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करने का विचार रखती है? यदि हां तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): निम्बाहेड़ा में विकसित औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। निम्बाहेड़ा के किसी उद्यमी अथवा औद्योगिक समूहों व संस्थान द्वारा वर्तमान में निम्बाहेड़ा के औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की मांग नहीं की गयी है। नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना अथवा पुराने औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के सम्बन्ध में उद्यमियों की मांग, श्रम एवं कच्चे माल की उपलब्धता तथा उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि निम्बाहेड़ा में लाइमस्टोन की बहुत बड़ी तादाद में माइन्स हैं। खनिज का जो पत्थर निकलता है, उससे फर्शी बनती है। उसके अलावा, सीमेंट उद्योग भी वहां बहुत हैं। निम्बाहेड़ा का पत्थर गुजरात, दक्षिण भारत और हिन्दुस्तान के विभिन्न राज्यों में जाता है। निम्बाहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र पिछले काफी समय से 16.50 करोड़ की तो सरकार को रॉयल्टी दे रहा है, प्रतिवर्ष जीएसटी भी 15 करोड़ के आसपास दिया

जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ इस बात की है, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन कर रहा था...

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): प्रश्न भी पूछ रहा हूं साहब।

श्री अध्यक्षः निवेदन तो बाद में कर लीजियेगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं प्रश्न भी पूछ लेता हूं साथ में। 45 साल पहले जब इंडस्ट्रियल एरिया बना था, उसके बाद आज तक उसका कहीं विस्तार नहीं हुआ। निजी लोग जो हैं, भू-माफिया हैं, वे काट-काटकर औद्योगिक प्लॉट बेच रहे हैं, यह चल रहा है। क्यों न रीको इस पर विचार करे, क्योंकि जब 1980 में जब रीको की स्थापना की गयी थी...

श्री अध्यक्षः आप तो प्रश्न पूछें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): प्रश्न ही पूछ रहा हूं, साहब। 122 एकड़ भूमि पर आपने प्लॉट आवण्टित किये थे। क्या सरकार 45 साल बाद वर्तमान में किसी नये उद्योग को नये स्थान की जांच कराकर नया इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का विचार रखती है?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि चित्तौड़गढ़ का जो एरिया है, उसमें बहुत क्षमता है, बहुत पोटैंशियल है। यह बात भी सही है कि वहां 1985 में औद्योगिक क्षेत्र बना था और आज की तारीख में वहां चार उप-खण्ड के भू-खण्ड के अलावा कोई उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, जैसे मैंने अपने प्रश्न का उत्तर भी दिया है, हमारे पास कोई डिमांड नहीं आयी है। हम डिमांड बेस्ड काम करते हैं। डिमांड भी होनी चाहिये। वहां पर रॉ मैटेरियल भी होना चाहिये, जो कि है।

मैं माननीय सदस्य से एक आग्रह करना चाहूंगा कि हमें अभी जो उस क्षेत्र की रिपोर्ट मिली हुई है, वह यह है कि तकरीबन 10 हैक्टेयर राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं है वहां पर। आपके सहयोग से वहां पर काम करेंगे। अगर डिमांड आयेगी, जमीन की उपलब्धता होगी, हम जरूर इसे करवाएंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न यह है कि शायद आपके पास डिमांड आयी हो या नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले कई वर्षों में मेरे पास जो ज्ञापन आये, उनकी कॉपियां भी पड़ी हैं। कई लोगों ने, जो इंडस्ट्रियल एरिया की संस्थाएं हैं, जो यूनियनें बनी हुई हैं, उन्होंने डिमांड की है। आप कहेंगे तो मैं आपको डिमांड भी दे दूंगा।

श्री अध्यक्षः आप इन्हें डिमांड्स भेज दें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मेरा निवेदन है कि सिर्फ निम्बाहेड़ा ही नहीं, राजस्थान में भी ऐसे कई नये रीको एरियाज डवलप करने की जरूरत है, क्योंकि जो निजी कॉलोनाइजर्स हैं, वे इसका धन्धा करके पैसा कमा रहे हैं। ऐसे में क्यों न सरकार भी कमाये? क्या आप ऐसा विचार रखते हैं?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): आपने निजी कम्पनियों की बात की, वह एक

मुकाबले वाली बात है। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, निजी कम्पनियां भी आएं, लेकिन हम भी उस मुकाबले में पूरी तरह से उतरने को तैयार हैं। मैंने एक जो आग्रह किया था, माननीय सदस्य के सहयोग के लिए, जमीन की उपलब्धता और देख लें, हम उसमें जरूर आगे काम करेंगे।

श्री अध्यक्षः श्री मनोज कुमार।

अन्य राज्यों की आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को आरक्षण

265. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार अन्य राज्यों में आरक्षित श्रेणी में जन्मी तथा प्रदेश में आरक्षित श्रेणी के पुरुषों से विवाहित महिलाओं को यहां का मूल निवासी मानकर उक्त श्रेणी में आरक्षण प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त महिलाओं को राजस्थान का मूल निवासी मानती है? यदि हां, तो किस नियम के तहत व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने उक्त विवाहित महिलाओं को प्रवासी की श्रेणी में शामिल किया है? यदि हां तो किस नियम के तहत? नियम व परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2018 तक अन्य राज्यों में आरक्षित श्रेणी की महिला को विवाह के आधार पर मूल निवासी मानकर आरक्षण का लाभ दिया जाता था? यदि हां तो अब इन्हें प्रवासी श्रेणी में किस नियम के तहत रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (मंत्री श्री अविनाश गहलोत): (1) कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 21.10.2002 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे व्यक्ति, जो अन्य राज्यों से माइग्रेट होकर राजस्थान राज्य में निवास कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को स्वयं के उपयोगार्थ तो जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसे माइग्रेट व्यक्तियों की सन्तान को, जिनका जन्म राजस्थान राज्य में ही हुआ है, यहीं शिक्षा ग्रहण की है, यहीं से मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी इन वर्गों की सूची (जिसे अधिसूचित किया गया है) में सम्मिलित हैं तो उन्हें नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। नियम की प्रति परिशिष्ट-अ पर सलंग्न है।

(2) गृह विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 28.08.2012 के अनुसार उन महिलाओं की दशा में जो राजस्थान की मूल निवासी नहीं है और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती है, जो राजस्थान का मूल निवासी है और जो अपने पति के साथ राजस्थान में रहती है, सामान्यतया राजस्थान की मूल निवासी मान ली जायेगी, चाहे उसने राजस्थान में अपने 10 वर्ष के निवासी होने की शर्त पूरी न की हो। नियम की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त विवाहित महिला के सन्दर्भ में लागू नियम की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। नियम की प्रति परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, सरकार का एक परिपत्र है दिनांक 16.08.2021 का, जिसमें आपने कहा है, ''राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि ऐसे व्यक्ति, जिनमें विवाहित महिलाएं भी सम्मिलित हैं, जो कि अन्य राज्यों से माइग्रेट होकर राजस्थान राज्य में स्थायी रूप से निवासरत् हैं'', मेरा पहला प्रश्न है, जब आप इन शादी-शुदा महिलाओं को स्थायी निवासी मान रहे हैं तो फिर 'माइग्रेट' शब्द से आप इन्हें अपमानित क्यों करना चाहते हैं? मेरा पहला प्रश्न है कि क्या सरकार इन शादी-शुदा महिलाओं को 'माइग्रेट' शब्द हटाकर स्थायी मूल निवासी मानने के लिए तैयार है?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, यह परिपत्र 16.08.2021 का हमारे विभाग का है, इसे ईडब्ल्यूएस के सम्बन्ध में जारी किया गया है। ईडब्ल्यूएस एक्चुअली इनकम बेस्ड है, वह जाति या मूल निवास से सम्बन्धित नहीं है। प्रश्न के तीनों खण्डों में हमने उत्तर दे दिया है कि राजस्थान से बाहर की कोई महिला यदि राजस्थान के किसी मूल निवासी से विवाह कर लेती है, उसे यहां की मूल निवासी मान लिया जाता है। इसमें जो ईडब्ल्यूएस का परिपत्र है, इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड पर अगर कोई वीक होता है, उसे ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में दिया जाता है, इसलिए यह जो ईडब्ल्यूएस के अन्दर है, अतः ऐसा कोई अभी नहीं है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा है 'माइग्रेटेड', चाहे ईडब्ल्यूएस महिला हो, चाहे अन्य कोई महिला हो, इस राजस्थान प्रदेश में आप शादी-शुदा को आप मूल निवासी मानते हैं तो किसी भी जगह महिलाओं के लिए माइग्रेटेड शब्द क्यों लिखा जा रहा है?

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, ईडब्ल्यूएस की जहां बात है, 31 जनवरी 2019 को केन्द्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानदण्डों का निर्धारण किया। आपकी डबल इंजन की सरकार है। पिछली सरकार ने, माननीय गहलोत साहब ने ईडब्ल्यूएस में मात्र 8 लाख रुपये की शर्त रखी। केन्द्र सरकार ने आज भी 100 गज के प्लॉट, 1000 गज के प्लॉट की शर्त और ईडब्ल्यूएस में हजारों बाधाएं केन्द्र सरकार ने डाल रखी हैं। क्या आपकी डबल इंजन की सरकार या राज्य सरकार हमारे इस ईडब्ल्यूएस में अन्य बाधाओं को हटाने की मंशा रखती है? सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी प्रश्न अगर केन्द्र सरकार से सम्बन्धित होता है, उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं होता कि केन्द्र सरकार के विषय पर बात करे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नियम बने हुए हैं, जैसे 2018 का माननीय उच्चतम न्यायालय का भी

ऑर्डर है, उस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी यह कहा है, वह प्रतिलिपि भी मैं आपको दे दूंगा और जितने सर्कुलर्स जारी हुए हैं, क्योंकि यह मूलतः गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, इसलिए महिलाओं के सम्बन्ध में जो आपने बात की है, ईडब्ल्यूएस इनकम बेस्ड है। इसका जाति और मूल निवास से कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिए नहीं मान सकते हैं।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। डॉ. प्रियंका चौधरी।

बाड़मेर में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी

266. डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कितने परिवार पंजीकृत हैं तथा कितने परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा है?

(2) क्या यह सही है कि पोर्टल बन्द होने के कारण पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हां तो क्या सरकार पोर्टल चालू कर पात्र परिवारों के नाम जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(3) क्या सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हटाये गये नामों को पुनः जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 54,651 परिवार पंजीकृत हैं तथा इतने ही परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा है।

(2) भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु निर्धारित सीलिंग सीमा 4.46 करोड़ के विरुद्ध शेष रहे स्थान के विरुद्ध लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किये जाने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त नहीं करके पूर्व में प्राप्त कुल 19.58 लाख आवेदन में से लम्बित आवेदन लगभग 13.9 लाख में से परीक्षण पश्चात् नाम जोड़ने की कार्यवाही विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(3) विभागीय आदेश दिनांक 05.11.2015, 29.09.2017 एवं 11.04.2022 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूचियों में जोड़ने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाये जाने के लिए अपीलीय प्रक्रिया है। भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु निर्धारित सीलिंग सीमा 4.46 करोड़ के विरुद्ध शेष रहे स्थान के विरुद्ध लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किये जाने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त नहीं करके पूर्व में प्राप्त कुल 19.58 लाख आवेदन में से लम्बित आवेदन लगभग 13.9 लाख में से परीक्षण पश्चात नाम जोड़ने की कार्यवाही विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

mkd/rtm/29.07.2024/11:10/1b

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से

आग्रह करना चाहूंगी कि सरकार की जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, उनका आधार जनगणना होता है। राजस्थान की पोपुलेशन 2011 में 6.8 करोड़ थी और आज के दिन तक अनुमानित है, 8.36 करोड़।

हम देखते हैं, बीच में सरकार ने कई बीपीएल में नाम जोड़े और काटे। मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहती हूं कि अपने स्तर पर क्या राज्य सरकार इन लोगों को जोड़ने की मंशा रखती है? यदि हां तो कब तक? नहीं तो क्यों?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत राज्य की आबादी के आंकड़े हैं, जो सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो सकते हैं, उसी के हिसाब से इसमें सीलिंग सीमा तय है। उसमें राज्य को आजादी नहीं है कि वह अपने हिसाब से जोड़ सके। हम केन्द्र के जो नियम हैं, उनके तहत बंधे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जो इलाका है, वह मरुस्थलीय है तो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्दर भी आठ जिलों को शिथिलता दी गई थी, क्योंकि यहां जो आबादी है, वह बहुत ही छितराई हुई आबादी है, धारों के अन्दर है।

मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगी कि जो निर्धारित मापदंड हैं, 500 राशन कार्ड अथवा दो हजार यूनिट पर एक नई उचित मूल्य की दुकान खोलने के। मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या, आप भी उसी मरुस्थलीय क्षेत्र से आते हैं तो क्या यहां लोगों की बसावट को देखते हुए, जो दूर-दूर रह रहे हैं, सरकार विशेष शिथिलता देकर नई राशन की दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, बाड़मेर से आने वाली माननीय सदस्य का प्रश्न बिलकुल न्यायोचित है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में दूरियां, ढाणियां, गांव लम्बी दूरी पर बसावट होती हैं। वहां पर व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह उचित मूल्य की दुकान पर जाना बहुत मुश्किल होता है। हम वहां पर कहीं न कहीं आपके सुझाव आयेंगे, जहां पर भी माननीय विधायक जी की आवश्यकता है कहीं ऐसी राशन दुकानों की तो मैं आश्वस्त करता हूं कि वहां पर नई राशन की दुकानें खोल दी जायेंगी। जहां भी आप बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अर्जुन सिंह।

बांसवाड़ा में स्वच्छ परियोजना में कार्यरत अधिकारी

267. श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में स्वच्छ परियोजना के तहत वर्तमान में परियोजना अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज किस अधिकारी के पास है तथा उसका मूल विभाग क्या है?

(2) क्या यह सही है कि अन्य विभाग के अधिकारी को उनके मूल विभाग की अनापत्ति के बिना जनजाति विभाग में अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत एवं कितनी अवधि तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या किसी अधिकारी के विरुद्ध मूल विभाग में अनियमितता की कार्यवाही एवं अन्य प्रकरण दर्ज होने पर भी उसे जनजाति विभाग में अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) वर्तमान में परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना, बांसवाडा के पद का अतिरिक्त कार्यभार श्री पुनीत रावल, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, बागीदौरा (बांसवाडा) के पास है।

श्री पुनीत रावल, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी का मूल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हैं।

(2) परियोजना अधिकारी स्वच्छ परियोजना बांसवाडा के पद का अतिरिक्त कार्यभार जिला कलक्टर बांसवाडा द्वारा उनके आदेश दिनांक 01.03.2024 से श्री पुनीत रावल, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, बागीदौरा को प्रदान किया गया है।

श्री पुनीत रावल, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को जिला कलक्टर महोदय द्वारा अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने आदेश की प्रति, उनके मूल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भी दी गई है।

राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-35 एवं 50 के अनुसार राज्य सरकार एक सरकारी कर्मचारी को स्वयं के पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त, अस्थायी व्यवस्था के रूप में कार्यवाहक रूप से नियुक्त कर सकती है।

(3) उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्रानुसार कार्मिक श्री पुनीत रावल के विरुद्ध अनियमितता की कार्यवाही/प्रकरण विचाराधीन नहीं है एवं न ही लंबित है। इनके खिलाफ पूर्व में भी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 23.07.2003 के अनुसार जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को आपराधिक प्रकरणों अथवा सीसीए नियम-16 के तहत विभागीय जॉच में सरकार को हानि पहुंचाने/सरकारी धन का दुरुपयोग करने या उसका गबन करने अथवा गंभीर वित्तीय अनियमितता करने जैसे आरोपों के लिए दण्डित किया जा चुका है अथवा ऐसा प्रकरण लम्बित है, को फील्ड पोस्टिग नहीं दी जावे।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): अध्यक्ष जी, पूरक प्रश्न पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिये, यह आपका अधिकार है।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खण्ड 2 में उत्तर दिया हैकि जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा द्वारा उनके आदेश किये गये। मेरा मंत्री जी से निवेदन है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कलेक्टर महोदय ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए उनको डेपुटेशन पर लगाया है या विभाग ने कोई

डायरेक्शंस दिये हैं? मेरा सीधा-सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने सवाल किया है कि जो परियोजना अधिकारी था, उसको आपने कलेक्टर के आदेश से किया तो क्या कलेक्टर लगा सकता है क्या?

अध्यक्ष महोदय जी, यह जो पद था, यह आपके समय से खाली था। जिसको आपने लगा रखा था, वह सह-परियोजना अधिकारी था, नहीं लगना चाहिए था, लेकिन आपने उसे वहां लगाये रखा।

अध्यक्ष महोदय जी, दूसरी बात जब पद खाली था और हमें बार-बार शिकायत आ रही थी कि अनियमितताएं हो रही हैं तो हमको उसके ठीक भी करना है। आपकी तरह हमको नहीं चलाना है। इसलिए हमने उसको वहां से बदलकर डूंगरपुर लगाया और वह डूंगरपुर पोस्टेड था, वहां से हटाया। उसके बाद में हमने उसके समकक्ष, ये जो हमारा अधिकारी है, पुनीत रावल, इसको हमारे विभाग ने..

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न..।

श्री अध्यक्षः पहले उत्तर सुन लीजिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आप पूरा सुनें। उसके बाद करना, सन्तुष्ट नहीं हो तो, मैं आपको सन्तुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्षः आप अपना उत्तर दीजिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा समय देना।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): मैंने सीधा-सा प्रश्न पूछा है।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मैं वही कह रहा हूं। फिर हमारे विभाग ने यह कहा कि यहां पर शिकायत आ रही है तो इनको यहां से हटाकर दूसरा किसी को लगाना है तो कलेक्टर को कहा और कलेक्टर ने इसको लगाया। अब आपका इसमें कोई हो तो बता दें, आप क्या चाहते थे?

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सा प्रश्न है कि इस अधिकारी को डेपुटेशन पर कलेक्टर ने अपने विवेक से लगाया है या विभाग ने डायरेक्शंस दिये हैं? दोनों में से 'यस', 'नो' का जवाब है? मंत्री जी, बता दें।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आपने पूरा सुना नहीं है। हमारे जनजाति विभाग के कमिश्नर ने यह कहा है कि इसकी शिकायत आ रही है, इसको यहां से हटाइये। उसके बाद लगाया तो उसके समकक्ष कलेक्टर ने उसको लगाया है। दूसरा, आप सुनो। आप बैठो, पूरा सुन लो। जिस व्यक्ति को आप लगाना चाहते थे, उस व्यक्ति के कारनामें भी सुन लो।

श्री अध्यक्षः आप तो 'हां', 'ना' में उत्तर दो। माननीय मंत्री जी, ये बाद में इनको बता

देना।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको चैलेंज करता हूं, डिपार्टमेंट उनके पास में हैं। वो जिस अधिकारी की बात करें, जांच करा लें और जहां तक बात है मंत्री की, मंत्री ने खुद लिखकर दिया है, पुनीत रावल। उनके पास स्वच्छ में दस अधिकारी हैं।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये। आप प्रश्न पूछिये। अगला प्रश्न।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वच्छ में दूसरे कई अधिकारी हैं, उसके बावजूद भी माननीय मंत्री जी नामजद दूसरे विभाग से लगाने के ऐसे क्या कारण हैं? सीधा-सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अर्जुन लाल जीनगर। बैठिये, इस पर कोई उत्तर नहीं आता है। एक सेकेण्ड।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा गम्भीर विषय है। माननीय सदस्य जो बात कहना चाह रहे हैं, वह बात यह है कि जो स्वच्छ की संस्था है, एक एनजीओ है। सरकार द्वारा यह एनजीओ चलाया जाता है। इसका रूल्स है, मैं एक सैकंड बताना चाहूंगा, "The Director Swachh will be empowered to select, appoint and terminate the service of the staff as per the requirement of the work.", यानी के ये पावर सिर्फ डायरेक्टर को ही हैं। किसी को हटा सकेगा, लगा सकेगा, डेपुटेशन कर सकेगा।

मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि कलेक्टर ने किस पावर से उसको हटाया और दूसरे को चार्ज दिया और कलेक्टर को यह पावर थी या नहीं थी। अगर नहीं थी तो उसने किया है तो उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है? इसका जवाब दे दो आप तो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, जनजाति विभाग से शिकायतें आने के बाद हमारे पास में आई तो जनजाति विभाग ने कलेक्टर को कहा कि इसको हटाकर के दूसरे को लगाये, समकक्ष को लगाये। यह बात मैंने पहले ही कह दी। दूसरी बात मेरी सुन लो। आप लोगों के समय, आप सुनो..।

श्री अध्यक्ष: उत्तर तो सुनना पड़ेगा। आप मंत्री महोदय को मजबूर करेंगे, यह उत्तर दो। आप बैठिये, इनका उत्तर है।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, इस पाटीदार को हमने हटाया।

श्री अध्यक्ष: साधारणतया अधिकारियों के नाम नहीं लिये जाते हैं, दोनों पदनाम लें।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): हटाने के बाद में, जिस व्यक्ति ने जॉइन भी कर लिया और उसके बाद एक महीने के बाद जाकर के लाखों रुपये के उसने भुगतान किये, बिना डीडी पावर के, उसके बाद में सुनिये, आपके समय में।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमने गलती की है, हमारी जांच कराओ। इन्होंने गलती की है, इनकी जांच करो। आपको पावर थी क्या? कलेक्टर को, उसको हटाने की यह बता दीजिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, उसके बाद इनके समय में 9 करोड़ 61 लाख 29 हजार के फर्नीचर खरीदे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, हो गया।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): इस फर्नीचर की एसीडी में जांच चल रही थी, आपने उस जांच को आगे नहीं बढ़ाया। मैं आज घोषणा करता हूं कि यह जो फर्जीवाड़ा है, उसकी एसीडी से जांच कराने की घोषणा करता हूं। मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा। ताकि वह सामने आयेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जांच कराने की कही है। मैं आपका स्वागत करता हूं। आप उसकी भी जांच कराइये और इसकी भी जांच कराइये। बिना पावर के कैसे पावर का दुरुपयोग कर रहा है, कलेक्टर। किसने पावर दी, कानून से ऊपर जाने की, आप इसी प्रकार से धीरे-धीरे एक-एक चीजों के अन्दर, जो संविधान को कमजोर करने की चीजें हैं, ये यहीं हैं। आप बिना पावर के दुरुपयोग कर रहे हैं। इसकी भी जांच कराओ, इसकी भी घोषणा कर दो।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): दोनों की जांच करायेंगे, गलती हुई तो उसको पनिशमेंट देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

भोपालसागर तहसील के ग्राम अनोपपुरा की भूमि का उद्योग हेतु आवंटन

268. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा कर करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हिन्दुस्तान जिंक प्रा.लि., दरिबा, तहसील रेलमगरा उद्योग का आधा भाग ग्राम पंचायत अनोपपुरा, तहसील भोपालसागर की राजस्व सीमा में स्थापित है? यदि हां, तो अनोपपुरा ग्राम पंचायत की कितने हेक्टेयर भूमि उक्त उद्योग को किन-किन शर्तों पर आंवटित की गई? आराजी नम्बर व नक्शे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त उद्योग के द्वारा निजी भूमियों को भी खरीद कर उद्योग की सीमा में सम्मिलित कर लिया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त उद्योग द्वारा आवंटित भूमि के अतिरिक्त भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): (1) जी हां। उधोग (ग्रुप-1)विभाग के आदेश क्रमांक प.4(27)उधोग/1/2010 दिनांक 12.04.2010 के अनुसार राजकीय बिलानाम रकबा 11.04 हैक्टेयर भूमि राजस्थान भू-राजस्व (औधोगिक क्षेत्र आवंटन) नियम 1959 में उल्लेखित

प्रावधान एवं अन्य शर्तों के तहत 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की गई। आवंटन आदेश, जमाबंदी नक्शा की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त सूचना अनुसार:- निजी खातेदारों की भूमि खरीद की गयी जिसके कुल किता 45 कुल रकबा 18.7333 हेक्टेयर भूमि है। सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जिला कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट अनुसार:- उक्त उद्योग को आंवटित भूमियों के अलावा भी ग्राम राजपुरा में आवंटित माइनिंग लीज क्षेत्र के बाहर आराजी नम्बर 586 में से रकबा 0.2915 हेक्टेयर किस्म बिलानाम पर टेलिंग डेम बना एवं आराजी संख्या 509 में से रकबा 0.1619 हेक्टेयर भूमि पर टेलिंग पाइप लाईन निकाल कर तथा ग्राम कोटडी में आवंटित माइनिंग लीज क्षेत्र के बाहर आराजी संख्या 1 में से रकबा 0.2428 हेक्टेयर किस्म चारागाह भूमि में टेलिंग डेम की पाल बना कर अतिक्रमण कर रखा है।

Bhs/Rtm/29.7.24/11.20/1c

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट लूंगा मैं आपसे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): प्रश्न यही है मेरा कि सबसे पहले तो आपने 11.04 हैक्टेयर जमीन ही आवंटन करने का बताया है जबकि 109.84 हैक्टेयर जमीन इसके अलावा भी आपने आवंटन की है। नंबर-1, सीधा प्रश्न है मेरा क्या हिन्दुस्तान जिंक प्राइवेट लिमिटेड, दरीबा को सरकार द्वारा आवंटित जमीनों के अलावा चरागाह जमीनों, विलानाम जमीनों, रास्ते की जमीनों, बहाव क्षेत्र की जमीनों पर कब्जा करके रास्ते बन्द किये हैं और टेलिंग डेम पाइप लाइन व चरागाह भूमियों पर अतिक्रमण किया है तथा चारदीवारी बनाई गई है? यदि हां, तो इस अवैध अतिक्रमण को हटाने की मंशा सरकार रखती है? रखती है तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

एक और पूछ लेता हूं साथ ही।

श्री अध्यक्ष: एक-एक करके पूछो तो उत्तर आ जायेगा।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, जिला चित्तौड़ और हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, जिला राजसमन्द इन दोनों जिलों में कुल मिलाकर 347.54 हैक्टेयर जमीन हिन्दुस्तान जिंक को अलॉट हुई है और इसमें टेलिंग डेम, टेलिंग डेम की पाइप लाइन और टेलिंग डेम की पाल बनाने, ये तीन, एक खाता संख्या आराजी नम्बर 586 में, आराजी नम्बर 509 में और आराजी नम्बर 1 में ये कुल मिला कर तीन जगह हिन्दुस्तान जिंक ने जिसमें विलानाम और चरागाह भूमि है उस पर कब्जा कर रखा है।

श्री अध्यक्ष: इनका उत्तर दें, कर पायेंगे या क्या कह रहे हो वो। हां, वो जवाब दो।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय सदस्य, कह रहे हैं कि ये कब्जा जो हिन्दुस्तान जिंक ने कर रखा है यह विलानाम, चरणोट रास्ते और अन्य एससी/एसटी की भी जमीन है पर अवैध कब्जा कर चारदीवारी बना रखी है, इसकी पूरी जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी जिसमें सक्षम अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि की संयुक्त कमेटी बना कर इसकी जांच एक महीने के अन्दर-अन्दर करके और जो भी अतिक्रमण है उसको हटाने का पूरा कार्य किया जायेगा। यह मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वो आपके कहने से गेट तो खोल देंगे क्या? कम्पनी वाले आपके कहने से गेट नहीं खोलेंगे और एक महीना हो जायेगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): ...(व्यवधान)... वो आपने अतिक्रमण करवाया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सीधा संवाद नहीं। उनको उत्तर नहीं देना है। बैठिये।

अगला प्रश्न। श्री भीमराज भाटी।

रोहट (पाली) में प्रदूषण से खराब हुई भूमि का मुआवजा

269. श्री भीम राज भाटी (पाली): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पाली की पंचायत समिति रोहट के ग्रामों में प्रदूषण से किसानों की कितनी भूमि खराब हुई? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किसानों को प्रदूषण से खराब हुई भूमि का मुआवजा देने के लिये आदेश प्रदान किये हैं? यदि हां, तो विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? अब कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग) (राज्य मंत्री, पर्यावरण के स्थान पर): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) विधानसभा क्षेत्र पाली के रोहट पंचायत समिति के ग्रामों में प्रदूषण से किसानों की कितनी भूमि खराब हुई है इसकी ग्राम वार अधिकृत सर्वे रिपोर्ट राज्य सरकार के पास प्राप्त नहीं है।

(2) जी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 759/2002 महावीर विकास संघर्ष समिति बनाम राज्य सरकार व अन्य दिनांक 09/03/2004 को इस संबंध में आदेश पारित किया गया था कि सरकार इकाइयों द्वारा उत्पन्न किये गए प्रदुषण से पर्यावरण और जन स्वास्थ्य को हुई हानि का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों को नियोजित करेगी तथा उक्त आकलन के पश्चात् संबंधित प्राधिकारी 08 सप्ताह के अन्दर इस न्यायालय में अपनी आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जिसके आधार पर इकाइयों द्वारा क्षतिपूर्ति भुगतान का निर्धारण किया जायेगा (उक्त आदेश की प्रति संलग्न है)।

(3) राज्य सरकार द्वारा किसानों की भूमि खराब होने के बाबत रिपोर्ट का अध्ययन करवाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

श्री अध्यक्ष: उत्तर दे रहे हैं आप विराजो न।

श्री भीम राज भाटी (पाली): नहीं, उत्तर मैंने पढ़ लिया है उत्तर आ गया है मेरे पास।

श्री अध्यक्ष: पूरक पूछना है? बैठिये। पूरक प्रश्न आ रहा है।

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि प्रदूषण से कितनी जमीन खराब हुई है और इसका सर्वे करवा कर कब तक जानकारी उपलब्ध करवा देंगे?

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): विधान सभा क्षेत्र पाली के रोहट पंचायत समिति के ग्रामों में प्रदूषण से किसानों की कितनी भूमि खराब हुई है इसकी ग्रामवार अधिकृत सर्वे रिपोर्ट राज्य सरकार के पास नहीं है।

श्री भीम राज भाटी (पाली): मेरा प्रश्न यह है कि यह कब तक आप, किसानों की कितनी खराब हुई है उस जमीन का सर्वे करवा कर, वह रिपोर्ट पेश कर देंगे, जानकारी दे देंगे?

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): जी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 759/2002 महावीर विकास संघर्ष समिति बनाम राज्य सरकार व अन्य दिनांक 9.3.2004 को इस सम्बन्ध में आदेश पारित किया गया था।

श्री भीम राज भाटी (पाली): यह उत्तर तो आ गया मेरे पास। मैं पूछ रहा हूं कि पूरी जमीन खराब हुई है उसका कब तक सर्वे करवा कर जानकारी उपलब्ध करवा देंगे?

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): यह उत्तर इसी के अन्दर दिया हुआ है आपने पढ़ लिया तो, वापस सवाल भी वो ही पूछ रहे हैं आप।

श्री भीम राज भाटी (पाली): नहीं, इसमें नहीं है। सप्लीमेंट्री, मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। आप पहले यह बता दो कि कब तक सर्वे करवा देंगे?

श्री अध्यक्ष: सर्वे का टाइम पूछ रहे हैं।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): राज्य सरकार द्वारा किसानों की भूमि खराब होने बाबत रिपोर्ट का अध्ययन करवा कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री भीम राज भाटी (पाली): सर, यह भी तीसरे प्रश्न का उत्तर है। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं। मैं यह पूछ रहा हूं...।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, वे पूछ रहे हैं कि सर्वे कब तक करवा पायेंगे?

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): बहुत ही जल्द आपकी इच्छानुसार जैसा आपने माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय की मार्फत पूछा है, इसका पूरा नियमानुसार सर्वे कृषि विभाग, प्रशासनिक शासन को इन्वोल्व करके आपके इसका सर्वे का काम चालू करवा देंगे।

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, चालीस साल हो गये प्रदूषण से जमीन खराब होते हुए और चालीस साल के बावजूद भी अभी तक सर्वे नहीं करवाया गया है

तो किसान क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमारा क्या होने वाला है। मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं कि कब तक सर्वे करवा देंगे, महीना, दो महीना, 6 महीने? मेहरबानी करके सरकार को डाइरेक्शन दीजिये न।

श्री अध्यक्षः कह दिया शीघ्र करवा देंगे।

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। इस सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्षः हां, दूसरा पूछिये।

श्री भीम राज भाटी (पाली): इस सवाल का जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्षः जवाब दे दिया न, जल्द करवायेंगे।

श्री भीम राज भाटी (पाली): जल्द कोई जवाब थोड़े न। जल्द का क्या मतलब है, इसमें कोई टाइम ही नहीं है।

श्री अध्यक्षः दूसरा प्रश्न पूछिये। बैठिये। मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूं। दूसरा प्रश्न पूछिये।

श्री भीम राज भाटी (पाली): दूसरा सवाल यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि मैंने सवाल पूछा था कि हाई कोर्ट से कोई आदेश हुआ है क्या तो इन्होंने जवाब दिया जी नहीं। जी नहीं जवाब दिया और उसके साथ ही हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी पेश कर दी और उस कॉपी में हाई कोर्ट का आदेश है कि इसका 8 हफ़्ते के अन्दर-अन्दर सब करवा कर जिनको जो नुकसान हुआ है आठ सप्ताह के अन्दर-अन्दर सब काम करके न्यायालय को सुपुर्द कर देंगे। राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं और यह 9.3.2004 का है।

श्री अध्यक्षः हो गया। यह प्रश्न स्थगित किया जाता है।

श्री भीम राज भाटी (पाली): 9.3.2004 का है, क्या मतलब है?

श्री अध्यक्षः स्थगित कर दिया। अब अगली बार आयेगा।

श्री भीम राज भाटी (पाली): चलो ठीक है।

प्रश्न संख्या 270

श्री अध्यक्षः श्री हरलाल सहारण।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर।

ढाणियों में विद्युत कनेक्शन की योजना

271. श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश की ढाणियों में किस-किस योजना के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन किये जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र श्रीकरणपुर में वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक विधायक कोष के अतिरिक्त किस योजना के तहत कितनी ढाणियों के विद्युत कनेक्शन जारी किये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन से वर्तमान में कितनी ढाणियां वंचित हैं? क्या सरकार उक्त वंचित ढाणियों में 02 ढाणियों को समूह मानकर विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) आरडीएसएस (रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम) योजना के तहत जोधपुर एवं अजमेर डिस्कॉम के अंतर्गत आर.ई.सी. (रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लि.) की स्वीकृति दिनांक 05.06.2023 के अनुसार क्रमशः 1 लाख 11 हजार 107 एवं 79 हजार 852 शेष वंचित परिवारों के विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में ''विद्युत आपूर्ति हेतु नियम एवं शर्तें-2021'' में वर्णित प्रावधानानुसार घरेलू श्रेणी में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदित पत्रावली का मांगपत्र जमा होने के उपरान्त विद्युत कनेक्शन जारी किए जा रहे है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(2) विधानसभा क्षेत्र श्रीकरणपुर में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक विधायक कोष के अतिरिक्त ढाणियों में जारी किये गए घरेलू विद्युत कनेक्शनों की योजनावार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(3) उक्त विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्तमान में विद्युत कनेक्शन से 212 ग्रामों की 810 ढाणियां वंचित हैं। सरकार के पास वंचित ढाणियों में 2 ढाणियों का समूह मानकर विद्युत कनेक्शन देने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): अध्यक्ष जी, जवाब आ गया है। आपकी आज्ञा हो तो पूरक प्रश्न पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: हां, पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विधायक कोष या अन्य किसी योजना से पांच ढाणियों का समूह होने पर पांच किलोवाट का ट्रांसफार्मर स्वीकृत कर विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं। भविष्य में यदि इस ट्रांसफार्मर पर विद्युत भार बढ़ाना है तो विभाग राशि वसूल कर ट्रांसफार्मर लगाता है जबकि आबादी क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन का भार बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर का लोड सिस्टम इम्प्रूवमेंट के नाम पर नि:शुल्क बढ़ाया जाता है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो दोहरे मापदंड हैं जो ढाणियों में रहते हैं उनसे तो पैसे वसूल कर लोड बढ़ाया जाता है और आबादी क्षेत्र में नि:शुल्क बढ़ाया जाता है, तो क्या सरकार की जो ढाणियों में लोग रह रहे हैं उनको यह फ्री में लोड बढ़ाने की योजना है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो विद्युत आपूर्ति हेतु नियम एवं शर्तें-2021 की क्लॉज संख्या 7.5 में वर्णित है और जो ढाणियों को कनेक्शन दिये जा रहे हैं अगर उन पर लोड बढ़ाने के लिए जो नियम हैं...

Kas/rtm/29.07.2024/11.30/1d

उसमें नया ट्रांसफार्मर उस लोड बढ़ाने वाले उपभोक्ता को स्वयं के स्तर पर लेने का प्रावधान है। उसके लिये माननीय सदस्य की बात सही है कि जहां तक नेटवर्क पहुंच गया, पांच ढाणियों में कनेक्शन हो गया और वहां 1-1 किलोवाट का उनका लोड है, पांच किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर किसी को आज के जमाने में लोड बढ़ाना है, तो वह अपने स्तर पर ट्रांसफार्मर के चार्ज के साथ बढ़ाया जाता है। मैं माननीय सदस्य की मांग से सहमत हूं और इसको हम परीक्षण करके निगम के स्तर, सरकार के स्तर पर प्रयास करेंगे, क्योंकि आबादी क्षेत्र में तो कोई लोड बढ़ाता है तो वहां कोई चार्जेज नहीं है, लेकिन अगर गैर आबादी क्षेत्र हैं, जहां ढाणियां हैं, वहां लोड बढ़ाते हैं तो उस पर चार्जेज लेकर बढ़ाया जाता है। इसमें नियम दिखवा कर प्रयास करेंगे कि आबादी क्षेत्र की तरह ढाणियों को भी ट्रीट किया जाये, ऐसा प्रयास करेंगे ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, जिससे आज हम प्रताड़ित हैं कि यह विद्युत कट कब तक बंद हो जायेंगे? यह ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा लग रहे हैं।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सदस्य, आपकी बात सही है कि विद्युत कट आ रहा है और सभी को परेशानी है और उस परेशानी से हम भी वाकिफ हैं, आप भी वाकिफ हो। आप सब भी अन्दर से समझ रहे हो कि इसके क्या कारण हैं, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: जब बिजली पर चर्चा होगी तब विस्तार से बता देना।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हम प्रयास कर रहे हैं कि यह विद्युत कट नहीं आये और अभी पिछले चार-पांच दिन से नहीं आ रहा था, कल थोड़े फिडर हमारे कटे हैं, निश्चित रूप से हम आगे प्रयास कर रहे हैं, हमें जैसे विद्युत की उपलब्धता होगी, हम विद्युत कट बिलकुल नहीं आने देंगे और निश्चित रूप से इसमें सुधार भी करेंगे और आने वाले समय में बेहतर लाइट मिले, इसका सरकार पूरा प्रबंध करने का प्रयास करेगी।

श्री अध्यक्ष: हो गया, दो पूरक प्रश्न हो गये, बिजली पर चर्चा बाकी है, उस दिन पूरा पूछ लेना।

अगला प्रश्न। श्री ललित मीना।

बारां में इन्डोर स्टेडियम का निर्माण

272. श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जिला बारां में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए एथेलेटिक एसोसिएशन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले में इन्डोर स्टेडियम मय सिंथेटिक ट्रैक व तरणताल का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला बारां में कितने खेल अधिकारी व कर्मचारी कब से नियुक्त हैं? विगत पांच वर्षों में उक्त जिले में खेल प्रतियोगिताओं के लिए सरकार द्वारा कितना बजट आवंटित किया व किन-किन प्रतियोगिता में व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले में विगत पांच वर्षों में कितने खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जिला बारां में राज्य स्तरीय समिति द्वारा खेल संकुल का कितनी बार निरीक्षण किया गया? निरीक्षण में पाई गई कौन-कौनसी कमियों को विभाग द्वारा पूरा किया गया? क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में खेल संकुल बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

युवा मामले एवं खेल मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): (1) बारां जिले में जिला एथलेटिक संघ, बारां कार्यालय सहकारी समितियॉ, बारां से रजिस्टर्ड है। जिसके रजिस्टर्ड नम्बर 2/बारां/2007-08 है।

खेल संघ स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। खेल संघों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, सुचिता, खेल गतिविधियों में नियमितता लाने हेतु खेल संघों को पाबंद किया गया है।

(2) बारां जिले में इन्डोर बैडमिंटन हॉल तथा तरणताल निर्मित है। सिंथेटिक ट्रैक हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर अग्रिम कार्यवाही करने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) बारां जिले में खेल अधिकारी के रिक्त पद पर श्री विशाल सिंह, हॉकी प्रशिक्षक को वर्ष 2012 से प्रभारी, खेल अधिकारी के पद पर लगाया गया है। बारां जिले में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से दिनांक 10.02.2024 से टेनिस बॉल क्रिकेट, हॉकी प्रशिक्षक, फटबॉल, एवं कुश्ती खेल के अल्पकालीन प्रशिक्षक तथा एक कम्प्यूटर ऑपरेटर, एक चैकीदार एवं एक गेम्स बॉय को लगाया हुआ हैं।

बारां जिले में गत 5 वर्षों में निम्न प्रतियोगिताओं में व्यय करने हेतु निम्नानुसार बजट आवंटित किया गया हैः-

1. वर्ष 2019-20 में 51वीं सीनियर स्टेट पुरुष/महिला वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता हेतु राशि 2,50,000/- रुपये।

2. ग्रामीण व शहरी ओलम्पिक खेल हेतु खिलाडियों के टीए डीए हेतु राशि 1,03,416/- रुपये दिनांक 14.10.2022 एवं राशि 50,000/- रुपये दिनांक 17.10.2022।

3. जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन हेतु राशि 1,50,000/- रुपये दिनांक 18.11.2021 एवं राशि 1,75,000/- रुपये दिनांक 20.10.2022।

4. राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु संबंधित खेल संघ द्वारा खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। बारां जिले में विगत 5 वर्षों में 10 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है।

5. गत 5 वर्षों में बारां खेल संकुल का राज्य स्तर से निरीक्षण नहीं किया गया है।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में खेल संकुल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि खंड तीन में जो रिक्त पद हैं, 2012 से विशाल जी, जो हॉकी के प्रशिक्षक हैं, उनको चार्ज दिया हुआ है और वह प्लेसमेंट ऐजेंसी से 2024 में लगे हुए हैं। बारां जिले में कोई स्थाई नियुक्ति दें, ताकि वहां खेलों को प्रोत्साहन मिले। बारां जिले के स्टेडियम की हर वर्ष घोषणा होती है, पर वहां बजट आता नहीं है। वहां स्टेडियम के सिंथेटिक ट्रैक की भी डिमांड थी, उसके भी प्रस्ताव भेजे हुए हैं, पर अभी तक उसके लिये बजट आवंटित नहीं हुआ है। इस बजट में घोषणा की है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछो।

श्री ललित मीना (किशनगंज): मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि हमारे इस सिंथेटिक ट्रैक के लिये कब तक राशि अलॉट कर देंगे और जो हमारे यहां प्रशिक्षक लगे हुए हैं और अभी शिक्षण का काम कर रहे हैं, वहां कब तक नई नियुक्ति दे देंगे?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि खेल अधिकारियों के काफी पद खाली हैं। 128 खेल अधिकारियों को लेने के लिये हमने घोषणा की है और उसके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चालू हो गया है। तब तक तकरीबन 500 अल्पकालीन कोचेज को लेने के लिये हमारे पास अनुमति है, जिसमें से तकरीबन 340-350 के करीब हमारे अल्पकालीन खेल प्रशिक्षक हैं।

जहां तक स्टेडियम की बात है, मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहूंगा कि 2024-25 बजट में श्रीराम स्टेडियम बारां को विकसित और आधुनिक करने की घोषणा की गई है। आपने जो सिंथेटिक ट्रैक की बात की, उस पर भी विचार किया जायेगा।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 2019-20 में वहाँ जो वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई, उसमें ढाई लाख रुपये उस समय दिये, लेकिन वहां वेटलिफ्टिंग का हॉल नहीं है। 2019-20 में आपने वह प्रतियोगिता कहां कराई, अब आप इसके भवन के लिये पैसा देने का विचार रखते हैं क्या? साथ ही मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा आपने मेरे शाहबाद में तीरंदाजी अकादमी की घोषणा की, स्टेडियम की भी घोषणा की, इसी तरह आप हमारे बारां मुख्यालय पर यहां फुटबाल अकादमी का भी विचार रखते हैं क्या?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना को समझ रहा हूं। वह चाहते हैं कि हर तरह के खेल वहां उपलब्ध हो। आपने 2019 की

वेटलिफ्टिंग चैम्पियशिप की बात की कि उसे कहां कराया गया, जबकि वेटलिफ्टिंग हॉल वहां नहीं है। मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं कि वहां पर बैडमिंटन इंडोर हॉल जरूर बना हुआ है और वेटलिफ्टिंग की प्रतियोगिता बैडमिंटन हॉल में भी कराई जा सकती है, किसी भी हॉल में कराई जा सकती है। हो सकता है वहां पर हुई हो, मुझे उसका एग्जेक्ट ध्यान नहीं है। आपने जो सिंथेटिक ट्रैक की बात की है, उस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री भागचन्द टाकड़ा।

अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जारी प्रमाण-पत्र

273. श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से पिछड़ी जाति का नवीनतम प्रमाण पत्र लिया जाता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पहली बार जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र को स्थायी रूप से शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा राज्य में आयोजित भर्ती परीक्षाओं में मान्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार क्रिमीलियर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से 6 माह में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की बाध्यता समाप्त कर अभ्यर्थी से नवीनतम आय प्रमाण पत्र के आधार पर मान्यता प्रदान किये जाने संबंधी नियम/नीति में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) जी नहीं, राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश क्रमांक 54159 दिनांक 09.09.2015 एवं परिपत्र दिनांक 08.08.2019 (Annexure- A) के अनुसार ओबीसी के जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि एक वर्ष की होती है। परन्तु क्रिमीलियर में नहीं होने के संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी गयी है। अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाता है ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है। ओबीसी जाति प्रमाण पत्र में आरक्षण का लाभ नॉन क्रिमीलियर के आधार पर प्राप्त होता है।

(2) जी नही।

(3) जी नही।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रिमीलियर के विद्यार्थियों को एक साल के जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता समाप्त करने का विचार क्यों नहीं रखती, क्योंकि जाति तो बदली नहीं जाती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मुख्य रूप से ओबीसी वर्ग में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं नियुक्ति के लिये पूछा गया है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह भारत सरकार की तरफ से ही गाइड लाइन जारी की गई है। आप कहें तो मैं इसका थोड़ा सा डिटेल में बता दूं?

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप तो संक्षिप्त में बताइए।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सदन के संज्ञान में आ जायेगा। 20 दिसम्बर, 1978 को मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, इसलिए बोलचाल की भाषा में इसे मंडल आयोग कहते हैं, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1980 को माननीय राष्ट्रपति को सौंपी।

श्री अध्यक्ष: संक्षिप्त में ही दे दो आप।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उसके बाद इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया प्रकरण में इस वर्ग के सोशियल एजुकेशन एडवांस लोगों को छोड़ कर शेष ओबीसी वर्ग के आरक्षण प्रावधान को उचित ठहराया गया था। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता।

msk/rtm/29.07.2024/11.40/1e

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि उक्त सम्बन्ध में सक्षम स्तर से प्रमाणित नवीनतम आय प्रमाण-पत्र को मान्यता प्रदान करने के लिए नीति परिवर्तन पर सरकार विचार क्यों नहीं करती? सदन को अवगत करायें।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ऐसे किसी भी प्रकार के प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं रखती है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पुष्कर लाल डाँगी।

मावली में संचालित राशन की दुकानें

274. श्री पुष्कर लाल डाँगी (मावली): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे?

(1) प्रदेश में राशन की दुकानें खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विधान सभा क्षेत्र मावली में संचालित राशन की दुकानें किस-किस डीलर को आवंटित हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में राशन की पर्याप्त दुकानें संचालित हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार नवीन राशन की दुकानें खोलने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) विभागीय निर्देश दिनांक 07.04.2010 एवं 26.12.2019 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित 500 राशनकार्डों अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित हैं।

विधान सभा क्षेत्र मावली में 110 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। उचित मूल्य दुकानदार एवं ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मावली में विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप उचित मूल्य की पर्याप्त दुकानें संचालित हैं।

श्री पुष्कर लाल डाँगी (मावली): जवाब आ गया है। मैंने पूछा था कि नयी दुकानें खोलने की मंशा रखते हैं तो कब तक? 10 साल से 17 दुकानों की वैकल्पिक व्यवस्था चल रही है, वे दुकानें कब तक खुलेंगी? बहुत बड़ा क्षेत्र है, 380 के करीब राजस्व ग्राम हैं और 110 दुकानें संचालित हैं। वृद्ध लोगों को 10 या 12 किलोमीटर दूर से राशन लेने के लिए आना-जाना पड़ता है और दुकानें खुली नहीं रहती हैं, बन्द रहती हैं, उनको आप पाबन्द करें, दुकान 10 दिन ही खुली रहती हैं। जब नयी दुकानें खुलें तो 8 या 10 किलोमीटर का डिस्टेंस..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें। माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा कि इनमें 110 दुकानें हैं और इसमें भी अभी 14 दुकानें वैकेंट हैं, वे अस्थाई रूप से अटैच्ड चल रही हैं, उसमें आठ का त्यागपत्र, दो निरस्त एवं चार की मृत्यु के कारण, इनको हम जल्दी भर देंगे। आपने कहा कि और राशन की दुकानें, 300 गांव हैं। माननीय सदस्य, जहां भी आपको आवश्यकता है, आप जरूर बताइये। उस विचार करके वहां दुकान खोलने के प्रस्ताव पर जरूर विचार करेंगे।

श्री पुष्कर लाल डाँगी (मावली): मैंने कलेक्टर साहब को विवरण एवं चिट्ठी लिखकर भेजी है।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप मुझे दीजिये। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम आपके वहां पर आवश्यकतानुसार दुकानें खोलेंगे। आपका दूसरा प्रश्न वृद्ध लोगों के लिए था। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि 01 जुलाई से हमारी सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर 18 से कम और 60 से ऊपर जो निराश्रित लोग हैं, उनको घर-घर जाकर राशन देने की व्यवस्था शुरू की है, जो पहला नवाचार राजस्थान में किया गया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरिसिंह रावत।

होमगार्ड जवानों को ईपीएफ सुविधा

275. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या गृह रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार होमगार्ड जवानों को 365 दिन नियमित रोजगार देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार होमगार्ड अधिनियम, 1962-63 में संशोधन कर होमगार्ड सेवा नियम बनाये जाने व होमगार्डों को ईपीएफ सुविधा दिए जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह रक्षा मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) जी नहीं। राजस्थान होम गाड्‌र्स अधिनियम, 1963 की धारा 2 के अनुसार होम गाड्‌र्स एक स्वयं सेवक निकाय है।

विभिन्न विभागों/एजेन्सियों को आवश्यकता होने पर, उनकी मांग अनुसार राजस्थान होम गाड्‌र्स अधिनियम, 1963 की धारा 4 एवं राजस्थान होम गाड्‌र्स नियम, 1962 के नियम 17 के तहत नामांकित होम गाड्‌र्स का नियोजन किया जाता है।

(2) जी नहीं। राजस्थान होम गाड्‌र्स अधिनियम, 1963 एवं राजस्थान होम गाड्‌र्स नियम, 1962 में संशोधन कर होम गाड्‌र्स सेवा नियम बनाए जाने व होमगार्डों को ईपीएफ सुविधा दिए जाने का वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान होम गाड्‌र्स अधिनियम, 1963 की धारा 2 के अनुसार होम गाड्‌र्स एक स्वयं सेवक निकाय है। होमगार्ड स्थायी/अस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में नहीं होने के कारण इनको कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत ईपीएफ की सुविधा देय नहीं है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया है। मैं मंत्री महोदय से सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं कि क्या होम गार्ड जवानों की 12 माह नियमित ड्यूटी किये जाने का विचार सरकार रखती है? क्या राजस्थान के होम गार्ड जवानों को अन्य राज्य की भांति डीए दिये जाने का विचार रखती है? यदि रखती है तो कब तक व नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, होम गार्ड स्वयं सेवक हैं। स्वयं सेवक हैं तो जैसे हमारी अन्य संस्थाओं से, विभागों से मांग आती है, वहां पर हम भेजते हैं। जैसे-जैसे मांग आती है, वैसे-वैसे भेजते हैं, रोस्टर प्रणाली से। कई लोगों को हम नियमित 12 मास नहीं दे पाते हैं। यह सही है, क्योंकि उन होम गाड्‌र्स की भी यह डिमांड आती है कि हमको 12 मास मिलना चाहिए। यह सोचने का विषय है। निश्चित रूप से हम इस पर विचार करेंगे। दूसरा, आपने डीए का कहा है। डीए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये स्थाई कर्मचारी नहीं हैं। दूसरा यह है कि पहले इनकी 10 परसेंट राशि कटती थी, लेकिन अब वह राशि नहीं कटती है। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि इनको 10 परसेंट राशि पुन: कटे, यह हम विचार करेंगे।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम सवाल है। क्या होम गार्ड अधिनियम की धारा 262-263 में संशोधन कर होम गार्ड जवानों का स्वयं सेवक शब्द हटाने का विचार रखती है?

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी हम इस पर विचार करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो इनको कुछ लाकर भी कर सकते हैं।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री छोटू सिंह।

कार्यालय आवंटन अधिकारी नाचना, मोहनगढ़ में जारी फर्जी डिक्रियों पर कार्यवाही

276. श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि कार्यालय आवंटन अधिकारी नाचना, मोहनगढ़ ए तथा बी में आवंटन अधिकारियों के नाम से विगत कई वर्षों में फर्जी डिक्रियां जारी कर नामांतरण भी दर्ज कर दिये गए? यदि हां, तो सरकार द्वारा गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट पर हुई अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उपनिवेशन मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): जी हां। शासन के आदेशों के क्रम में गठित जांच कमेटी आदेश 'परिशिष्ट-ए' पर संलग्न है। जांच कमेटी का जांच प्रतिवेदन परिशिष्ट-बी पर संलग्न है। शासन के निर्देशों के क्रम में जांच प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का विवरण 'परिशिष्ट-सी' पर संलग्न है।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): मेरा पास जवाब आ गया है। आदरणीय मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः जरूर पूछिये।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उपनिवेशन विभाग में सबसे बड़े भूमि घोटाले का मामला है, नाचना का। आवंटन अधिकारी द्वारा फर्जी डिक्रियों के माध्यम से 42845 बीघी जमीन का घोटाला हुआ है। जिसमें केवल एक आरएएस अधिकारी को 16सीसी का नोटिस देकर इतिश्री कर दी। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि ठीक इसी तरह से मोहनगढ़ में भी 29 प्रकरण रहे हैं, जिसमें 12971 बीघा भूमि का घोटाला, उन्हीं फर्जी डिक्रियों के द्वारा हुआ। उसमें भी केवल चार कर्मचारियों को निलंबित करके इतिश्री कर दी।

आदरणीय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि भू-माफिया ने यहां तक कि उस भूमि को भी कब्जे में लिया, वहां ट्यूबवैल भी खुदवाये और वहां ट्रेक्टर लगाकर समतलीकरण भी कर दिया और अभी वह उनके कब्जे में भी है। आदरणीय निवेदन है, मंत्री जी सुन रहे हैं। यह मेरी व्यथा है। आदरणीय, मैंने सदन के प्रथम सत्र में भी इसी प्रश्न को पूछा था। मंत्री जी, प्रश्न संख्या 1975 का मामला है कि मोहनगढ़ थाने में यह प्रकरण दर्ज हुआ और मोहनगढ़ थाने का जवाब आया कि छह प्रकरणों में एफआईआर दर्ज हुई। यह मैं प्रश्न संख्या 1975 की बात कर रहा हूं। मैंने फिर द्वितीय चरण आज के प्रश्न 276 में पूछा है कि विभाग कह रहा है कि 19 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज हुई। आदरणीय, इसमें कौनसा सही है? पहले तो यह बताइयेगा कि विभाग सही है या पुलिस सही है? एक तो यह बतायें। इसके अलावा भी अधिकांश चीजों में आज भी सत्य को छिपाने की कार्यवाही विभाग कर रहा है। यह बतायें कि यह कैसे हुआ, 19 है या 6 है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): छोटू सिंह जी द्वारा बिल्कुल सत्य कहा गया है। यह

सही है कि आवंटन अधिकारी कार्यालय, नाचना, मोहनगढ़ ए और मोहनगढ़ बी में आवंटन अधिकारियों के नाम से विगत कई वर्षों से फर्जी डिक्रियां जारी की गयी हैं व उनके आधार पर रिकॉर्ड में नामान्तरण भी दर्ज किये गये हैं। उपायुक्त उपनिवेशन, नाचना के कार्यालय द्वारा जारी डिक्रियों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच कर एफआईआर संख्या 20/2018 दर्ज की गयी है। नाचना कार्यालय से सम्बन्धित सभी प्रकरणों में समस्त रिकॉर्ड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कब्जे में होने के कारण विभागीय स्तर पर यह निर्धारण किया जाना संभव नहीं है कि कुल कितने प्रकरणों में जारी डिक्रियां फर्जी हैं? वर्ष 2010 से अब तक जारी डिक्रियों में कुल 341 नामान्तरण दर्ज किये गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कमांड भूमि 16834.5 बीघा, अन-कमांड भूमि 3318.9 बीघा और बरानी भूमि 22692.19 बीघा, कुल मिलाकर 42845.75 बीघा के मामले में यह हुआ है। उपनिवेशन विभाग, बीकानेर के पत्र क्रमांक 1781-1794 दिनांक 16 जुलाई, 2024 तहसील नाचना (एक) व दो..

श्री अध्यक्षः उन्होंने जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर दीजिये।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): पूरा डिटेल बताना पड़ेगा।

श्री अध्यक्षः डिटेल नहीं, आप तो प्रश्न का उत्तर दे दीजिये, जो पूछा है।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): जांच कमेटी के आधार पर कार्यवाही करेंगे।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत पूछना चाहता हूं कि मैंने क्वेश्चन किया था, उसका आधा हिस्सा काट लिया। कोई बात नहीं है। मेरे को अधिकार है, मैं दुबारा पूछूंगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले में टोटल 55 हजार बीघा पर राजस्थान का सबसे बड़ा भूमि घोटाला हुआ है। क्या राज्य सरकार एसओजी व एसआईटी से जांच करने का विचार रखती है? यदि रखती है तो कब तक? इसका जवाब दें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः सुनें। उत्तर सुनें।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): यह विगत सरकार का मामला है। पांच साल आपकी सरकार ने इस पर कार्यवाही नहीं। यह उस फैसले का मामला है। छिपा कर रखा है, आपके मंत्रियों द्वारा।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने जो कहा है, वह बिल्कुल सत्य है और इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके के माध्यम से सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस पूरे घोटाले की कमेटी से जांच कराकर पूरी तह में जाकर जो भी दोषी अधिकारी/कर्मचारी हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। यह मैं सदन के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

mdp/rtm/29.07.2024/11:50/1f

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहरथाना तहसील के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वन भूमि

277. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील मनोहरथाना के कौन-कौनसे गांवों का आबादी क्षेत्र राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम दर्ज है? ग्रामों का नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करवाकर उक्त क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्या का स्थायी समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग) (राज्य मंत्री, वन के स्थान पर): (1) तहसील मनोहरथाना का कोई भी गांव आबादी क्षेत्र राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम दर्ज नहीं है।

(2) बिन्दु संख्या 1 के प्रत्युत्तर के क्रम में विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि विभाग ने जो जानकारी दी है आधी-अधूरी दी है। मेरा विधान सभा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें आदिवासी भील समाज के लोग विद्यमान हैं। उन्होंने करीबन 20 साल से वन क्षेत्र में अपने मकान बना रखे हैं। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वन विभाग की भूमि पर जितने भी आदिवासी लोगों ने वर्षों से मकान बना रखे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल में अपनी जगह पर बैठिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): उनको पट्टा देने पर विचार रखती है? दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि वन भूमि आबादी में कन्वर्ट करने के लिए राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त कर आप उनको पट्टा देने पर विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय सदस्य ने सवाल में पूछा है तहसील मनोहरथाना का कोई भी गांव आबादी क्षेत्र राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम दर्ज नहीं है। बिन्दु सख्ंया 1 के प्रत्युत्तर के क्रम में विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): मैं तो आपसे यह पूछना चाहता हूं कि वास्तव में सही है कि करीबन 20 सालों से आदिवासी लोगों के मकान बने हुए हैं तो आप वन भूमि को आबादी क्षेत्र में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? इस प्रकार से पट्टा देने पर विचार करते हैं।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि पूर्व में दिये गये जवाब में मैंने सब कुछ बता चुका हूं।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। अगला प्रश्न। श्री धर्मपाल।

खेतड़ी में सहकारी समितियों के भवन व गोदाम का निर्माण

278. श्री धर्मपाल (खेतड़ी): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में विगत पांच वर्षों में कितनी सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित कितनी सहकारी समितियों के भवन व गोदाम विद्यमान हैं? विगत पांच वर्षों में कितनी सहकारी समितियों के भवन व गोदाम निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई हैं? उनमें से कितने कार्य पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री गोतम कुमार): (1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में विगत पांच वर्षो में 9 सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2) खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की 17 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भवन व गोदाम विद्यमान है। विगत पांच वर्षो में 3 समितियों में भवन व गोदाम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें भवन व गोदाम निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो निम्नानुसार हैं- 1. सेफरागुवार, 2. चारावास, 3. मान्दरी।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास मूल प्रश्न का उत्तर आ गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सहकारी समितियों के द्वारा कृषि हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है, परंतु फसल उत्पादन नहीं होने या अन्य किसी कारण से गरीब किसान उक्त ऋण समय पर नहीं लौटा पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, ये बताने की कृपा करें कि ऐसे किसानों को जो ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, उनका ऋण माफ किये जाने की मंशा राज्य सरकार रखती है? यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय खेतड़ी से आने वाले सदस्य द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है, वह सहकारी समितियों के गठन के बारे में पूछा गया है। वहां पर गोदामों की स्थिति के बारे में पूछा गया है। अगर वह ऋण के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत आकर मिले, उनको जो भी जानकारी चाहिए मैं उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष जी, पूरक प्रश्न संख्या दो, वर्तमान में सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति लाभ जो मिलने चाहिए, वे नहीं दिए जा रहे हैं। मंत्री महोदय, ये बताने की कृपा करें राज्य सरकार उक्त कर्मियों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति उपरांत मिलने वाले लाभों की सुविधा शुरू की जा सकती है? अगर हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय सदस्य द्वारा यह प्रश्न भी इस प्रश्न

से सम्बन्धित नहीं है, फिर भी जो कोई भी आपको असुविधा है या जो भी प्रश्न है, आप व्यक्तिगत रूप से मिलें। पेंशन की बात हो या कोई और बात हो, उसको करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों से निवेदन है कि प्रश्न से सम्बन्धित ही पूरक प्रश्न पूछें।

प्रश्न संख्या: 279

अगला प्रश्न। डा. सुरेश धाकड़।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री अमृतलाल मीणा।

विधवा व वृद्धावस्था योजना के लाभार्थी

280. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2024 तक विधवा/विकलांग/वृद्धावस्था पेंशन के कितने पात्र व्यक्ति राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की पेंशन प्राप्त कर रहे थे? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में वृद्धावस्था, विकलांग व विधवा पेंशन से कितनों को लाभान्वित किया गया है? वर्षवार व वर्गवार लाभान्वितों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) 01 जनवरी, 2024 को प्रदेश मे विधवा/विकलांग/ वृद्धावस्था श्रेणियों में पात्रता अनुसार केन्द्र प्रवर्तित एव राज्य द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत कुल 86,84,100 व्यक्तियो को लाभांवित किया जा रहा हैं। जिलेवार वर्षवार व वर्गवार लाभान्वितों का संख्यात्मक विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-अ)

(2) जी हाँ। सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु पात्र व्यक्तियों को प्रतिवर्ष वृद्धावस्था/विकलांग/ विधवा पेंशन योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

पिछले तीन वर्ष में वर्गवार एवं जिलेवार पेंशन लाभार्थियों का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-ब)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करें कि विगत तीन वर्षों में क्या राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जांच की गयी कि कितने पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित हैं एवं कितने अपात्र पेंशन में पाये गये? यदि हां तो कब तक, नहीं तो कितने पात्र और अपात्र व्यक्ति पाए गए, राज्य सरकार द्वारा?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा विवरण आपको प्रश्न के उत्तर में भिजवाया जा चुका है, जिसमें बताया है कि कितने लोगों को पेंशन से लाभ दिया गया है, कितने आवेदन आए, कितने लाभान्वित किये गये, कितने बकाया हैं, पूरा लम्बा उत्तर है, अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा। मेरे

पास में पूरा विवरण है। मैं सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि पर्टिकूलर आपके विधान सभा क्षेत्र का, जिले का या राजस्थान का, ये पूरा विवरण है, फिर भी आपको किसी चीज की आशंका है या जानना चाहते हैं तो मुझसे व्यक्तिगत सम्पर्क कर बता दें, आपको उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): मंत्री जी, यह बताने की कृपा करें कि क्या सरकार विधवा, दिव्यांग एवं वृद्धावस्था पेंशन को पात्र व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से जोड़कर वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों? क्या सरकार जनजाति क्षेत्रों में पेंशन राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हमने यह कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी, हम पेंशन राशि में वृद्धि करेंगे। अभी एक अप्रैल, 2024 से माननीय मुख्य मंत्री जी के कर कमलों से झुंझुनूं में एक विशाल कार्यक्रम हुआ, जिसमें राज्य के 89 लाख लोगों को 1 हजार 37 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जा चुका है। मई तक का भुगतान हो चुका है और हमने 15 प्रतिशत की राशि बढ़ोत्तरी करने का निर्णय किया। 1500 रुपये तक बढ़ाएंगे। 1000 से 1150 रुपये की राशि अभी मिल रही है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, पेंशन बढ़ाने का कोई कानून राजस्थान में बना है? अगर बना है तो कब से लागू है? 15 परसेंट जो पेंशन बढ़ाने का कानून है राजस्थान में, वह कब से लागू है?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने जितनी भी घोषणाएं की, कानून लाए, उसमें एक कानून यह भी था मिनिमम गारंटी का, इनकम का। यह बात सही है कि आपने भी कानून बनाया था। लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जो घोषणा सरकार बनने के प्रथम वर्ष में करनी थी, कांग्रेस सरकार ने चुनाव में जाते-जाते की, एक भी व्यक्ति को आपकी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नहीं मिला। ...(व्यवधान)... हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने 1 अप्रैल, 2024 से बढ़ी हुई राशि की पेंशन का भुगतान देने का निर्णय किया और एक ही बटन से, जैसा प्रधान मंत्री महोदय डीबीटी के माध्यम से करते हैं, वैसा मुख्य मंत्री जी ने 89 लाख लोगों को पेंशन राशि दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और है पिछली कांग्रेस सरकार के समय पेंशन के भुगतान की जो पेंडेंसी थी, वह तीन महीन से ज्यादा हुआ करती थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इस पेंडेंसी को एक महीने किया है। एक-दो महीने के बाद में यह पेंडेंसी भी हम जीरो कर देंगे और हमने जो कहा है, वह किया। इसलिए पूरे राजस्थान का जो पेंशनर समाज है, वह माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतनी-सी जानकारी

माननीय मंत्री महोदय को देना चाहूंगा कि पहले वर्ष में हमने 500 से बढ़ाकर 750 की थी, ये जानकारी आप रख लीजिए, जो आप कह रहे हैं कि आपके पहले वर्ष में जो 150 बढ़े हैं, वह हमारे कानून की वजह से बढ़े हैं। हमने पहले साल में ही 250 बढ़ाए। तीसरे साल में फिर वापस 250 बढ़ाए। ...(व्यवधान)... 500 की 750 और 750 की 1000 हमने की।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब आप मंत्री नहीं हैं। आपको जवाब नहीं देना है। जवाब इनको देना है, जो दे चुके हैं। नयी परम्परा बना रहे हैं आप ...(व्यवधान)... गलत परम्परा बना रहे हैं। आप जवाब देने के लिए नहीं हैं1 आप उत्तर सुनने के लिए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सचेतक महोदय।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा है कि ...(व्यवधान)... माननीय सचेतक महोदय।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): यह बहस नहीं है। ...(व्यवधान)... जनरल बहस नहीं है।

श्री अध्यक्ष: हो गया। अगला प्रश्न। श्री हमीर सिंह भायल।

बालोतरा में खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु सर्वे

281. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या खाद्य एवं नागरिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बालोतरा में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कितने प्रतिशत लोगो को खाद्यान्न दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले में पुनः सर्वे करवाकर खाद्य सुरक्षा योजना में अतिरिक्त नाम जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना में शेष रहे 30 प्रतिशत परिवारों को भी ए.पी.एल. श्रेणी न्यूनतम दर निर्धारित करके खाद्यान्न देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री(श्री सुमित गोदारा): माननीय अध्यक्ष जही (1) वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रीय ख़ाद्य सुरक्षा योजना के तहत बालोतराजिलें में कुल 69.06 प्रतिशत लोग योजना में चयनित है। तथा चयनित लाभार्थियों को खाधान्न दिया जा रहा है।

(2) भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु निर्धारित सीलिंग सीमा 4.46 करोड के विरुद्ध शेष रहे स्थान के विरुद्ध लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किये जाने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त नहीं करके पूर्व में प्राप्त कुल 19.58 लाख आवेदन में से लंबित आवेदन लगभग 13.9 लाख में से परीक्षण पश्चात नाम जोडने की कार्यवाही विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(3) वर्तमान में इस संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... मेरे पास उत्तर आ गया है।

Ans/rtm 12.00 1g 29.07.2024

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): जारी...

मेरा निवेदन यह है कि क्या सरकार खाद्य एवं सुरक्षा में जुड़े परिवारों में जन्में बच्चों का नाम, जिनकी उम्र 5 वर्ष या उससे कम है, इसी राशन कार्ड में जोड़ने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक?

श्री अध्यक्ष: बैठिए। प्रश्न काल समाप्त।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति।

अनुपस्थिति अनुमति

अशोक गहलोत, श्री, सदस्य को द्वितीय सत्रावधि हेतु

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री अशोक गहलोत, सदस्य विधान सभा द्वारा स्लिप डिस्क हो जाने के कारण, 16वीं राजस्थान विधान सभा के द्वितीय सत्र में सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री श्रवण कुमार, एवं 13 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में एम. जे. एम. कोर्ट के लिए स्थान आवंटित किए जाने के संबंध में।

(2) श्री चेतन पटेल कोलाना, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयारण्य कोटा के अपस्ट्रीम से हैंगिंग ब्रिज तक नदी के दोनों और एक किलोमीटर क्षेत्र को सेंचुरी से विमुक्त नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री विकास चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्राम खण्डाच में तालाब की जमीन पर अतिक्रमण का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर फायरिंग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) डॉ. शिखा मील बराला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं में जल- जीवन मिशन के कार्यों की धीमी गति से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के

चुनावों में तीन संतान होने पर अयोग्य घोषित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) डॉ. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना के ग्रामीण क्षेत्रों में गन्दे पानी की निकासी हेतु ठोस कार्ययोजना नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्रीमती इन्द्रा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास की ग्राम पंचायत, भांवरा, बाढ़ मोहनपुर व सीतोक में विकास कार्यों में की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ ज़िले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के शाहजहांपुर कस्बे को नगर पालिका बनाये जाने के संबंध में।

(10) श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से जिला स्तरीय कार्यालय एक ही स्थान पर होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11 श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के प्रधान एवं उप प्रधान के वार्ड नगर पालिका क्षेत्र में आने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री मनीष यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश के किसानों को वर्ष 2022-23 की रबी की फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से बाड़मेर ज़िले में विद्युत तंत्र के सुधार हेतु एफ.आर.टी. को क्रियाशील किये जाने के संबंध में।

(14) श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से चूरू ज़िले के किसानों को फसल खराबे की बीमा राशि का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

(15) श्री टीकाराम जूली, सदस्य की ओर से प्रदेश में बजरी माफियाओं पर अंकुश नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(16) श्री जयकृष्ण पटेल, सदस्य की ओर से श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज सीकर के छात्र की हत्या के दोषियों पर कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(17) दिनांक 25 जुलाई, 2024 को सलूम्बर ज़िले के जावरमाइंस थाना क्षेत्र में शिक्षक की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निम्नांकित सदस्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए है:-

1. श्री थावर चन्द
2. श्री पितराम सिंह काला
3. श्री डूंगरराम गेदर

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री टीकाराम जूली, श्री जयकृष्ण पटेल, श्री थावर चन्द एवं श्री पितराम सिंह काला को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति हो

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती इन्द्रा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने एवं जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

(2) श्री अरुण चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने एवं सुविधाओं में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

(3) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की ग्राम पंचायत बडलियास और नन्दराय के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

(4) श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से प्रदेश की पंचायत राज संस्थाओं को एस.एफ.सी., एफ.एफ.सी. एवं नरेगा की बकाया राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में।

(5) श्री अंशुमान सिंह भाटी, सदस्य की ओर से पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने से ग्रामीणों को हो रही परेशानियों के संबंध में।

(6) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम के किसानों की भूमि को सेटलमेंट विभाग द्वारा बिलानाम एवं वन विभाग में दर्ज किये जाने से काश्तकारों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(7) श्री उदयलाल भडाणा, सदस्य की ओर से तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा में बिना कोई सार्वजनिक सूचना के सोसायटी को नियम विरुद्ध भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में।

(8) डॉ. सुभाष गर्ग, सदस्य की ओर से आर.बी.एम. अस्पताल भरतपुर के सुपर स्पेशियलिटीज विभाग के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में।

(9) श्री मनोज कुमार (सादुलपुर), सदस्य की ओर से प्रदेश में रीट भर्ती 2016 एवं 2018 की प्रतीक्षा सूची की पात्रता के सत्यापन करने संबंधी प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच करवाये जाने के संबंध में।

(10) श्री समरजीत सिंह, सदस्य की ओर से भीनमाल शहर में बाईपास का निर्माण किये जाने के संबंध में।

(11) श्री अशोक कुमार कोठारी, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा शहर में एलिवेटेड रोड एवं रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(12) श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर की ग्राम पंचायत पथैना को उप तहसील बनाये जाने के संबंध में।

(13) श्री देवी सिंह शेखावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर के विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किये जाने के संबंध में।

(14) श्री राधेश्याम बैरवा, सदस्य की ओर से बारां शहर में तेल फैक्टरी स्थित पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्न्त किये जाने के संबंध में।

(15) श्री कुलदीप, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में राजसेस के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों को राजकीय करने के संबंध में।

आज चूंकि आप एप्रोपिएशन बिल पर चर्चा भी होनी है। विपक्ष के नेता भी बोलेंगे। सदन के नेता भी बोलेंगे, अतः इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट देखें।)

पर्ची

आज दिनांक 29/07/2024 को शून्यकाल में बोलने हेतु 36 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई, जो निम्नानुसार हैं:-

1. श्री गणेशराज बंसल, हनुमानगढ़ जिला में मूँगफली के सरकारी खरीद केन्द्रों की संख्या बढाये जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री आदू राम मेघवाल, विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित विभिन्न उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला अस्पताल चौहटन में पिछले लंबे समय से चिकित्सों एवं नर्सिंग ऑफिसरों रिक्त पद होने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री राम सहाय वर्मा, विगत सरकार में किसानों से फसल बीमे की मोटी प्रीमियम राशि वसूली करने एवं बीमा कंपनियों की मनमानी से विगत पांच वर्षों के कार्यों की जांच की आवश्यकता के संबंध में।

4. श्री हरलाल सहारण, विधान सभा क्षेत्र में कृषि बीमा क्लेम के संबंध में।

आज जीरो ऑवर में सब लोगों से आग्रह है कि हम कम से कम समय में अपनी बात पूरी करे। आज मांग संख्या 40, चार बजे माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे और पांच बजे माननीय सदन के नेता जवाब देंगे। इसके पहले डेढ़ बजे की समय अवधि में दोनों विधेयकों पर बोलने का समय मिल सकेगा। इसलिए आज भी भोजन अवकाश को अपन स्थगित या समाप्त करते हैं, ताकि चर्चा अधिक समय चर्चा हो सके।

श्री टीकाराम जूली।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण लगाया था।

श्री अध्यक्ष: पहले यह खड़े हुए हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 15 दिन पहले एक ध्यानाकर्षण लगाया था, उसका भी नहीं आ रहा था। 2020 व 2022 का मुआवजा नहीं दिया सरकार ने। अब आप बताओ, ओलावृष्टि का पैसा भी नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, आ गया ध्यान में।

VPS-RTM-29.07.2024-12.10-1h

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 295 आप जो पढ़ा हुआ मानने की इजाजत देते हैं, 295 को जिस दिन पढ़ा हुआ मानने की इजाजत देते हैं तो थोड़ा सा संशय है हाउस में नये जो माननीय सदस्य हैं उनको कि साहब, फिर बोलेंगे नहीं तो हमारा बाहर पब्लिक में जायेगा नहीं। हमारे क्षेत्र में जाएगी नहीं, मीडिया में नहीं जायेगी तो मैं आपके माध्यम से यह क्लियर करना चाहता हूं कि आप उससे सहमत भी होंगे क्योंकि वह पढ़ा हुआ ही माना जाता है, वह आप क्लियर कर दें।

श्री अध्यक्ष: सदन में यह व्यवस्था है कि 295 एक बार सदन के पटल पर आ गया और मैंने बोल दिया, उसके बाद चाहे पढ़ा जाये या चाहे नहीं पढ़ा जाये वह सदन की संज्ञा में आ गया, उसके जवाब उन सदस्यों को जरूर मिलेंगे।

अनुरोध एवं मांग

श्री शान्ती धारीवाल, माननीय सदस्य द्वारा सदन की बैठक दिनांक 26.7.2024 में आपत्तिजनक शब्द/अभिव्यक्ति के प्रयोग पर कार्यवाही की मांग

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, शुक्रवार को यू.डी.एच. की डिमांड पर राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व यू.डी.एच. मंत्री माननीय धारीवालजी बोल रहे थे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: ध्यान में आ गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): उस समय उन्होंने सभापतिजी की कुर्सी को चैलेंज किया, उन्होंने उनको +++ कहा, +++ और पता नहीं क्या-क्या शब्द कहे। वे गृह मंत्री रहते हुए भी यह कह चुके कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको या तो आप माफी मंगवाओ या उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि सदन की मर्यादा, राजस्थान की जो परम्पराएं हैं, वे पूरे देश में गिरी हैं। पूरा मीडिया ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। माननीय सदस्य, यह मेरे संज्ञान में आ गया है। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ऐसा कृत्य धारीवालजी ने किया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये। इसकी व्यवस्था कल प्रश्न काल के बाद दी जायेगी। आप अध्यक्ष को मजबूर नहीं कर सकते हो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हर बार वे इस तरह करते हैं। वह सभापति को चैलेंज नहीं था बल्कि आपकी कुर्सी को चैलेंज था। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मैंने कह दिया है कि कल प्रश्न काल के बाद इस पर व्यवस्था दी जायेगी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): यह सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष: कल प्रश्न काल के बाद इस पर व्यवस्था दी जायेगी। कल व्यवस्था दी जायेगी। माननीय टीकाराम जूली।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही अनुरोध करूंगा

कि आज ही आप व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्षः नहीं, उस दिन सदन को पहले यह निर्देशित नहीं किया गया था कब व्यवस्था दी जायेगी। कल प्रश्न काल के बाद इसकी व्यवस्था दी जायेगी। अब आप स्थगन पर बोलिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष: वह आप पहले मेरे को लिखकर भेजो तब अनुमति मिलेगी। क्या पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन देना चाह रहे हो, पहले आप लिखकर भेजो।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

प्रदेश में निरंकुश बजरी माफिया

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे नियम 50 के तहत बोलने का मौका दिया।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश में लगातार अवैध खनन के चलते कानून-व्यवस्था की स्थिति चरमरा गयी है और लगातार समाचार पत्रों में ऐसी खबरें आती हैं जिससे कि अवैध खनन के कारण हत्याएं तक की जा रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्रीजी की लूणी तहसील में भी अवैध बजरी का खनन हो रहा है और जब महिला सरपंच ने इस बाबत मोर्चा खोला तब प्रशासन की नींद टूटी और उसने अवैध बजरी के स्टॉक को सीज किया। इसी प्रकार से लूणी के धुंधाड़ा में अवैध खनन के विवाद में एक युवक की हत्या हो गयी, उसके बावजूद भी अवैध खनन बंद नहीं हो पाया। थाना पुलिस शिकारपुरा में आये दिन दिनदहाड़े बजरी का अवैध खनन एवं परिवहन में लिप्त 9 डम्पर व एक एस.यू.वी. जब्त की और दो चालकों को गिरफ्तार किया और तीन मुख्य आरोपी धक्का-मुक्की करके जे.सी.बी. को भगा ले गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अजमेर के केकड़ी क्षेत्र में भी लीज होने के बावजूद अवैध बजरी खनन और परिवहन का खेल खेला जा रहा है। अवैध बजरी खनन को रोकने में सरकारी तंत्र विफल हो रहे हैं। केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर और देवली में लीजों की मियाद खतम हो चुकी है, इसके बावजूद भी लगातार अवैध बजरी खनन हो रहा है। न मौके पर चैकिंग हो रही है, न नाकों पर चैकिंग हो रही है बल्कि पुलिस तो अवैध खनन पर मुंह फेरे बैठी है। बनास में चौकी के सामने दो हजार ट्रॉलियां रोजाना निकल रही हैं और टोंक में तो खनन माफियाओं ने सिपाही को भी कुचल दिया था।

इसी प्रकार से झालवाड़ा के भवानीमंडी में बजरी खनन को लेकर हुए झगड़े में दो सगे भाइयों सहित पांच लोगों को डम्पर से कुचल दिया गया। इसी प्रकार से यह जो मैंने अभी बताया कि यह 04 जुलाई की घटना है।

दूसरा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भरतपुर, धौलपुर के बीहड़ से लेकर लोहागढ़ तक बजरी माफिया द्वारा धौलपुर से गुजर रही चम्बल नदी से अवैध बजरी खनन कर रहे हैं।

अवैध खनन का खेल रात में ज्यादा होता है। रात में भारी वाहनों से बजरी आगरा, भरतपुर समेत अन्य शहरों में पहुंच रही है। बजरी माफिया अवैध बजरी सप्लाई की चेन में धौलपुर से रूपवास और भरतपुर तक पूरा नेकवर्क जुड़ा हुआ है और पुलिस की सूचना देने के लिए एडवांस में एक कार चलती रहती है।

भीलवाड़ा में बनास नदी में अवैध बजरी खनन के साथ बजरी लीज धारक नियमों को ताक में रखकर स्टॉक से ओवरलोड डम्पर भरवाकर सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपये की चपत लगा रहे हैं। इसी प्रकार चम्बल घड़ियाल अभयारण्य में भी बजरी माफिया द्वारा चम्बल नदी से बजरी खनन किया जा रहा है। इस क्षेत्र में 96 प्रजातियों के पशु-पक्षी मिलते हैं और यहां पर जीवों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराया हुआ है।

लोकायुक्त ने यह स्वयं माना है कि नियम विरुद्ध बजरी खनन से पट्टों में अरबों रुपयों का घोटाला हुआ है। लोकायुक्त ने खान विभाग से सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत निरस्त एल.ओ.आई. धारकों को नियम विरुद्ध बजरी खनन के पट्टे देने में हुए घोटाले की रिपोर्ट मांगी है। अवैध बजरी खनन से सरकार को 125 करोड़ मिलते हैं और जनता को 8000 करोड़ रुपये चुकाने पड़ रहे हैं, इस प्रकार सरकार और जनता दोनों ही लुट रही है। माफियाओं पर कार्यवाही नहीं होने से उच्च न्यायालय नाराज है। उन्होंने इस खेल में पुलिस विभाग, खान विभाग, वन विभाग, पर्यावरण विभाग एवं परिवहन विभाग पर लगातार डाइरेक्शन भी दिये हैं और खनन विभाग के केस को सी.बी.आई. को भी दिया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय हो गया। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह चाहूंगा कि इस पर सरकार जो कि गूंगी-बहरी बनी हुई है, वह इस ओर भी ध्यान दें। धन्यवाद, अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: श्री जयकृष्ण पटेल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे सदन की यह भावना है कि जो लंच का एक घंटे का होता है, वह करा जाये क्योंकि सभी माननीय सदस्य उसी मानसिकता से आये थे कि हम एक घंटे में यह लंच कर लेंगे तो यह ठीक रहेगा कि लंच का जो आप अवकाश करते हैं, वह अवकाश आज भी यथावत रहे।

श्री अध्यक्ष: सभी की भावनाओं को देखते हुए 1.00 बजे से 2.00 बजे तक लंच रहेगा। आज सबका भोजन आप कराएंगे? सबका भोजन आपकी ओर से है क्या?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद और माननीय साथी सदस्य का भी धन्यवाद कि आप इतने तेज हैं कि हमारी अंतर आत्मा की आवाज को आप अपने आप ही पहचान लेते हैं।

श्री अध्यक्ष: आपसे प्रेम है। चलिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुझे जोगारामजी ने पर्ची भेजी है, साहब।

श्री अध्यक्ष: श्री जयकृष्ण पटेल। (अनुपस्थित)

श्री थावर चन्द।

सलूम्बर के जावरमाइंस थाना क्षेत्र में शिक्षक की हत्या

श्री थावर चन्द (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पिछली 25 तारीख को सलूम्बर के अदवास में एक घटना घटी थी जहां पर तलवार से एक शिक्षक को गर्दन से अलग कर दिया था। साथ में उनके पिताजी के भी हाथ काट दिये थे। चार दिन तक कई सामाजिक संगठन के साथी मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठते हैं। अन्त में कल बहुत सारी मांगों को मानने की सहमति हुई परन्तु एक घटना जो पूर्व में भी हुई थी उसी उदयपुर के अन्दर, कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई थी, तब सरकार ने तत्परता दिखाते हुए एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता एवं परिवार को नौकरी दी गयी थी। कन्हैयालाल टेलर को तो हम नहीं लौटा सके लेकिन उसके परिवार को सम्बल प्रदान करवाया परंतु इस शंकरलाल मेघवाल के परिवार को 31 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया तो सरकार पक्षपात क्यों करना चाहती है?

मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या इस देश के अन्दर दो विधान है क्या? एक को तो करोड़ रुपये का मुआवजा और सरकारी नौकरी और दूसरे को 31 लाख रुपये का मुआवजा। कहां तक ऐसी मानसिकता दलित आदिवासियों के प्रति दिखती है? साथ में कोई ऐसा जिम्मेदार सरकार का मुखिया इस ओर ध्यान तक नहीं देता है।

मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि धरियावद विधान सभा के मुंगाना के अन्दर तीन दिन पहले एक बहुत ही गम्भीर घटना घटती है। सूरजमल लबाना और लक्ष्मी बाई, इनकी उसके पुत्र ने हत्या कर दी और साथ में एक छोटा दो वर्ष का बच्चा था, जिसकी भी हत्या हुई है और जो लक्ष्मी बाई थी, वह गर्भवती थी छह माह की। आज तीन दिन हो गये, उनका भी कोई अता-पता नहीं है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि जितने भी ये आरोपी हैं, इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इसकी पूरी जांच हो। साथ में उस परिवार को जातिगत रूप से प्रताड़ित करते हुए अलग निकाला गया था, ग्यारह लाख का जुर्माना दिया था तो उन सब लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पितराम सिंह काला।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: एक स्थगन प्रस्ताव पर दो-दो को बोलने का मौका दे दिया है।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): अभी जो शंकरलाल वाला जो प्रकरण था, इसमें मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह घटनाएं होती क्यों है और स्पेशली दलित समाज के प्रति ही क्यों होती हैं? इसका मुख्य कारण है कि जब अच्छी तरह से, इसका मैं अख़बार भी लाया हूं, उसके अन्दर यह लिखा है कि उसने अच्छी लोकेशन पर मकान बना लिया था, इसकी वजह से वह जलन रख रहे थे और इसी वजह से इनकी हत्या की गयी। यह प्राथमिक विद्यालय में एक टीचर था और यह ही नहीं, सर, इससे पहले सूरजगढ़ के अन्दर एक बलौदा

गांव के अन्दर वाल्मीकि समाज का व्यक्ति था रामेश्वर, उसकी ठेके पर इसलिए हत्या कर दी गयी कि उसने ठेके पर दारू नहीं ली। इसी प्रकार से 17 वर्षीय लक्ष्मण मेघवाल है बीकानेर का, उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी। वह 19 जुलाई को थाने के अन्दर जाते हैं, थानाधिकार से मांग करते हैं और अनुरोध करते हैं कि साहब, हमें मदद दी जाये।

SSY/RTM/29.07.2024/12:20/1j

वहां का थानाधिकारी किसी प्रकार की कार्यवाही करने से मना कर देता है और 17 वर्षीय लक्ष्मण मेघवाल को पीट-पीटकर मार दिया जाता है।

मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह सामाजिक मुद्दे हैं। समाज का जो ताना-बाना है, इससे बुरी तरह से प्रभावित होने की संभावना है। इस प्रकार की जो गतिविधि की जाती है, उसमें प्रशासन क्या कार्यवाही करता है? उस बलौदा के थानेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? बीकानेर में जो लक्ष्मण मारा गया, उस थानाधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अध्यक्षः इसी पर बोलना है। अब आगे नहीं बोलना है। विराजो। विराजो।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): जोधपुर में शेरगढ़ के अन्दर जो मारा गया, उसके अन्दर क्या कार्यवाही की गयी? ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाये और एक करोड़ का मुआवजा दिया जाये।

श्री अध्यक्षः इस पर चर्चा नहीं होती। विराजो।

पर्ची। श्री गणेशराज बंसल। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, गंभीर घटना है। दलित टीचर को तलवारों से काटकर मार दिया गया ...(व्यवधान)... सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं ...(व्यवधान)... कोई व्यवस्था नहीं। परिवार को नौकरी नहीं।

श्री अध्यक्षः विराजे। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि विराजो। विराजिये, विराजिये। मैंने 2 लोगों से बुलवा दिया। संज्ञान में आ गया ...(व्यवधान)... आप तो बोलो, आप बोलो। आप तो बोलो ना, यह चलता रहेगा ...(व्यवधान)... वैल में नहीं।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

हनुमानगढ़ में मूंगफली के सरकारी खरीद केन्द्रों की संख्या में वृद्धि

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान जिला है और खरीफ के मौसम में स्थानीय स्तर पर बोये जाने वाली मुख्य फसलें ग्वार, कॉटन, धान, बाजरा, मूंग और मूंगफली इत्यादि हैं।

श्री अध्यक्षः वैल में नहीं, वैल में नहीं, उधर जाइये। माननीय सदस्य, फिर आगे से मौका नहीं दूंगा ...(व्यवधान)... विचार करुंगा मैं ...(व्यवधान)... माननीय रफीक खान ...(व्यवधान)... आपको तो बोलने की अनुमति नहीं थी ...(व्यवधान)...

सदन कूप में

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश)

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): गत वर्ष बीटी कॉटन में गुलाबी सुण्डी के प्रकोप के कारण स्थानीय किसानों को बहुत अधिक नुकसान झेलना पड़ा था। किसान कर्जे से उभर नहीं पाए हैं और बैंको के लोन और आढ़तियों के कर्ज भरने में असमर्थ है ...(व्यवधान)... इस बार कॉटन का बुवाई क्षेत्रफल गत वर्ष के लगभग 2 लाख 6 हजार हेक्टेयर से घटकर लगभग 1 लाख 7 हजार हेक्टेयर यानि लगभग 47 प्रतिशत कम हुआ है। कॉटन के विकल्प के रूप में स्थानीय किसानों द्वारा मूंग, धान, बाजरा और मूंगफली इत्यादि फसलों की बुवाई अधिक की गई है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय विपक्ष के नेता, आपके कहने से इनको दिया है मैंने, वरना थावरचन्द का था ...(व्यवधान)... अभी नहीं, बैठो ...(व्यवधान)...

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): इनमें से मैं मूंगफली की फसल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस बार मूंगफली का बुवाई क्षेत्रफल गत वर्ष के लगभग 11 हजार 500 हेक्टेयर से बढ़कर लगभग 22 हजार 200 हेक्टेयर यानि लगभग 93 प्रतिशत अधिक हुआ है ...(व्यवधान)... गत वर्ष हनुमानगढ़ जिले में केवल मात्र एक रावतसर तहसील में मूंगफली की सरकारी खरीद केन्द्र बनाया गया था किन्तु हनुमानगढ़ जिले के किसानों की मूंगफली की बुवाई को देखते हुए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से हनुमानगढ़ जिले में मूंगफली की सरकारी खरीद केन्द्रों की संख्या बढ़ाये जाने हेतु निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: अपनी सीटों पर जाओ। श्री आदूराम मेघवाल। हां, बोलिये, आदूराम ...(व्यवधान)...

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): इसी प्रकार मूंग, बाजरा और धान की सरकारी खरीद समर्थन मूल्य पर किये जाने हेतु भी निवेदन है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत करवाना चाहूँगा कि 2 वर्ष पूर्व धान की सरकारी खरीद की मांग को लेकर हनुमानगढ़ में किसानों द्वारा आन्दोलन भी किया गया था ...(व्यवधान)... तब राज्य सरकार द्वारा धान की सरकारी खरीद की गयी थी। धान हनुमानगढ़ जिला की प्रमुख खरीफ की फसल है इसलिए हनुमानगढ़ जिला के किसानों के हितों के मद्देनजर धान की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद किये जाने हेतु बलपूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ ...(व्यवधान)...

चौहटन के चिकित्सा केन्द्रों में चिकित्सक व नर्सिंग कर्मियों के रिक्त पद

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का सुअवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणा के अंतर्गत ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः संसदीय मंत्री बोल रहे हैं ...(व्यवधान)...जवाब चाहिये, जवाब चाहिये, मंत्री जी बोल रहे हैं, सीटों पर जाओ ...(व्यवधान)...

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): चौहटन में स्थित उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने का मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी से एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह जी खींवसर साहब का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, नहीं सुनना चाह रहे तो विराजो ...(व्यवधान)...

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): चौहटन विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में 127 उप स्वास्थ्य केन्द्र ...(व्यवधान)... प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल संचालित हैं ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः केवल हल्ला मचाना चाह रहे हैं, सुनना ही नहीं चाह रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): जिसमें 25 पद चिकित्सकों के, 38 पद जीएनएम, 7 पद एएनएम, 100 पद अन्य कर्मचारियों, स्त्री रोग विशेषज्ञ, अन्य चिकित्सक, हड्डी रोग विशेषज्ञ आदि तमाम पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं चिकित्सा मंत्री से निवेदन करुंगा कि समस्त पदों को अति शीघ्र भरा जाये ताकि सीमावर्ती क्षेत्र के आम जन को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का उचित लाभ मिल सके ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे चौहटन विधान सभा की मांग के अनुसार ढाकों का तला, पंचायत समिति धनाऊ, मोती की बेरी, भाभों का तला, पंचायत समिति सेड़वा, रड़वा, अम्बावा, खारी, मोगावा, पंचायत समिति बागलिया, जाटों की बस्ती, देवानियां का तला, साकरिया तला, पंचायत समिति चौहटन में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गेड़ा, नहरों की नाड़ी, नवाँ, तला, भंवरिया, केकड़, इन 6 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमोन्नत किया जाये। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीएचसी भूनिया और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मिठडाऊ को क्रमोन्नत किया जाये ...(व्यवधान)... साथ ही अनेकों उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भवन सहित या उनके भूमि आवंटन कर अतिशीघ्र भवनों का निर्माण किया जाये ...(व्यवधान)... जिससे आम जन को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

श्री अध्यक्षः श्री राम सहाय वर्मा। श्री राम सहाय वर्मा। (अनुपस्थित) श्री हरलाल सहारण। पर्ची पर बोलिये ...(व्यवधान)... हां, पर्ची पर बोलो।

चूरू में अदेय कृषि बीमा क्लेम

श्री हरलाल सहारण (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने पर्ची पर बोलने का शून्य काल में अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

जैसा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कई दशकों के बाद भी लगभग 60 से 80 प्रतिशत जनता किसान एवं मजदूर के रूप में अपना जीवन यापन करती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)... इधर से नहीं, इधर से नहीं।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): एक रिपोर्ट के अनुसार भी इस समय कृषि उत्पादन ...(व्यवधान)... दूसरे या तीसरे स्थान पर है। जनसंख्या लगभग 62 प्रतिशत की आजीविका कृषि पर निर्भर है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कोई बोलोगे ...(व्यवधान)...

श्री हरलाल सहारण (चूरू): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जलवायु शुष्क है, इसमें मैं ऐसे क्षेत्र में से आता हूं जहां सर्दी और गर्मी में पारा माइनस एवं 50 डिग्री रहता है। हम मानसून पर निर्भर हैं। अगर मानसून आ जाता है तो किसान खुश है नहीं तो किसान बर्बाद हो जाता है।

इसके साथ-साथ मेरी विधान सभा में 2019-20 में खासोली, 2020-21 में लोहसना पंचायत में गिरदावर एवं पटवारी और बीमा कंपनी ने मिलकर पूरी तहसील में इन 2 पंचायतों में क्लेम में धोखा किया है। उसको दिलाया जाये। खरीफ की फसल में गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार चूरू जिला, तारानगर, सरदारशहर, राजगढ़, सिद्धमुख तहसील में ...(व्यवधान)... की रिपोर्ट है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, वह बोल लें पूरा ...(व्यवधान)...

श्री हरलाल सहारण (चूरू): 2022 में फसल बीमा क्लेम, बीमा कंपनी, एसबीआई, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने आपत्ति खारिज कर ...(व्यवधान)... किसानों को बीमा क्लेम ब्याज सहित दिया जाये। लगभग 700 करोड़ रुपये जनता का इंश्योरेंस कंपनी ने 300 करोड़ रुपये दिये, 400 करोड़ रुपये किसानों के पिछली सरकार बिना कहे ही खा गयी। मैं चाहूंगा कि किसानों को पैसा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, आज किसान परेशान होकर, बीमा क्लेम नहीं मिलने से आत्महत्या करने जा रहे हैं ...(व्यवधान)... अगर किसान खुशहाल होगा तो प्रदेश खुशहाल होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: हो गया। माननीय मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कृपया आप विराजें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उधर हो, उधर हो ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): दलितों पर अत्याचार करने वाले ...(व्यवधान)... बैठो। अभी जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: सुनने का माद्दा भी रखो ...(व्यवधान)... सरकार का जवाब भी सुनो ...(व्यवधान)...माननीय सदस्य, अपनी सीटों पर जाओ।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सलूम्बर के जावरमाइंस क्षेत्र में शिक्षक की हत्या

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह दलितों पर अत्याचार करने वाली कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है ...(व्यवधान)... इनका कोई नहीं, सिर्फ इतना मकसद है कि विधान सभा की कार्यवाही को नहीं चलने देना ...(व्यवधान)... विधान सभा की कार्यवाही में बाधा डालने वाले यह सब लोग हैं ...(व्यवधान)... इन्होंने अपने राज में अत्याचार किये हैं। दलितों पर अत्याचार किये। कानून व्यवस्था भंग की और अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ...(व्यवधान)... जहां तक राजकीय माध्यमिक ...(व्यवधान)... सीकर के छात्र की हत्या का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में जांच करवायेंगे और इसकी पूरी जानकारी एक-दो दिन में सदन में आपके सामने दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री कालीचरण सराफ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के मुख्य जल स्रोत रहे रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में रसूखदारों द्वारा रिसोर्ट, फार्म हाउस, पक्के निर्माण आदि के कारण पानी की आवक नहीं होने की उत्पन्न स्थिति के लिए मैं मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

Spp/Rtm/29.07.2024/12:30/1k

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारे)

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि रामगढ बांध से जयपुर शहर भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। इस बांध का जल बहाव क्षेत्र राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 3610.80 हैक्टेयर है, जिसमें राजस्व विभाग के क्षेत्राधिकार में 2679.88 हैक्टेयर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में 930.92 हैक्टेयर है। उक्त वर्णित जल बहाव क्षेत्र के अलावा पानी कई स्थानो पर निजी खातेदारी भूमि से होकर भी बहता है।

रामगढ़ बांध के बहाव/भराव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने हेतु अब तक जो प्रयास हुए हैं, वो इस प्रकार है-

वर्तमान तक 323.30 हैक्टेयर भूमि पर अवरोधों एवं अतिक्रमणों का चिह्निकरण कर हटाया जा चुका है। यह कार्यवाही सतत् रूप से आगे भी जारी रहेगी।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 2 मीटर से अधिक ऊंचाई के एनिकटों को तोड़ा जाकर उनकी उंचाई 2 मीटर तक सीमित कर दी गई है।

बांध के कैचमेंट क्षेत्र में नदी-नालों की भूमि के संबंध में दिये गये आदेशों के निरस्तीकरण हेतु राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 के अन्तर्गत 638 रेफरेन्स तैयार कर राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किये गये, 338 निर्णित होकर 336 की पालना की जा चुकी है।

रामगढ बांध के जलग्रहण क्षेत्र में नवीन संरचनाओं के निर्माण को विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिबन्धित किये जाने हेतु परिपत्र जारी किये जा चुके हैं।

रामगढ बांध में पानी की आवक को सुगम एवं सरल बनाने हेतु आवक के मुख्य स्रोत बाण गंगा नदी में जल संसाधन विभाग द्वारा 17 किलोमीटर दूरी में चैनेलाइजेशन का कार्य करवाया गया है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ...(व्यवधान). वहां बैठें।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा रामगढ बांध के प्रवाह क्षेत्र एवं जल ग्रहण क्षेत्र में सतत निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा बांध के कैचमेंट क्षेत्र में अवरोधों/अतिक्रमणों के चिन्हिकरण एवं हटाने की कार्यवाही नियमानुसार सतत रूप से की जा रही है।

रामगढ़ बांध के जलग्रहण क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों के भौतिक सत्यापन हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है, जो समय समय पर रामगढ बांध के कैचमेंट क्षेत्र का दौरा कर प्रगति/वस्तुस्थिति की रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को प्रस्तुत करती है और साथ इस रिपोर्ट के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

माननीय न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों की प्रभावी अनुपालना हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.07.2022 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। जिसमें डॉ. समित शर्मा, आई.ए.एस. नोडल अधिकारी हैं। कमेटी द्वारा सैटेलाइट इमेज से अवरोधों/अतिक्रमणों को चिह्नित कर कारवाई करने के निर्देश दिये गये ।

रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण संबंधित प्रस्ताव पर विधान सभा में प्रश्न काल में चर्चा उपरांत समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार का संज्ञान मेरे द्वारा लिया जाकर विभागीय कमेटी भी गठित किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसकी पालना में मुख्य अभियंता, जल संसाधन के आदेश क्रमांक 1822 दिनांक 21.07.2024 द्वारा रामगढ़ बांध क्षेत्र में अवरोधों/अतिक्रमणों के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, जयपुर की अध्यक्षता में विभागीय समिति का गठन किया गया है।

इस विभागीय समिति द्वारा पिछले 5 वर्षों में जल संसाधन विभाग द्वारा राजस्व विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण इत्यादि संस्थाओं को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों की जांच एवं सूची तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समिति यह भी जांच कर रही है कि अनापत्ति

प्रमाण पत्र नियम विरुद्ध तो जारी नहीं हुए हैं। साथ ही नियम विरुद्ध अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की स्थिति में इनको जारी करने वाले अधिकारियों की सूची भी तैयार की जायेगी।

समाचार पत्रों में रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण संबंधित समाचार प्रकाशित होने के उपरांत मेरे द्वारा संज्ञान लेते हुए मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन को जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा भी कमेटी गठन के निर्देश दिये गये, जिस पर जिला कलक्टर,जयपुर के आदेश क्रमांक 2597 दिनांक 22.07.2024 के द्वारा विभिन्न संबंधित विभागों जैसे जल संसाधन विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, उपखण्ड अधिकारी, वन विभाग, राजस्व विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की संयुक्त जांच टीम का गठन किया गया है, जिसके द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के परिप्रेक्ष्य में बांध के भराव/बहाव क्षेत्र का सर्वे का कार्य प्रक्रियाधीन है।

साथ ही विधान सभा के इस सत्र में पूछे गये प्रश्न का गलत जवाब देने के लिए जाँच की जायेगी तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

साथ ही रामगढ बांध के भराव क्षेत्र का सर्वे करवाकर वर्तमान स्थिति का नक्शा तैयार किया जायेगा तथा भराव क्षेत्र के खसरा संबंधी इत्यादि जानकारी एकत्र कर रिकॉर्ड तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में आने वाली मुख्य नदियों के सम्पूर्ण बहाव क्षेत्र की वर्तमान स्थिति में अवरोधों/अतिक्रमणों का Remote Sensing/ Drone द्वारा सर्वे किया जाना आदि कार्य प्रस्तावित है।

बाण गंगा, माधोवेणी व गोमती का नाला/नदियों से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज बहाव क्षेत्र में बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। विभाग द्वारा अवरोधों/अतिक्रमणों को चिह्नित कर हटाये जाने हेतु कार्यवाही भविष्य में भी की जाती रहेगी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारे)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले 20 साल में आपने कई कमेटियां बना दीं, परन्तु अतिक्रमण नहीं हटे और वहां पानी नहीं आ रहा है। जब हाई कोर्ट की मोनिटरिंग कमेटी, जो हाई कोर्ट ने गठित की, और उन्होंने यह चिह्नित कर दिये कि यहां-यहां अतिक्रमण हैं। बाणगंगा नदी व सहायक नदी-नालों में कच्चे-पक्के अतिक्रमण हैं, ऊंचे एनिकट बना दिये गये हैं। रामगढ़ बांध से जुडी रोडा नदी के उदगम स्थल पर करीब 30 फीट ऊंचा बांधनुमा एनिकट बना है। अचरोल नदी के बहाव क्षेत्र में क्रेशर प्लांट एवं एक बिल्डिंग का निर्माण निम्स विश्वविद्यालय के निर्माण से नाले का बहाव बन्द हो गया है। टोडा मीणा गांव में एक PWD ने सी.सी. सड़क का निर्माण कर पानी का रास्ता बन्द कर दिया है। कामरेड कलां में खनन माफियाओं ने नाले के बहाव क्षेत्र को बन्द कर दिया है। इस

प्रकार से 10 अतिक्रमण चिह्नित कर दिये मोनिटरिंग कमेटी ने, तो आप यह रोज-रोज कमेटी क्यों बनाते हो?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि आप सख्त निर्देश दीजिये और जो यह 10 चिह्नित हैं, यह मोनिटरिंग कमेटी ने यह चिह्नित किये हैं, उनको तुरंत तोड़ने का आदेश दीजिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नम्बर दो, जिन्होंने विधान सभा में आपसे गलत जवाब दिलवाया, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ 16 सी सी ए और 17 सी सी ए. की कार्यवाही से कुछ नहीं होगा, इनको आप बर्खास्त करिये और इनके खिलाफ आप एफ.आई.आर. दर्ज कराइये जिससे कि आगे कोई भी इस प्रकार से जवाब देने की गलती नहीं करें। धन्यवाद।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि अतिक्रमणों को चिह्नित कर हटाये जाने की कार्यवाही एक सतत प्रक्रिया है। मेरे द्वारा भी संज्ञान के बाद जिला स्तरीय समिति द्वारा अतिक्रमणों को चिह्नित कर रामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र से 323 हैक्टेयर भूमि से अतिक्रमण व अवरोधों को हटाया गया। आगे भी अतिक्रमण और अवरोधों को चिह्नित कर हटाये जाने की कार्यवाही निरन्तर की जायेगी। माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान के आदेश द्वारा गठित हाई कोर्ट मोनिटरिंग कमेटी द्वारा 25.6.2024 व 26.6.2024 को रामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र के आमेर, शाहपुरा, विराट नगर, जमवारागढ़ तहसील से सम्बन्धित लेखों एवं प्रतिवेदनों की अनुपालना रिपोर्ट जिला कलेक्टर, जयपुर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सम्बन्धित विभागों द्वारा शीघ्र व प्रभावी कार्यवाही करने हेतु अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

मैं माननीय सदस्य को और सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी अतिक्रमण हैं, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिये कि विभिन्न विभागों से सामंजस्य बिठाकर उनको जल्दी हम हटायेंगे और कठोर कार्यवाही करेंगे। मैं आपको और सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जिन अधिकारियों ने यहां गलत तथ्य पेश कर जवाब कराया, उनको हम सस्पैण्ड भी करेंगे और जो भी कठोर से कठोर कार्यवाही हो सकती है, वह करेंगे। इसके लिये हमने जांच के आदेश दे दिये हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ठीक है, धन्यवाद।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री समरजीत सिंह।

भीनमाल जिले के बांडी सिणधरा बांध के बहाव क्षेत्र में स्थित कतिपय गांवों को सिंचाई सुविधा हेतु नहर/वितरिकाओं की स्वीकृती

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 131 के अन्तर्गत आपने जालौर जिले के बांडी सिणधरा बांध, जो दूसरा सबसे बड़ा बांध है, के बहाव क्षेत्र में स्थित कतिपय गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नहर/वितरिकायें स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में जल संसाधन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी, दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): बांडी सणधरा मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण गांव सणधरा तहसील भीनमाल, जिला जालौर के पास बांडी नदी पर 1013 एम.सी.एफ.टी. भराव क्षमता हेतु, वर्ष 2006-07 में पूर्ण किया गया। बांध से ग्राम धूर, भरूडी, मुडतरा, तबाव, जोडवाडा एवं सोमता के 6,922 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जानी है।

परियोजना में मुख्य नहर, एक वितरिका तथा 6 माइनर/सब माइनर कुल लंबाई 44 किमी. निर्मित है, जिनकी जीर्णोद्धार मरम्मत हेतु राशि रूपये 870.70 लाख का कार्यादेश दिनांक 12.04.2023 को जारी किया गया। कार्य पर अब तक राशि रूपये 130.26 लाख का व्यय किया गया है तथा कार्य 31.03.2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। कार्य पूर्ण होने पर कमाण्ड क्षेत्र के गांवों को सिंचाई सुविधा का पूर्ण लाभ मिलना संभावित है।

बांडी नदी के किनारे स्थित खानपुर, भादरडा, कोटकास्ता, लेदरमेर, घासेडी, नरता, कुशलपुरा, भागल सेफटा, नासोली, सथला, दासपो, कोरा इत्यादि गांवों को केवल बांध के ओवरफ्लो होने की स्थिति एवं बांध से नदी में पानी छोड़े जाने के दौरान ही लाभ होता है। बाण्डी सणधरा बांध निर्माण पश्चात् तीन बार (2015,2017 एवं 2023) ओवरफ्लो हुआ तथा बांध से नदी में वर्ष 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2022 तथा 2023 के दौरान पानी छोड़ा गया, जिससे नदी किनारे स्थित गांवों के कुंओं को लाभ हुआ ।

बांध में पानी के कमाण्ड क्षेत्र में स्थित गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के पश्चात् अधिशेष जल उपलब्ध नहीं होने से नये क्षेत्र (प्रस्ताव में वर्णित गांवों) को सिंचाई हेतु नहरों/माइनरों का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

MLS/RTM/29.07.2024/12:40/1l

श्री अध्यक्षः श्री हमीर सिंह भायल।

सिवाना स्थित वीर नारायण परमार राजकीय महाविद्यालय
का भवन निर्माण कार्य

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, वीर नारायण परमार राजकीय महाविद्यालय का स्वीकृत भवन अधूरा पड़ा है। मैं आपके मार्फत् माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालय सिवाना के भवन निर्माण कार्य के सम्बन्ध में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के अनुबन्ध संख्या 18/2018-19 के तहत राशि रुपये 20815757/- का कार्यादेश जारी किया गया था। कार्य को आरम्भ करने की तिथि 13.07.2019 व कार्य पूर्ण करने की तिथि 12.06.2020 दी गयी थी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता उप-खण्ड सिवाना से प्राप्त सूचनानुसार उक्त कार्य का प्रथम रनिंग बिल भुगतान हेतु अधिशासी अभियन्ता, पीडब्ल्यूडी कार्यालय में

प्रस्तुत किया गया, परन्तु कोरोना महामारी के कारण राज्य व देश में लॉकडाउन लगने के कारण कार्य लगभग 5 माह तक बन्द कर दिया गया था। बाद में बजट/साख सीमा प्राप्त नहीं होने के कारण संवेदक को किये गये कार्य का भुगतान नहीं किया जा सका। प्रथम रनिंग बिल का भुगतान मार्च 2021 में किया गया। भुगतान विलम्ब से होने के कारण निर्माण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के कारण संवेदक द्वारा उक्त कार्य को बन्द कर दिया गया था। कोरोना महामारी खत्म होने के उपरान्त संवेदक द्वारा राजकीय महाविद्यालय सिवाना के भवन का ढांचा निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया था तथा फिनिशिंग का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण कर दिया गया था। शेष रहे कार्य को पूर्ण करवाने हेतु संवेदक को समय-समय पर अधिशासी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किये गये एवं सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा कई बार मौखिक रुप से अवगत कराने के बावजूद संवेदक ओम प्रकाश केड़िया एए क्लास पीडब्ल्यूडी, संवेदक अजमेर रोड़ जयपुर द्वारा कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया गया है।

संवेदक द्वारा जून 2023 से उक्त निर्माण कार्य को पूर्णतया बन्द कर दिया गया। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पीडब्ल्यूडी संभाग द्वितीय जोधपुर मुख्यालय बाड़मेर के द्वारा मैसर्स ओम प्रकाश केड़िया पीडब्ल्यूडी एए क्लास संवेदक के विरुद्ध आरटीटीपी नियम 42 (11) (ग) व अनुबन्ध की धारा (2) व (3) के तहत कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी गयी थी। उपरोक्त नोटिस के पश्चात हाल ही में संवेदक द्वारा पुनः कार्य आरम्भ किया गया है तथा आवश्यकतानुसार मैटेरियेल का संग्रहण साइट पर कर दिया है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर दिया जायेगा।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजकीय महाविद्यालय सिवाना की 2011 में कांग्रेस द्वारा थोथी घोषणा की गयी थी। 2013-14 में भाजपा सरकार में इसकी घोषणा हुई। 3 करोड़ का बजट 2016 में दिया गया। 3 करोड़ का और बजट 2018 में दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैसर्स ओम प्रकाश केड़िया एए क्लास कॉन्ट्रैक्टर है। इसने राजस्थान में हर जगह कार्य लिया हुआ है। किसी जगह कार्य पूरा नहीं किया है। अभी भी जो आपके पास रिपोर्ट आयी है 80 परसेंट की, 50 परसेंट काम हुआ है। एक जगह से दरवाजा उखाड़ लेता है और दूसरी जगह का कार्य बन्द कर देता है। राजस्थान में कई जगह इसका काम चल रहा है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत् निवेदन है, इसका पेमेंट रोका जाये। इसने राजस्थान में कम से कम 20 कॉलेजों में काम लिया है, किसी जगह काम पूरा नहीं किया है। मैं आपको ये सारे फोटोज बताता हूं। आज की स्थिति यह है कॉलेज की। मैं इन्हें टेबल करूंगा। अभी भी काम पूरा नहीं किया है। 80 एमबी गलत भरकर 80 परसेंट पेमेंट उठा

दिया है उसने। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में दरवाजे ले जाता है। इस फर्म पर अंकुश लगाएं। जहां भी इसका कार्य चल रहा है, वहां ब्लैकलिस्ट करके पेमेंट रोका जाये और वह कार्य शीघ्र पूरा कराया जाये।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, निश्चित रूप से सही कह रहे हैं, मैं इसकी पूरा जांच करवऊंगा। अभी जैसी जानकारी मेरे पास है, ठेकेदार द्वारा महाविद्यालय के निर्माण स्थल पर निर्माण सामग्री एकत्रित कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि 50 परसेंट ही काम हुआ है, निश्चित रूप से इसकी जांच कराकर आपके इस महाविद्यालय में जल्दी से जल्दी कार्य करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.45 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

mkd/rtm/29.07.2024/14:00/2c

(समय: 14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि अपनी-अपनी सीटों पर चले जायें। माननीय विपक्ष के नेता अपने सदस्यों को अपनी सीटों पर ले जायें। विधायी कार्य। श्रीमती दिया कुमारी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: अगला राजस्थान वित्त विधेयक, 2024।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2024

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2024 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था।

व्यवस्था

विनियोग विधेयक तथा वित्त विधेयक पर एक साथ विचार एवं उठाये जाने वाले विषयों की प्रासंगिकता

माननीय सदस्य गण, आपको पुन: एक बार निवेदन कर रहा हूं कि अपनी-अपनी सीटों पर चल जायें और व्यवस्था बनाये रखें।

सदन में राजस्थान विनियोग विधेयक व राजस्थान वित्त विधेयक पर कुछ वर्षों से एक साथ चर्चा की जाती रही है। आज भी इन दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा की जाएगी। माननीय सदस्यों को विनियोग विधेयक व वित्त विधेयक के पारण की स्टेज पर विचार प्रकट करने की अनुमति दी जाएगी।

माननीय सदस्यगण, विनियोग विधेयक तथा वित्त विधेयक पर सदन में प्रत्येक सदस्य को वाद-विवाद करने का पूरा अधिकार है। अब बजट के पारण की तीसरी अवस्था है, जिस पर सदन में विचार किया जाएगा। इससे पूर्व बजट की प्रथम अवस्था पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान सदस्यों ने अपने विचार प्रकट कर दिए हैं, उसके पश्चात् द्वितीय अवस्था बजट पर अनुदान की मांगों पर सदन में वाद-विवाद के दौरान भी सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं।

उसके पश्चात् अब बजट के पारण की तीसरी अवस्था है। उसमें सदस्यों को विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद का अवसर उपलब्ध रहता है। लेकिन, हमें यह देखना है कि सदन में बजट पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान तथा अनुदान की मांगों पर विचार के समय जिन विषयों को उठा दिया गया है, उनकी पुनरावृत्ति न की जाए।

विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद का क्षेत्र लोक महत्व के या विधेयक में आने वाले अनुदानों में अंतर्निहित नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रहता है, जो पहले ही उस समय न उठाए जा चुके हों, जबकि संगत अनुदानों की मांगे चर्चाधीन थी। विभिन्न अनुदान की मांगों से संबंधित वाद-विवाद के दौरान जिन विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो चुकी हो, वे मुद्दे विनियोग विधेयक पर चर्चा की विषय-वस्तु नहीं बन सकते हैं।

वित्त विधेयक पर माननीय सदस्य राजस्थान सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में आने वाली शिकायतों या सरकार की वित्तीय नीति से संबंधित विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। सरकार की नीति की समीक्षा कर सकते हैं, जिनके कारण कोई घाटा हुआ हो।

संक्षेप में, सारे प्रशासन की समीक्षा की जा सकती है परंतु उन प्रश्नों को पुन: नहीं उठाया जा सकता जिन पर पहले वाद-विवाद में चर्चा हो चुकी हो। यह मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है कि हम सारगर्भित चर्चा करें तो माननीय सदस्य इन सब बिन्दुओं का ध्यान रखें।

विधायी कार्य:विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 व 3. कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियम सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2024

प्रश्न यह है कि वित्त विधेयक, 2024 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विराचार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

2 से 18. कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 18 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 18 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1. कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 स्वीकार की गयी।

अनुसूची 2. कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 2 स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची 2 स्वीकार की गयी।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियम सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024 को पारित किया जाये।

श्रीमती दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्षः प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी, राजस्थान वित्त विधेयक, 2024 को पारित किया जाए।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2024 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्नतर सदन की बैठक 14.06 बजे 14.36 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Bhs/Rtm/29.7.24/14.30/2f

(समय: 14.36 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री सभापतिः सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.36 बजे 15.06 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Kas/rtm/29.04.2024/15.00/2j

(समय: 15.06 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन।)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सलूम्बर के जावर माइन्स थाना क्षेत्र में शिक्षक की हत्या

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपनी सीटों पर चले जाएं। जो मुद्दा आपने उठाया है, सरकार से कल जीरो ऑवर के बाद इसका जवाब दिलवाऊंगा। श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

विधायी कार्य : विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024 व

राजस्थान वित्त विधेयक, 2024 का पारण

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे चर्चा में सम्मिलित करते हुए विनियोग विधेयक एवं वित्त विधेयक बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, 2024-25 का बजट जो हमारे मुख्य मंत्री एवं हमारी वित्त मंत्री जी ने इस सदन में पेश किया है, मैं यह कह सकता हूं कि यह बहुत ही सराहनीय बजट है। उन्होंने अमृत काल खण्ड को देखते हुए इस राजस्थान को 2047 तक कैसे विकसित राजस्थान के रूप में परिवर्तित करें, इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने यह बजट पेश किया है। इसमें गरीब, किसान, मजदूर, युवा, सभी का समावेश किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे मुख्य मंत्री जी और हमारी वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना

चाहूंगा, क्योंकि इनका यह पहला बजट है और इस पहले बजट में इन्होंने पूरे राजस्थान का एक रोड मैप बनाया है। भले ही वह सार्वजनिक निर्माण विभाग का हो, ऊर्जा विभाग का हो, पेयजल की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो। राजस्थान के लोगों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाये और उनको गरीबी से कैसे बाहर निकाले, इसका पांच साल का एक रोड मैप तैयार करके इस बजट में पेश किया है कि आने वाले पांच साल में किस तरह से हम काम करेंगे। आपकी जो तत्कालीन सरकार थी, मैं समझता हूं कि उन्होंने तीन साल तक तो कोई जनहित के काम किये ही नहीं। जैसे आपकी पुरानी आदत है चौथे और पांचवें बजट में आप इतनी बजट घोषणाएं करते हो, जिसमें से अधिकांश वह बजट घोषणाएं ही रह जाती हैं। आप जिसका शिलान्यास करते हो, लेकिन उसके बजट का कोई प्रोविजन नहीं होता है। जैसे जाते-जाते 19 जिले आपने बना दिये। एक जिला बनाने में लगभग 3 हजार करोड़ का प्रावधान होना चाहिये। अगर आपको जिले बनाने ही थे तो हमारे मुख्य मंत्री जी की जो सोच है कि पांच साल में हमको क्या काम करना है, उसके लिये पहले से ही उन्होंने अपने बजट में प्रजंटेशन रखा है।

msk/rtm/29.07.2024/15.10/2k

आपको बजट में पहले दिन ही घोषणा करनी थी, ताकि पांच साल में जिले खड़े होते। पर आपको करनी नहीं थी। आपको चीप पापुलरिटी चाहिए थी, जो आप हमेशा करते आये हैं। 2013 में आपने जाते-जाते रिफाइनरी का उद्घाटन कर लिया। 2023 में आप वापस आये तो आपने जाते-जाते 19 जिले घोषित कर दिये। आज जो 19 जिले घोषित हुए हैं। आपने सोचा होगा कि जहां जिला घोषित करेंगे, वहां हमारा विधायक जीत जायेगा। आपके अधिकांश विधायक नहीं जीते। मैं आपको दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि जो जिले घोषित हुए, जैसे मालपुरा हुआ, हमारे विधायक जीते गये। ब्यावर में हमारे विधायक जीत गये। हमारे जो जिले घोषित हुए, वहां हमारे विधायक जीते गये, मतलब वास्तव में ब्यावर में जीत गये। वहां वास्तव में उन्होंने जनता के साथ खड़े होकर मांग की और आपने तो ऐसे-ऐसे जिले दिये, कई जिले तो आपने ऐसे दिये, तीन थाने के जिले। उस तीन थाने के जिले में जिला कलेक्टर, एसपी क्या करेगा? आपने कुछ सोचा ही नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप खड़े नहीं होंगे। आप अपने आप खड़े हो गये, यह नहीं चलेगा। सदन का समय है, सबको बोलने की अनुमति दी है। आपका एप्रोप्रिएशन बिल से क्या मतलब है?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): अध्यक्ष महोदय, जितनी भी पूर्ववर्ती सरकारें हैं, सरकारें आयीं, गयीं। राजस्थान में कभी एक जिला, दो जिला या तीन जिले बनते हैं। 19 जिलों को बनाकर सबको राज़ी रखना, 19 जिले कैसे बनते हैं, उसका आपको खुद को ध्यान रखना चाहिए था। यदि आपको काम करना ही था तो आप पहले वर्ष से ही करते। जैसे कि हमने आज यह कहा कि हम सार्वजनिक निर्माण विभाग में आने वाले पांच साल में 53 हजार किलोमीटर

सड़क बनायेंगे, जिसकी लागत 60 करोड़ का खर्चा होगा, उसका हमने आज आपको रोडमैप दिया है। मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में फ्लाईओवर हो, आरओबी हो, आरयूबी हो, एलिवेटेड हो, स्टेट हाई-वे का सुदृढ़ीकरण हो, उस पर 11 हजार करोड़ का प्रावधान रखा है। हर विधायक के क्षेत्र में रोड पास हुए, काम हुए। मेरा आपसे निवेदन है कि आपका जो बजट एनुअल प्लान है। बजट एनुअल प्लान 4 लाख 96 करोड़ का है। आपका 2023 का जो एनुअल प्लान है, उससे 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हमारा एनुअल प्लान है। इससे साफ जाहिर होता है कि जिस दिन हमारी सरकार बनी है, हमने बिना टैक्स इम्पोज किये हुए, बिना नया टैक्स लगाये हुए, हमारी व्यवस्था को सुधारा, करप्शन को खतम किया। हमने टैक्स में सुधार किया, तब जाकर हमारा एनुअल प्लान 4 लाख 96 हजार करोड़ का है और हमारा रेवेन्यू बढ़ा है। आपके कार्यकाल में आपका एनुअल प्लान 3 लाख 90 हजार करोड़ का था, हमारा 4 लाख 96 हजार करोड़ का है, एक साल के अन्दर ही हमने 1 लाख करोड़ का ज्यादा किया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके टाइम में आपके ऊपर जो कर्ज है, जो कि आप 2023 में छोड़कर गये। वह 5 लाख 7 हजार करोड़। जिस दिन हमने 2018 में सत्ता छोड़ी, उस दिन राजस्थान पर 2 लाख 50 हजार करोड़ का ऋण था। जब आपने सरकार संभाली, आपने डैटस पर 5 लाख 71 हजार करोड़ का लोन दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि यह डैटस तो गवर्नमेंट ने दिया है। आपकी पब्लिक अण्डरटेकिंग डिस्कॉम 1 लाख करोड़ के नीचे है। आपका उत्पादन 27 हजार करोड़ के नीचे है। आपके रोडवेज 40 हजार करोड़ से नीचे है। आरएसआरडीसी में आपने जो लोन लिये, विभिन्न पब्लिक अंडरटेकिंग में पूरे राजस्थान में लगभग 8 लाख करोड़ का ऋण राजस्थान पर छोड़कर गये। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपने कैपिटल एक्पेंडिचर में कोई काम नहीं किया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप उदय योजना लाये थे, उसकी कैग ने क्या धज्जियां उड़ायी हैं, उसका भी थोड़ा ध्यान रख लेना।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मुझे इस बात की खुशी है कि हमने इस बजट में अर्थव्यवस्था का पूरा ध्यान रखा है। आज एफआरबीएम के तहत, हमें मालूम है कि हम 3 परसेंट से ज्यादा लोन नहीं ले सकते है, जो कि हमारी जीएसडीपी का 38.20 परसेंट है। हमने जो बजट दिया है, हमने जीएसडीपी के 35.97 परसेंट पर लोन डैट्स लिये हैं। आपने जो लास्ट बजट पेश किया, 37.34 परसेंट पर आपने जीएसडीपी पर लोन उठाया। जो आपकी लायबलिटीज हैं, आपने उस लोन का क्या किया? आपने स्मार्टफोन बांटे, आपने मिनी किट बांटे, 500 रुपये का मिनी किट था, उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं थे। गरीब उसको लेने के लिए तैयार नहीं था। दाल सड़ी हुई, तेल बदबू मार रहा था, नमक इतना खराब। अगर आपने उसकी फूड इंस्पेक्टर से सही तरीके से जांच करा दी तो आपका पूरा माल रिजेक्ट होता है। पर आपने गरीबों के साथ बेइमानी करके उनको गलत खाद्य पदार्थ दिया,

वह वास्तव में एक शर्मनाक चीज थी। ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मेरा आपसे निवेदन है कि आपने पैसा खर्च किया। आपने सबने सुना होगा, राजस्थान में हर जगह गुलाबी-गुलाबी दिखता था, डिजाइन बॉक्स। डिजाइन बॉक्स कांग्रेस की एडवरटाइजमेंट एजेंसी थी। आपने 2023-24 में ढाई सौ करोड़ रुपये विज्ञापन पर खर्च किये। 2022-23 में आपने जनता की गाढ़ी कमाई के 210 करोड़ रुपये खर्च किये और पूरे राजस्थान को गुलाबी कर दिया। आपने सोचा कि यह डिजाइन बॉक्स आपको जिताकर ले आयेगा, पर जनता आपको पहचान गयी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो यहां सदन का सदस्य नहीं है, इनके पास कोई अधिकृत प्रमाण नहीं हैं, किसने क्या किया, ऐसी कंपनी का नाम गलत बात है, एक्सपंज।

श्री अध्यक्ष: ऐसा होगा अगर..

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मेरा दूसरा निवेदन है कि पूरा राजस्थान जानता है, आपके डीपीआर में लिखा हुआ है कि आपने टेण्डर डिजाइन बॉक्स को दिया है। डीपीआर से आपका जितना भी खर्चा हुआ है, उसमें क्लियर कट बताया है कि आपने 250 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

दूसरा मेरा आप सबसे निवेदन है, अभी हमारे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि आपने 70 हजार करोड़ का राजकोषीय घाटा बताया। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पूरे संसार में कोई भी डवलपिंग स्टेट या डवलप्ड स्टेट है, वह हमेशा राजकोषीय घाटा, क्योंकि टैक्स ऐसी चीज है कि हमको इतना ही टैक्स लेना चाहिए, जिससे हमारा शासन चला सकें, हम गरीबों का ध्यान दे सकें और हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हैं। टैक्स को ऐसे नहीं लेना चाहिए कि टैक्स लेते जाओ और धन इकट्ठा करो। टैक्स तो इसलिए होना चाहिए कि टैक्स से हम लोगों को क्या फायदा दे सकते हैं, हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हम लोगों को कितना एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, हम कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, हम लोगों के लिए कितने कल्याण की योजना शुरू कर सकते हैं। हमने राजकोषीय घाटा 70 हजार करोड़ कर दिया है तो कोई बड़ा, हम लोन ले लेंगे। लोन लेकर व्यवस्था को चलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे।

(समय: बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

आज पहली बार इस बजट में 44 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हुए, जो कि आपके लास्ट बजट से 66 परसेंट ज्यादा खर्च किया है, जिससे आने वाले टाइम में राजस्थान में हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, हम रोड बना सकते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में आपने पांच साल में कुछ नहीं किया। आपने एनर्जी असेसमेंट नहीं किया। आप पांच साल में, आप बिजली खरीदते रहे। आप रोज 10 रुपये की बिजली खरीदते रहे। आपने करोड़ों रुपये की

बिजली खरीदी और आप पांच साल में एनेलेसिस नहीं कर सके, एनर्जी असेसमेंट नहीं कर सके कि आने वाले पांच साल में हमारी बिजली की स्थिति क्या होगी, आप यह अससेमेंट नहीं कर सके। आपने न ही कोई थर्मल खड़ा करने कोशिश की, न ही आपने सोलर लगाने की कोशिश की। आप सोलर की बात करते हैं। राजस्थान में जो मैक्सिमम सोलर लग रहा है, उसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया का 'सेकी' टेण्डर कर रहा है। आपका स्टेट राजस्थान रिनुअल एनर्जी का टेण्डर नहीं कर रहा है, वे टेण्डर 'सेकी', जो कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की कंपनी है, वह टेण्डर कर रहा है, उसके जो पीपीए हो रहे हैं, वे दूसरे स्टेट में हो रहे हैं, राजस्थान में लैंड अवेलेबिलिटी है, सब जने यहां सोलर प्लांट लगा रहे हैं।

mdp/rtm/29.07.2024/15:20/2l

हमारे जो सोलर लगना चाहिए, रिन्युबल एनर्जी के थ्रू आपको जो सोलर स्थापित करना था। आपने मात्र 1000 मेगावट बिजली लगाया। आप कोई थर्मल लेकर नहीं आए। 5 साल के प्रति बिजली के प्रति, सिर्फ देने का काम किया, बिजली खरीदने का काम किया, आपने कभी असेसमेंट नहीं किया। अगर आपने टाइम पर असेसमेंट किया होता तो आज बिजली के कारखाने खड़े होते और ये हालत नहीं होती। आज ये हालत क्यों बनी है? इसके पूरे जिम्मेदार आप है। इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आपने पूरे 5 साल में कुछ नहीं किया। हमने हमारे कार्यकाल में सूतरगढ़ में सातवीं व आठवीं यूनिट लेकर आए, पांचवी व छठी यूनिट हम छबड़ा में लेकर आए, कालीसिंध हम लेकर आए, गिरल में हमने एक और प्रोजेक्ट डाला। हम सातवां यूनिट कोटा में लेकर आए। आप बताइए आपके पांच साल में आपने क्या किया? बताइए कौनसा थर्मल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया? दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नई सेटिंग हुई है क्या? मुख्य मंत्री जी को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): यह मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है, वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि आज हमें इस बात की खुशी है कि इस राजस्थान में, इस बजट में किसी प्रकार का कोई नया टैक्स हमने लागू नहीं किया। टैक्स लागू नहीं करने के बावजूद हमने हमारी रेवेन्यू बढ़ाई। हमने रेवेन्यू बढ़ाकर पेट्रोल और डीजल के भाव कम किये। 7 रुपये के लगभग हमने पेट्रोल पर कम किये। केन्द्र सरकार, राजस्थान सरकार, डीजल के भाव 6 रुपये 60 पैसे हमने कम किये। हमको लगा कि हमारे वेट पर हमको हजार, दो हजार करोड़ का नुकसान होगा। परंतु महंगाई को कम करने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी ने कड़ा कदम उठाते हुए 7.50 रुपये पेट्रोल पर कम किये और 6.60 पैसे डीजल में कम किये। सबसे अच्छी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि वेट में हमको घाटा नहीं हुआ। जनवरी से लेकर जून तक जहां आपकी पूर्ववर्ती सरकार के समय में कलेक्शन था 10 हजार 460 करोड़, जनवरी से जून तक हमारा कलेक्शन था, 10 हजार 570

करोड़। लगभग 100 करोड़ हमने ज्यादा किया, परंतु पैसे कम करने से हमने वेट पर नुकसान नहीं खाया।

सभापति महोदय, आज जीएसटी में पूरे राजस्थान में लगभग साढ़े आठ लाख लोग हैं, जो जीएसटी पे कर रहे हैं। राजस्थान पहला प्रदेश होगा जो रेशनेलाइजेशन और फेसलेस सर्वे के आधार पर, आपके जीएसटी की सर्वे है या आपके पास जीएसटी की कोई कमीबेशी है तो जिस जोन में आपका जीएसटी अफसर है जो आपके खिलाफ सर्वे कर रहा है, वह ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के माध्यम से दूसरे जोन पर चला जाएगा। वह आदमी उसका सर्वे करेगा ताकि करप्शन से निजात पाए। राजस्थान हिंदुस्तान में पहला स्टेट है जो रेशनेलाइजेशन और फेसलेस स्कीम के तहत, पहले जो हमारे अरुण जी जेटली साहब थे, हिंदुस्तान को इनकम टैक्स में फेसलेस और रेशनेलाइजेशन किया, इसी तरह सबसे पहला प्रदेश राजस्थान होगा जो आने वाले समय में जीएसटी को बिलकुल फेसलेस और बिलकुल भ्रष्टाचार नहीं हो, आम आदमी की सुविधा हो, इसका फैसला हमने लिया है।

सभापति महोदय, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने एमनेस्टी स्कीम्स काफी लागू की। ट्रांसपोर्टेशन में की, माइनिंग में की, ऊर्जा में की, वेट में की, हमारे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कहेंगे कि 10 परसेंट, ऐसे 10 लाख तक कई थे, जो 2017 में जीएसटी लागू हो गयी, उससे पहले ऐसे कई लोग थे, जिनके पेनल्टी, इंटरेस्ट सब मिलाकर दस लाख है। ऐसे लोगों को, मतलब पैसा आ ही नहीं रहा था तो हमने दस लाख तक उसको खतम कर दिया और ...(व्यवधान)... दस लाख से जितने भी ऊपर है, उसको दो ग्रेड में 10 परसेंट और 20 परसेंट में करके उसको हम खतम करना चाहते हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप बार-बार राजाखेड़ा मत कीजिए। ये बोलते रहेंगे।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मेरा आपसे निवेदन है कि स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, परिवार के अन्दर आपके कोई भी जमीनों के मामले हैं या कोई फ्लेट्स हैं जिनकी कीमत 50 लाख से कम है या कोई कंजस्टेड एरिया में जमीन बेचकर आप जा रहे हैं, उस पर भी स्टांप ड्यूटी की कमी की। सीएनजी और पीएनजी में 14 परसेंट वेट से 10 परसेंट किया ताकि पर्यावरण शुद्ध हो। प्रदूषण के कारण हमारे पूरे एनवायरमेंट में हमको जो सहना पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने किया। युवाओं को देखते हुए सबसे अच्छा काम किया कि एविएशन का जो फ्यूल है, उसको 24 परसेंट से मतलब दो परसेंट में किया ताकि आने वाले समय में राजस्थान में फ्लाइंग कोर्स के लिए बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पायलट बनना चाहे तो प्राइवेट फ्लाइंग क्लब राजस्थान में खुद आकर फ्लाइंग क्लब चालू करेंगे ताकि हमारे बच्चों को विदेश नहीं जाना पड़े। यही पर फ्लाइंग स्कूल में ट्रेनिंग लेकर अच्छा पायलट बन सकता है ताकि रोजगार मिल सके।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके कार्यकाल में चिरंजीवी आपने चालू की। हमारे टाइम भामाशाह चल रहा था। तीन लाख का था, परंतु तीन लाख में लोग संतुष्ट थे। लोग क्यों संतुष्ट थे? आप बात करते हैं पच्चीस लाख-पच्चीस लाख, आप एक आदमी बता दीजिए

राजस्थान में जिसने पच्चीस लाख का क्लेम उठाया हो। मैंने डाक्टर्स से बात की। मैं जब कभी आर्थोपीडिशियन से बात करता हूं, कभी न्यूरोसर्जन से बात करता हूं, एक्सीडेंटल केसेज की मैं बात करता हूं, रोज मेरे सामने लोग आते हैं। अगर कोई एक्सीडेंटल केस प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है, अगर उसके पैर में लगी हो, सिर में लगी हो, अगर डाक्टर ने चिंरजीवी में पैर अटेंड कर लिया तो सिर अटेंड नहीं करता है। यदि पहले सिर का इलाज कर दिया तो पैर का इलाज नहीं करता है। उसको खुद के पैसे देने पड़ते हैं। केटेरेक्ट है, आम आदमी की एक बीमारी है, उसको आपने कवर नहीं किया। आज महिलाओं की जो प्रसूति है, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट अस्पताल में आप जा नहीं सकते हैं। आपके कोई पैकेज नहीं है। कोई यूट्रस का रिमूवल केस है, उसके लिए आपके पास कोई पैकेज नहीं है। ऐसे कई चीजें हैं, जो नहीं हैं। आपने हकीकत में ध्यान नहीं दिया। भामाशाह और चिरंजीवी को आप कम्पेयर करें, मैंने ऐसा केस देखा कैंसर पेशेंट का, जिसकी तीन लाख खतम हो गया, परंतु हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने व्यवस्था रखी थी कि वह कलेक्टर के पास जाकर उसको तीन लाख और रिन्यु करा सकता है ताकि उसका इलाज करा सके। पैसे की कमी आने नहीं दी भामाशाह में। परंतु आपकी चिरंजीवी में बहुत बड़ा फाल्ट था। हमने 1666 रुपये किसानों के माफ किये थे, बिजली के बिल। आपने तीन साल चालू करके लास्ट में दो हजार यूनिट माफ किये। हमने श्रमिक काड्‌र्स प्रारम्भ किये। आपने श्रमिक कार्ड के जो भी फायदे थे, वह बंद कर दिए।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मेरे पास कुछ आदमियों की लिस्ट है, ...(व्यवधान)... जिनको चिरंजीवी योजना में 20 से 25 लाख के बीच में मिला है। वह लिस्ट आपके पास भेज दूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप बैठिए ...(व्यवधान)... आप मत बोलिए।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजिए। आप समाप्त कीजिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): हमारे कार्यकाल में हमने अन्नपूर्णा योजना लागू की। आपने इस अन्नपूर्णा योजना को चार साल बंद करके इंदिरा रसोई योजना चालू की। आपने कौनसा नया काम कर लिया? हमने राजश्री योजना चालू की। बालिकाओं का जन्म होते ही, 18 साल तक उसको पचास हजार मिलते, वह योजना आपने बंद कर दी।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, बैठिए। समय का अभाव है। श्री रोहित जी बोहरा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आपने श्रमिकों के साथ जो भावना रखी, उनके बच्चे के पैदा होने से शिक्षा से लेकर, उनके स्कॉलरशिप, उनके इंश्योरेंस था, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के पक्ष में मैं खड़ा हूं। मैं चाहूंगा सदन इसको पास करे जिससे आने वाले समय में राजस्थान एक विकसित राजस्थान के रूप में खड़ा रहे।

श्री सभापतिः माननीय रोहित जी बोहरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब हम अगले सत्र में आए तो आप मंत्री की हैसियत से जवाब देते मिले हमें।

Ans/rtm 15.30 2m 29.07.2024

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। अभी बाली से आने वाले सदस्य थे, हमारे पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं ...(व्यवधान)... हैं सॉरी। हैं सॉरी। उन्होंने पावर के बारे में तीन पाइंट रेज किए। पुराने पावर मिनिस्टर है। मैं उनको यह बताना चाहता हूं 600 मेगावाट छबड़ा की इकाई, डीओसी 2.4.2019 में हुई, जो हमारे राज में हुई।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): सभापति महोदय ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप सुनिये, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप बैठो, सुनो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो बोलिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 600 मेगावाट सूरतगढ, सातवा यूनिट 1000,2020 में डीओसी हुआ। 600 मेगावाट यूनिट आठ नम्बर सूरतगढ़, 2021 में हुआ। इसके अतिरिक्त हमने 1100 मेगावाट सोलर की की। पावर मिनिस्टर जो मिथ्या भाषण कर रहे हैं ना वह नहीं चलेगा। इनकी गलतियों से, इनकी थर्मल पावर, क्योंकि यह हैंडल नहीं कर सकते, रख रखाव ठीक से नहीं कर सकते, इसलिए पूरी जनता गर्मी में मरती है। एमएलएज, मिनस्टिर हो, रात भर एलडी आता है।

बजट पर आता हूं। पीजीआई से इन्होंने एग्रीमेंट किया, जिसमें यह 1 लाख 60 हजार करोड़ रूपये खर्च करना चाहते हैं। इन्होंने टेरिफ बेस्ड बिडिंग नहीं कराई। टेरिफ बेस्ड बिडिंग क्यों नहीं कराई, टेरिफ बेस्ड बिडिंग से राजस्थान को फायदा होता। हम अपने असेट्स लीवरेज कर सकते थे। इन्होंने क्या किया, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट को दे दिया जिससे टेंडर नहीं हो। यह कौन नहीं समझता कि टेंडर नहीं होंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा खेला होगा, यह सब समझते हैं। आपने यह किया और आप हमें यहां कह रहे हो कि हमनें हैंडल नहीं किया। आपने क्यों पब्लिक सेक्टर से, दूसरी पब्लिक सेक्टर से 1 लाख 60 हजार करोड़ का किया? 3 लाख करोड का पब्लिक सेक्टर यूनिट से इसलिए किया क्योंकि आप बिडिंग नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि पब्लिक सेक्टर को दे दें जिससे किसी भी कम्पनी को आप टेंडर दे दें, विदाउट टेंडर।

इसी तरह से आपने क्या किया, जो यूनिट्स थे, जो खुद प्रोड्यूस कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, उनकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ कर दी और एक बार में 10 परसेंट कर दिया। कोई नहीं समझ रहा, सब समझ रहे हैं कि खेला है। कौन नहीं समझ रहा कि खेला नहीं हुआ है। इतना बड़ा खेला हुआ है जिसको आप और हम इमेजिंग भी नहीं कर सकते। जिन यूनिट्स की 500-500 करोड़ की इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स ड्यूटी बाकी थी वह 10 परसेंट में सैटल हो

गई। शेम।

अब आप बजट पर आइये। बजट पर बात करे, जो हमारा रिवाइज बजट था, हमने बजट किया था जब हमारी सरकार थी, हमें लोन रिपेमेंट करना है वह 93 हजार 767 करोड़ का रिपेमेंट करना है। हमने रिपेमेंट कितना किया, हम यह बजट बना रहे हैं साहब, मजाक नहीं कर रहे हैं। चार महीने में इन्होंने रिपेमेंट कर दिया 1 लाख 73 हजार करोड़ का। मतलब फिर बजट पेश करने से फायदा ही क्या है, जब तथ्य छिपाने है तो? डोटासरा जी 93 हजार करोड़ का हमें पेमेंट करना था। 1 लाख 73 हजार करोड़ का हमने लोन दे दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, गंभीर आरोप है तथ्य छिपाने का।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मतलब 80 हजार करोड़ रूपये आपने एक्स्ट्रा लोन में दे दिये और क्या वाहवाही लूट ली? साहब हमारा तो आपसे बजट इतना बढ़ गया। इस साल आप क्या कर रहे हो? 4 लाख 95 हजारा करोड़ में से 1 लाख 60 हजार करोड़ तो सिर्फ आप अपना लोन वापस कर रहे हो। कौनसा तीर मार लिया आपने, जो आप हमें बजट समझा रहे हो? यह बजट नहीं है, इसमें पता है क्या होगा? 1 लाख 60 हजार करोड़ की जगह इनको 2 लाख करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कैग की नई रिपोर्ट आई है। कैग की नई रिपोर्ट में क्या है? ऑफलाइन बजटिंग इन्होंने की। दबा कर ऑफलाइन बजटिंग की है, जो पता ही नहीं है। कॉरपोरेशन में लोन ले लिए, उस लोन का पेमेंट कहां से होगा? सभापति महोदय, ये तथ्य इसलिए छिपाए जा रहे हैं, ये तथ्य क्यों छिपाए जा रहे हैं, ये इसीलिए छिपाए जा रहे हैं। मैंने मना किया था। उस दिन आपकी फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोली, इनको क्या पता यह तो अपना इलेक्शन लड़ना चाहते थे, सांसद बनना चाहते थे, एमएलए हो गए। पहली बार बजट दिया है। एक तो बोली डैटट्रेप नहीं है। जिस दिन से आपने 60 हजार करोड़ का इलेक्ट्रिसिटी का लोन लिया है, उस दिन से यह स्टेट डैटट्रेप में है। डैटट्रेप का मतलब नहीं समझ आया होगा। हम डैटट्रेप में हैं, मतलब जितना लोन उठाते हैं, हमें उससे ज्यादा रिपेमेंट करना होता है। यह है हमारी पॉजिशन। हम क्या बात कर रहे हैं। आपको पता है मैंने मना किया था, क्यों करो। आपने सीएसएस जो बजट में डाली, आपको 79,587 करोड़ रुपये आपको सेंट्रल से मिलना था।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): क्या..

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): +++ सुनो। ...(व्यवधान)... 75 हजार 156 करोड़ रूपये सिर्फ दे रहे हो। आपको सिर्फ साढ़े चार हजार करोड़ का नुकसान है। ...(व्यवधान)....

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यह मंत्री जी के लिए ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 70 हजार करोड़ रुपया होगा ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 75 हजार करोड़ का नुकसान पहले डे से हो गया। ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, डिलिट कराइये। ...(व्यवधान)..

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजिए। ऐसा कुछ होगा, स्वतः ही निकाल देंगे। कोई ऐसा शब्द होगा तो निकाल देंगे।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 2019-20 में जब इनकी सरकार गई थी, 2018-19 में इन्होंने 30 हजार 191 का घाटा किया, जब वसुन्धरा जी की सरकार थी। 2019-20 में इन्होंने 41 हजार 328 करोड़ का घाटा किया और उसमें यह हमारे ऊपर छोड़कर गए 6 हजार करोड़ का, जो हमें कॉ-आपरेटिव का लोन देना था और 5 हजार करोड़ की इन्होंने सड़कें दी थी, उसका अकाउण्ट फोर नहीं किया था, उसका भी पेमेंट हमारी सरकार ने किया था। यानी 41 हजार के अलावा 11 करोड़ यह हमारे ऊपर और छोड़कर गए थे। कोविड लॉकडाउन में 57 हजार करोड़ एक साल में हमें खर्च करना पडा, हमें नुकसान देना पडा। फिर 52 हजार, क्योंकि दोनों साल लॉकडाउन के थे, रेवेन्यू नहीं आई। 2022-23 में 42 हजार 728 करोड़ का हमें टोटल नुकसान था। यह सामान्य नुकसान है। जब आप 41 हजार करोड़ का 2019-20 में कर सकते थे, तो हम 2022-23 में 42 हजार करोड़ का कर सकते थे। 2023-24 में चार महीने हमने, एक-तिहाई टाइम हमने भाजपा सरकार को दिया। इन्होंने नुकसान कहां पहुंचा दिया, उस साल 50 हजार करोड़ से इन्होंने नुक़सान 65 हजार करोड़ पहुंचा दिया। इस बार पहला साल है। पहला साल है, बात करते हैं बजट में 2047 में, तो 2047 में तो मेरे ख्याल से 50 परसेंट ऑफ दी एमएलएज ही नहीं बचेंगे। 2047 की बात कर रहे हैं। कई बच्चे तो अभी तक पैदा ही नहीं हुए जिनको 2047 में वोट डालने पड़ेगे। बात तो आज की करो।

आज आपने क्या कहा 30 हजार करोड़ में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे। 30 हजार करोड़ में काहे का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाओगे? 30 किलोमीटर के अन्दर नेशनल हाइवे का जहां जमीन अधिग्रहण करना होता है, करीब-करीब 450 करोड़ रुपये खर्चा आता है। यह बन जाएगा क्या? यह तो आप दिखोगे भी नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य, बोलने दो। आपके नेता जी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): एक जगह और हमारी वित्त मंत्री महोदया बोली कि आप संसद में जाना चाहते हो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हो, तो यह समझना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात हमें करनी पड़ेगी। 64 परसेंट जीएसटी का पैसा हमारे पास आता है, किसी और के पास नहीं आता। सेंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम में जो आप और हम यहां इन्कम टैक्स और जीएसटी भरते हैं उसका रेगुलेशन अकोर्डिंग टू कांस्टीट्यूशन आपको करना पड़ेगा। जब इतना पैसा आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बात करनी पड़ेगी ना। क्या अपन बात कर रहे हैं, मैं एमपी बनना चाहता हूं उसकी बात कर रहे हैं। आप समझिये कि आप क्या बजट दे रही है। बजट आप राजस्थान का पेश कर रही है और आप कह रहे हो डबल इंजन की सरकार है। हमनें पीएमजीएसवाई और सीआरएफ की सड़कें बजट में जोड़ दी तो क्या बड़ी बात कर दी। बजट कहां का है? बजट तो राजस्थान का है। आप अलग से बात कर लीजिए कि 2 हजार करोड़ रुपये हमने उसमें एड किए। तो यह सब बातें जो हमने अपने

बजट भाषण में वह मैंने कही।

VPS-RTM-29.07.2024-15.40-2n

आप इसी तरह से यह देखिये कि 41 परसेंट पैसा हमारे को डिवॉल्व होना है हमारी स्टेट को according to 15th Finance Commission. यह पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट को 41 परसेंट पैसा डिवॉल्व होता है स्टेट के पास, जिसमें राजस्थान का हिस्सा आता है 6.026 परसेंट, यह हमारा हिस्सा है as per the 15th Finance Commission Report, इसमें क्या हुआ? पिछले पांच साल में 2019-20 से 2023-24 तक, आपने क्या किया? किस तरह से आपने हमारा गला घोटा इस सरकार का क्योंकि कांग्रेस सरकार थी न, डबल इंजन की सरकार नहीं थी तो किस तरह से आप यह देखिये कि कांस्टीट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं? हमारे को इन पांच सालों में 76 हजार करोड़ रुपया कम मिला जो हमें मिलना चाहिए था, जिसके हम हकदार थे तो यह जो आप बात कर रहे हो न लोसेज की तो यह इसलिए लोसेज हुए। आप गहराई में जाइये कि पांच साल में हमारे को 76 हजार करोड़ रुपया कम मिला और चाहिए तो मैं यह टेबल कर देता हूं आपके पास। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनके समझ में नहीं आ रहा है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): बहुत कठिन है डगर पनघट की।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अभी बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे को यह फीगर्स दिये आउटस्टेंडिंग लायबिलिटीज के ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या आउटस्टेंडिंग लायबिलिटी है? Central Government Outstanding Liabilities as percentage of G.D.P is 58 per cent. 58 परसेंट एंड एज पर आर.ई. 2023-24 में और बी.ई. में 2024-25 में 57 परसेंट है। राजस्थान गवर्नमेंट की क्या है? Interest payment as a percentage of revenue deficit is 37 per cent. पिछली बार की आर.ई. में 39 परसेंट। आप कम्पेयर करिये कि कहां पर 58 परसेंट और कहां पर 39 परसेंट। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जब से यह बी.जे.पी. की सरकार आयी है, हर साल इन्होंने 17 लाख से 18 लाख करोड़ रुपया बाजार से उठाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाने के लिए। कहां से यह पैसा आ रहा है? बाजार से सब पैसा ये उठा रहे हैं और इस बार के बजट में इन्होंने ओल्ड इन्कम टैक्स स्लैब से जो हम इन्कम भरते थे, जिसमें हमारी सेविंग्स होती थीं, हमारे को छूट मिलती थी, वह सब सेविंग्स बंद कर दीं। इन्होंने नया इन्कम टैक्स लॉ चालू कर दिया। वह सेविंग्स नहीं होगी तो हमारा प्राइवेट सेक्टर पैसा कहां से लायेगा? वह ही सेविंग्स है जो बैंक्स में जाती हैं और बैंक्स इन प्राइवेट सेक्टर को लोन देते हैं, तब ही जाकर इंडस्ट्री लगती है। क्यों नहीं एम्प्लायमेंट बढ़ रहा इस कंट्री का? इसीलिए एम्प्लायमेंट नहीं बढ़ रहा। अभी आपने जो हमारा मेनिफेस्टो था कांग्रेस का, उसमें से एक निकला इंटर्नशिप का प्रोग्राम कि हम अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम देंगे। बहुत अच्छा है कि कम से कम इस सरकार को, कुंभकर्ण नींद

वाली सरकार जो बी.जे.पी. की सेंट्रल में चल रही थी, जिसमें हमारे लड़कों को एम्प्लायमेंट नहीं मिल रहा था, कम से कम वह जागी तो सही। हमें यह मजा आया कि कम से कम जागी तो सही और हमारे यहां से कोई चीज उधार तो ली जो अच्छी चीज थी। अब उसमें क्या किया?...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप आधा मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): पांच सौ कम्पनियों को एक लाख लोगों को रोजगार देना है पांच साल में हर कम्पनी को चार सौ और उसमें से 54 हजार रुपये साल का कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी बट इसमें इन्होंने एक राइडर लगा दिया कि जो इन्कम टैक्सपेयी है, उसका बेटा नहीं जा सकता है। जो 21 से 24 साल का लड़का है, सिर्फ वह जा सकता है, इन राइडर्स को आप हटाइये यदि आप चाहते हैं कि एम्प्लायमेंट देना चाहते हो बच्चों को। जिसका पिता कोई सरकारी नौकर है, उसके बेटे को वह नौकरी नहीं मिलेगी, वह अप्रेंटिसशिप नहीं मिलेगी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्रीमती अनिताजी भदेल।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): भाई, यह क्यों? आप सबको देना चाहते हो तो मेरा आपसे इतना सा निवेदन है कि ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, बैठिये। अंकित नहीं होगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान विनियोग विधेयक और राजस्थान वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैंने बाली से आने वाले माननीय सदस्य को भी सुना और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को भी सुना। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि 1100 मेगावाट सोलर एनर्जी हमने डवलप की तो मैं चैलेंज देना चाहती हूं आज पूरे सदन के सामने कि 1100 मेगावाट सोलर एनर्जी यदि जनरेट की हो और कहीं पर इसका आकड़ा हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं सबके सामने माफी मांग लूंगी यदि 1100 मेगावाट सोलर एनर्जी का आकड़ा किसी भी प्रोजेक्ट में हो तो क्योंकि चार साल के बजट भाषण आप उठाकर देख लीजिए और चार साल के बजट भाषण के अतिरिक्त, माननीय सभापति महोदय, चार साल के माननीय महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण भी उठाकर देख लीजिए किसी भी अभिभाषण में 1100 मेगावाट सोलर एनर्जी को हमने जनरेट की हो, ऐसा कहीं पर उल्लेख नहीं है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैडम, प्राइवेट सेक्टर में की है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): और दूसरी बात जो ये बारबार कह रहे थे हर बजट स्पीच में, पांच सालों की बजट स्पीच में, पांच साल के महामहिम राज्यपाल के

अभिभाषण में जिन्होंने बारबार महामहिम से यह कहलवाया कि हम बिजली के क्षेत्र आत्मनिर्भर हो गये हैं, हम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गये हैं और 23 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हमने कर लिया, हमको किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वह आज की स्थिति यह है कि 23 हजार मेगावाट बिजली तो कहां गयी, आज लोगों को बिजली क्यों नहीं मिल रही है, उसका सबसे बड़ा यदि कारण कोई है तो यह पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जिसके कारण से आज बिजली नहीं मिल रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि आपने यह उल्लेख किया कि 650 मेगावाट छबड़ा और 600 और 600 मेगावाट सूरतगढ़ की सातवीं और आठवीं यूनिट के बारे में लेकिन उनको कब बजट मिला, यह यूनिट अलग से बने, उनके लिए कब सरकार ने प्रोविजन किया बजट में, कब टेंडर हुआ, कब वर्क-आर्डर जारी हुआ और कब बनकर वह तैयार हुए और कब से वह उत्पादन करेगी? यदि इसकी डिटेल में मैं चली जाऊं तो हंसी का पात्र बनेगी कांग्रेस की गवर्नमेंट कि कितना मजाक, कितना बड़ा मजाक हमारी जनता से इस कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया है? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी आपके सामने क्योंकि आप देखिये कि आकड़ों की जादूगीरी कैसी करनी है, यह उन्होंने परम्परा से सीख ली है क्योंकि 70 सालों से राज जो करते आये थे न इसलिए परम्परा से सीखी है। आप देखिये कि राजकोषीय घाटा 2019-20 में 3.77 परसेंट, 2020-21 में 5.82 परसेंट, 2021-22 में 3.96 परसेंट, 2022-23 में 3.76 परसेंट और 2023-24 के आर.ई. में 4.26 परसेंट और अभी एक्चुअल जो है 2024-25 का वह 3.93 परसेंट तो यहां पर मैं यह उल्लेख करना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में औसत वार्षिक राजकोषीय घाटा यदि इन पांच सालों का मैं एवरेज निकालूं तो 4.31 प्रतिशत है जिसको हमने अच्छा प्रबंध करके, उसको हमने एफ.आर.बी.एम. एक्ट के समकक्ष के नीचे लाने की कोशिश की है और राजकोषीय घाटे की जो सीमा है, उसको निर्धारित करने का हमने प्रयत्न किया है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह आप जी.एस.डी.पी. के बारे में बता रहे थे तो मैं जी.एस.डी.पी. के बारे में भी बताना चाहूंगी कि 2023 तक जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर जो कि 11.58 प्रतिशत थी, माननीय सभापति महोदय, वह 2024 में बढ़कर 11.58 प्रतिशत से बढ़कर 12.56 प्रतिशत हो गयी है और यह बताता है कि किस तरह से हमारी यह सरकार गुड गवर्नेंस क्योंकि जी.एस.डी.पी. जब बढ़ती है जब गुड गवर्नेंस होता है, जब भ्रष्टाचार नहीं होता है, जब ट्रांसपेरेंसी के साथ में सरकार काम करती है तो गुड गवर्नेंस के कारण ही 17 लाख 1 हजार 883 करोड़ रुपये से बढ़कर 17 लाख 81 हजार 78 करोड़ रुपये यह जी.एस.डी.पी. अभी अनुमानित है तो इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्रीजी का और हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि क्योंकि किसी भी प्रदेश की

अर्थव्यवस्था जब बढ़ती है तो रोजगार के नये अवसर मिलते हैं और रियल एस्टेट के बारे में माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी माननीय वित्त मंत्रीजी ने शहरी क्षेत्र में फ्लैट्स की कीमतों को कम करने के लिए जो स्टाम्प ड्यूटी है, वह स्टाम्प ड्यूटी पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत की है और पचास लाख रुपये तक के जो फ्लैट्स हैं उनमें छह प्रतिशत से कम करके पांच प्रतिशत की है तो मैं एक सुझाव देना चाहूंगी धन्यवाद देने के साथ-साथ क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा रोजगार सृजन का क्षेत्र है जहां से रोजगार का भी सृजन किया जा सकता है और जिससे इकोनॉमी भी बढ़ाई जा सकती है और हमारी एस.जी.डी.पी. भी बढ़ सकती है तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि डी.एल.सी. रेट या फेस वैल्यू, दोनों के ऊपर वर्तमान में जो एक जनरल स्टाम्प ड्यूटी है क्योंकि रियल एस्टेट या फ्लैट तो जयपुर और बड़े महानगरीय शहरों में ही सम्भव है लेकिन छोटे-छोटे शहरों में फ्लैट्स की कल्चर अभी भी नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, धीरे बोलिये। आवाज कम करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि 6 प्रतिशत की जो स्टाम्प ड्यूटी है, उस 6 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी को कम करके रेशनलाइज्ड किया जाये पूरे राजस्थान के लिए, इसको 6 प्रतिशत से कम करके 4 प्रतिशत किया जाये।

SSY/RTM/29.07.2024/15:50/2o

महाराष्ट्र की तर्ज पर, महाराष्ट्र की एक स्टडी आई थी, उस स्टडी में यदि हम स्टैंप ड्यूटी कम करते हैं तो हमको रेवेन्यू, जो पंजीयन नहीं हो पाते, जो रजिस्ट्रियां नहीं हो पाती, जो एग्रीमेंट के आधार पर या पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर सेल डीड्स होती हैं, उसमें स्टैंप ड्यूटी, सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल पाती है। मेरा निवेदन है कि सरकार को रेवेन्यू मिले, इसलिए स्टैंप ड्यूटी को कम किया जाये।

महाराष्ट्र की एक स्टडी है, उस स्टडी के आधार पर यदि हम देखेंगे तो महाराष्ट्र ने और गुजरात ने अपनी स्टेंप ड्यूटी कम की और उसको कम करने का फायदा यह रहा कि जो रजिस्ट्रेशन और मुद्रांक विभाग से रेवेन्यू हमको मिल रहा था, एकदम से उस साल वह रेवेन्यू 4 गुना बढ़ गया। यदि यह रेवेन्यू हमारा आता है तो जो हमारा राजकोषीय घाटा वर्तमान में है, उसको और कम करने में हमको मदद मिलेगी। साथ-साथ में लोगों के जो डॉक्युमेंट हैं, वह भी पंजीयन और रजिस्ट्रेशन विभाग से ऑथोराइज्ड होंगे। उनको रजिस्ट्री मिल जायेगी तो एक तरह से वैलिड डॉक्युमेंट उनका बन जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी गो सेस के बारे में, अभी कांग्रेस के माननीय सदस्य बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। जब कोविड आया तब आपने गो-सेस पर जो लिया हुआ रेवेन्यू था, उसको मानव जनित जितनी महामारियां हैं, अकाल हैं, उसके लिए भी खर्च करने की बात की। उसको पुनः समाप्त करके आप गो-सेस को गो के लिए ही करेंगे

तो निश्चित रूप से उसमें फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, ई व्हीकल्स की पॉलिसी सेन्ट्रल गवर्नमेंट लेकर आई है। ई व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन पर जितना शुल्क लगता है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए मैं वित्त मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करुंगी कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी जो बजट प्रस्तुत किया, उस बजट में ई व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन पर छूट दी है। साथ ही, उनके चार्जिंग के लिए स्टेशन लगाने की पॉलिसी भी नई लेकर आये हैं। उस पॉलिसी को राजस्थान में कैसे बढ़ावा मिले, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, मेरे पास बोलने के लिए तो 3-4 पाइंट और हैं, पेट्रोल, डीजल के सम्बन्ध में भी बोलना चाहती हूं।

श्री सभापतिः समय का अभाव है। समय नहीं है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आबकारी के विषय में भी बोलना चाहती हूं। जितना रेवेन्यू आबकारी से आता है।

श्री सभापतिः प्लीज, सभी सदस्य वक्ता हैं। 4.30 बजे विपक्ष के नेता बोलेंगे और 5.30 बजे सदन के नेता बोलेंगे। उसके पहले 7 वक्ता हैं। अब जो बोल रहे हैं, लॉस्ट में समय नहीं मिलेगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं चूंकि महिला हूं, इसलिए आपको ज्यादा समय देना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी आबकारी नीति के बारे में, बहुत दिनों से यह डिमांड थी हमारे एक पूर्व विधायक महोदय ने भी, इस डिमांड के चलते वह स्वर्गवासी हो गए।

श्री सभापतिः उनका समय जा रहा है, आप चिंता मत करो।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): जितनी आबकारी विभाग की रेवेन्यू हमको मिलती है।

श्री सभापतिः प्लीज, क्लोज कीजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हम बार-बार यह कहते हैं कि रेवेन्यू हमको मिल रहा है, रेवेन्यू हमको मिल रहा है इसलिए हम शराबबंदी नहीं कर सकते। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि शराबबंदी को धीरे-धीरे करते हुए बंद करना चाहिये, ताकि जितना पैसा आपको मिलता है, व रेवेन्यू हम उस नशाबंदी पर खर्च करते हुए कर सकें। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): सभापति महोदय, आपने एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं मेरी पार्टी का और आपका आभारी हूं।

निरंतर, लगातार चाहे वह 2018-19 हो, 2019-20 हो, 2020-21 हो, 2021-22 हो, जबसे सरकारें बनी हैं, तब से राजस्व घाटा बढ़ता ही जा रहा है, यह निरंतर सत्य है। बजटीय घाटा भी निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यह कम हुआ नहीं और तब से कर्जा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है और हम उन्हीं लकीरों को पीट रहे हैं कि रेवेन्यु बढ़ गया, घाटा

बढ़ गया, बजट यह हो गया, लोन बढ़ गया। यह एक निरंतर प्रक्रिया है और हर सरकार करती चली आ रही है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था, आरोप लगाया था कि राजस्थान सरकार ने इतना कर्ज लिया कि दिवालिया बना दिया। मुझे अफसोस हुआ, अभी ताजा ही परसों के अख़बार में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, हुडको से हमने 1 लाख करोड़ का ऋण लेने का फैसला किया है। एक ओर तो वह आलोचना कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद ही लोन लेकर के बात कर रहे हैं। ऐसी आलोचनाएं जिन पर हम खुद नहीं टिक सकें, तो मेहरबानी करके कोई भी पक्ष हो, उधर का हो, इधर का हो, हमको ऐसी आलोचना नहीं करनी चाहिए।

हमारे जो वर्तमान में माननीय अध्यक्ष हैं देवनानी जी साहब, इन्होंने 2021 में अपने संबोधन में कहा था कि बड़ी खराब हालत है। कर्जा लेते जा रहे हैं और यह राजस्थान ही नहीं पूरा देश दिवालिया हो जायेगा। आज उनके विचारों की सरकार है। वह भी उसी पथ पर चल रही है। उन की बात भी नहीं मान रही है। एक निरंतर प्रक्रियाएं हैं, उनके हालात ऐसे बन गये हैं पूरे देश में।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे देश में जो हालात बने हैं, वह यह हैं कि भारत में 1 प्रतिशत सबसे अमीर लोगों के पास अब इस देश की कुल संपत्ति का 40 प्रतिशत है। दूसरी ओर नीचे से 50 प्रतिशत आबादी के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 3 प्रतिशत हिस्सा है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में पहले दिन सोमवार को यह वार्षिक असमानता की रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है।

हालात यह हैं कि गरीबी बढ़ती जा रही है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। इन अमीरों पर कोई टैक्स लगाने को तैयार नहीं है। आप यह देखिये कि इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ एक अरबपति गौतम अड़ाणी को 2017 से 2021 के बीच मिली अवास्तविक लाभ पर एक मुश्त टैक्स लगाकर 8.79 लाख करोड़ रुपये जुटाये जा सकते हैं। लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। इसी प्रकार इससे 50 लाख से अधिक शिक्षकों का सारा खर्चा होता है।

एक ओर अमीरी बढ़ती जा रही है। अमीरी बढ़ने का कारण है कि हमने एक सिस्टम बदल दिया। पहले चुनाव का सिस्टम दूसरा था। अब सिस्टम यह हो गया, हम सरकारी संपत्ति के ट्रस्टी है, ट्रस्टी के रूप में हमको संभलाया गया है। हमें चुनाव लड़ने के लिए हमारे कार्यालय हर जिले में बनें, उसके लिए धन की आवश्यकता है। हम इस सरकारी संपत्ति को उद्योगों के नाम से, रियायतों के नाम से करोड़ों के भाव करोड़ों, अरबों रुपयों की संपत्ति हम इन उद्योगपतियों को लुटवा रहे हैं। आज देश के हालात यह है कि हम इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह व्यक्तिगत मामला है कि कोई भी आदमी कैसे भी शादी करे। यह उसका अधिकार है। लेकिन अगर अंबानी जी को खुले आम अरबों रुपयों की संपत्ति भारत सरकार और हम नहीं लुटाते तो क्या वह 5 हजार करोड़ शादी में खर्च कर सकते थे? क्या वह 500 करोड़ का हार पहन सकते थे? पूरे देश में जो

ऐसा भौंडा प्रदर्शन किया गया जिसकी अखबारों ने भी सराहना की, टीवी चैनल पर भी लगा। लंबा समय भी लगा। मुझे अफसोस है कि कि ऐसे भौंडे प्रदर्शन में जहां नाच भी एक अलग किस्म के हो रहे थे, एक्टर्स भी अपनी भूमिका निभा रहे थे, वहां माननीय प्रधान मंत्री जी का जाना मुझे शोभा जनक नहीं लगा। भारतीय संस्कृति की बात करने वाले ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): इनको रोको ...(व्यवधान)... भारतीय संस्कृति की बात करने वाले ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः ऐसा कोई शब्द हो तो निकाल देना। विराजिये, विराजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आपने पूरा ठेका ले लिया क्या ...(व्यवधान)... ठेका ले लिया क्या आपने? आप हमेशा डिस्टर्ब करते हो। आपने ठेका ले लिया? 4 दिन से आप लगातार कर रहे हो ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): उनको रोको।

श्री सभापतिः प्लीज, प्लीज ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, शांत। ऐसा कोई शब्द है तो निकाला जायेगा ...(व्यवधान)... आप विराजिये। ऐसा कोई वाक्य इसमें आ गया होगा तो निकाला जायेगा। विराजिये, विराजिये। ऐसा कोई शब्द है तो निकाल देंगे। विराजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यही नहीं, आप उनको बैठाइये।

श्री सभापतिः वह विराज गये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): अडाणी जी और अंबानी जी से अरबों रुपयों का चुनावी चंदा लेकर, उनका बेजा फायदा उठा रहे हैं यह लोग। अगर वह चंदा नहीं लेते तो मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन की यह हिम्मत नहीं थी कि हर जिले में 2-2, 3-3 करोड़ का यह ऑफिस बना लेते।

(समयः बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

इन्होंने चुनाव का चंदा लिया है ...(व्यवधान)... चुनाव का चंदा लेकर के, चुनाव के आधार पर, इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि सरकारों को इस प्रकार जिस धन के यह ट्रस्टी हैं ...(व्यवधान)...

Spp/Rtm/29.07.2024/16:00/2p

जिस धन के यह ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी हो आप, मालिक नहीं हो। जनता का पैसा है, लुटाने के लिये नहीं है। आपको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिये। एप्रोप्रियेशन के दिन मैं राजस्थान सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार के हालात देश में बन रहे हैं, आप जिस सम्पत्ति के ट्रस्टी है, उस ट्रस्टी को उद्योगपतियों को चन्दा लेने के नाम पर, चुनाव लड़ने के नाम पर, अपनी पार्टी के कार्यालय बनाने के नाम पर मेहरबानी करके आप ट्रस्टी

हो, उस सम्पत्ति को इस प्रकार आप न लुटायें। ..(व्यवधान)...

श्री सभापतिः बिराजें। श्री यूनुस खान।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आपसे मेरा दूसरा निवेदन है। ..(व्यवधान)...

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा। ..(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000 ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः पूरा समय बोले हैं, साहब। आप पूरा समय बोले हैं। समय से अधिक बोले हैं। ..(व्यवधान).. आप पूरा समय बोले हैं, समय से अधिक ही बोले हैं, ऐसा नहीं कह सकते आप। ..(व्यवधान).. श्री यूनुस खान।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री सभापतिः श्री यूनुस खान, आप बोलिये। आपका समय प्रारम्भ हो चुका है।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ..(व्यवधान).. मेरा अब शुरू हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्या-4) पर बोलने का मौका दिया। चूंकि आज की चर्चा में राजाखेड़ा बहुत चर्चित है और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य जब भाषण दे रहे थे तो मैं इनको सुन रहा था। इन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राजस्थान को डैट ट्रेप में डाल दिया। मैं आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, बताना चाहता हूं कि इन्होंने जब इनका जी एस डी पी रेशो था 37.74 और इन्होंने जो प्रपोज किया है, वह है 35.97, तो मुझे लगता है कि राजस्थान को डैट ट्रेप किसने करवाया, यह आज सारा सदन जानता है। यह आंकड़े बताते हैं कि डैट ट्रेप किसने कराया। अगर इनके आंकड़ों पर ध्यान दें, माननीय सभापति महोदय, तो मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि पिछली सरकार ने सोशल सिक्योरिटीज के नाम से अन-प्रोडक्टिव काम करने की कोशिश की, जिससे आज राजस्थान की यह हालत हो गयी। आप देखिये, मोबाइल बांटने के लिये पैसे बांट रहे हैं। आज अनेकों ऐसी योजनाएं इनकी मैं पढ़ रहा था जो अन-प्रोडक्टिव हैं, तो जब तक राजस्थान के अन्दर प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं करोगे, तब तक न तो आपको न तो एम्प्लायमेंट मिलेगा, आपके लोगों को रोजगार के अवसर के अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा तो मेरा निवेदन यह है कि सोशल सिक्योरिटीज के नाम से जनता का पैसा सरकारें लुटाती हैं और इनको कोई अधिकार नहीं है। आज राजस्थान लगभग आज की तारीख में 6 लाख हजार करोड़ के लोन के नीचे है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं इनके सारे आंकड़े देख रहा था, इन्होंने जो लोन लिया, वह तो लिया। मैं तो RSRDC की बात करूंगा। PWD की सड़कें RSRDC के थ्रू लोन लेकर और इन्होंने निर्माण करने का बहुत काम किया, जिसमें राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 का सीधा-सीधा उल्लंघन था, क्योंकि राज्य सरकार के पास एक लिमिटेड GSDP का लोन था, उसका वॉयलेशन इन्होंने कम से कम 15 संस्थाओं में लोन लेकर किया, जिसकी वजह से राजस्थान की आज यह

हालत हुई है। इसलिये किसी भी पार्टी को, चाहे सरकार इनकी हो, चाहे इनकी हो, उनको अधिकार नहीं है कि लोगों से, गरीबों से जो टैक्स लेते हैं जी एस टी के रूप में, उसका दुरुपयोग करें। माननीय सभापति महोदय, दुरुपयोग हुआ है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसके साथ-साथ रेवेन्यू भी रोक दिया। मैंने RSRDC की बात की। टोल भी बिना टेण्डर के कर दिये। बिना टेण्डर टोल चलाते रहे। एक तरफ पैसा नहीं आया और दूसरी तरफ लोन के नीचे दबा दिया। इसी तरीके से, मैं आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, कहना चाहूंगा और अब मैं सरकार को यह भी निवेदन करूंगा कि आपने यह बजट रखा है और इसमें लगभग 4 लाख 96 हजार करोड़ की आपने बात कही है। लेकिन आपने यह बताया है कि सवा लाख करोड़ के करीब इनके पास टैक्स के माध्यम से आयेगा। जब तक यह कड़े कदम उठाकर अपना रेवेन्यू जनरेशन नहीं करेंगे तब तक स्टेट लोन के नीचे आयेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा इनसे भी आग्रह है कि आप कुछ ऐसे उपाय करिये कि आपका रेवेन्यू, जो सवा लाख रुपया आपने अपने स्वयं के साधनों से बताया है, वह बढ़कर कम से कम पौने 2 लाख तक जायेगा तो स्टेट की रिलीफ मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और राजस्थान आगे बढ़ेगा। हमें सोचना है, यह तो इन पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने डुबो दिया। अब यह कह रहे हैं कि आप डुबाने की तैयारी कर रहे हो, तो मेरा आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, यह कहना है ...(व्यवधान)..

श्री सभापतिः समाप्त करें।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): सर, मेरा तो मूड बनने ही लगा है।

श्री सभापतिः बस आज इतना-इतना ही समय मिल पायेगा। आज समय की बाध्यता है। ..(व्यवधान)...

श्री यूनुस खान (डीडवाना): नहीं-नहीं, मैं इधर नहीं बोल रहा हूं, सर। मैं राजस्थान के लिये बोल रहा हूं। न तो मैं आपके पक्ष में बोलूंगा, न इनके पक्ष में बोलूंगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चार लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की बात कही और 10 लाख लोगों को अवसर देने की बात कही। निश्चित रूप से सही है, क्योंकि इनकी सरकार ने पिछली बार लास्ट टाइम में तो नौकरियां निकालीं, लास्ट टाइम में सोशल सिक्योरिटीज लायी लो फोन ले लो, ये लेलो, वो लेलो। इनसे मेरा आग्रह है कि अभी से अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दें और अभी से वेकेन्सीज निकालकर लोगों को रोजगार देने का काम करें और थोड़ी सी कड़वी दवा देनी पड़े तो दें, क्योंकि आप टैक्स लगाकर भी नया रेवेन्यू जनरेशन करेंगे तो स्टेट के पास स्कोप बढ़ेगा और अभी चूंकि डबल इंजन की सरकार है और आप दिल्ली से भी अच्छे पैसे ला सकते हैं तो आप ऐसे एक्सपर्ट लोगों को लगाइये जो दिल्ली से पैसा लाने में माहिर हों। अलग अलग विभागों में एक्सरसाइज करके दिल्ली से पैसा लायें, जिससे राजस्थान आगे बढ़े। माननीय सभापति महोदय, मैं लास्ट में इतना ही

कहूंगा कि माननीय वसुन्धरा जी ई आर सी पी की जो योजना लायी थी, जिस तरीके से पूरे राजस्थान में माहौल बना था और पिछली सरकार ने क्या किया था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, अब चूंकि केन्द्र में भी भाजपा की सरकार है, यहां भी भाजपा की सरकार है और लगभग 80 विधान सभा क्षेत्रों में, लगभग 21 नये जिले हो गये, उनमें एक जीवनदायिनी बन सकती है। उस पर ईमानदारी से जल्दी काम करें, यह मेरा सरकार से आग्रह रहेगा। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री जुबेर खान। संक्षिप्त में अपनी बात कहें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, क्योंकि समय आप बहुत कम देंगे और घंटी बजायेंगे, इसलिये मैं तो टू दा पाइंट अपने क्षेत्र की बात करूंगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बृज रीजनल डवलपमेंट बोर्ड का गठन इस सरकार ने किया ताकि बृज क्षेत्र का भी विकास हो सके और इसके साथ-साथ मेवात-डांग और मगरा रीजनल डवलपमेंट बोर्ड को 40 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ किया, इसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को और वित्त मंत्रीजी को।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी बजट में जो कैपिटल बनती है, जो असेट्स बनते हैं, वह कितने बन रहे हैं, यह बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एक रुपया सरकार के पास आयेगा कहां-कहां से और रुपया जायेगा कैसे-कैसे? अब ज्यादातर सबसे बड़ा हिस्सा तो लोन चुकाने में जा रहा है, जो आपने पैसा लोन के रूप में ले रखा है। कहते हैं न इस सरकार ने इतना लोन ले लिया और इसने इतना कर्जा ले लिया। आप देखिये, सबसे ज्यादा पैसा आपका कर्जा चुकाने में जा रहा है। विकास पर नहीं जा रहा है तो यह आंकड़ेबाजी करना, हम भी 1990 से देख रहे हैं। फिर फेंक दोगे बॉल, हम उधर फेंक देंगे। सवाल इससे नहीं होगा। सवाल इससे होगा कि हम अपने साधन जुटाकर कैसे राजस्थान का विकास करें, न कि बैंकों से, हुडको से और इनसे लोन ले-लेकर करें और आगे कर्जा बढ़ता जाये। आज 70 हजार के करीब एक आदमी पर कर्जा है राजस्थान में। जो बच्चा पैसा होता है उस पर भी 70 हजार का लोन है और यह बढ़ता ही जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार को करनी चाहिये। एक तरफ तो कहते हैं कि हम इतना बजट लाये हैं, हमारा मैनेजमेंट ऐसा है। उप मुख्य मंत्रीजी 2023-24 का जो बजट है, वह अभी पचास प्रतिशत भी खर्च नहीं हुआ है।

MLS/RTM/29.07.2024/16:10/2q

आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रोक लगा रखी है कि 2023-24 के बजट में जितने भी कार्य स्वीकृत हुए हैं, चाहे रूरल डवलपमेंट योजनाओं में हुए हों, चाहे और योजनाओं में हुए हों, उन पर आगे कोई काम नहीं होगा। अगर एएस नहीं निकली है तो एएस नहीं निकलेगी, एफएस नहीं निकली है तो एफएस नहीं निकलेगी, टैंडर नहीं लगा है तो टैंडर नहीं लगेगा, वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है तो वर्क ऑडर नहीं होगा और वर्क ऑर्डर होने के बाद काम शुरू नहीं हुआ

है तो काम शुरू नहीं होगा। क्या करेंगे आप इस पैसे का? आपके अकेले मेवात में, डांग में, मगरा में नवाचार में कम से कम 40-50 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं जिन कामों का अनुमोदन हो गया है राजस्थान सरकार के लेवल से, बोर्ड के लेवल से। आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के 22.12.2023 के आदेश से जिलों में रोक लगा दी है। आप खुलवाइये उन आदेशों को, ताकि काम हो। यहां आंकड़ों से थोड़ी काम चलेगा।

सभापति जी, मैं एक निवेदन और करना चाह रहा हूं। यूआईटी के पैराफेरी एरिया में रूरल के गांव आते हैं, उनमें सारी जमीन यूआईटी के नाम चली जाती है, चाहे वह गोचर हो, सिवायचक हो। आज हालत यह है कि यूआईटी अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जगह अनइन्वाइटेड अरबन ट्रस्ट हो गया है। आज सरकारी विद्यालय जो 50 साल से बने हुए हैं, उनमें पैसा नहीं लग पा रहा है, क्योंकि यूआईटी के नाम हो गये और यूआईटी एनओसी नहीं देती है। आज जहां श्मशान घाट बने हुए हैं, कब्रिस्तान बने पड़े हैं, वहां पैसा नहीं लग रहा है। कहते हैं, यूआईटी से आप एनओसी लाइये। यूआईटी एनओसी देती नहीं है। क्या ये जनता के काम नहीं हैं? स्कूलें हैं, कॉलेज हैं, सब-सैंटर्स हैं, श्मशान घाट हैं, कब्रिस्तान हैं, आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, इनमें पैसा कैसे लगेगा? आप यूआईटी को निर्देशित कीजिये कि जो पब्लिक यूटिलिटी के काम हैं, जो सरकारी संस्थाओं की बिल्डिंग्स हैं, उनमें काम करने की एनओसी दें, ताकि वहां काम हो सकें।

मैं आपसे एक दूसरा निवेदन करूंगा, डबल इंजन की सरकार है, मुख्य मंत्री ने चिट्ठी भी लिखी है, अलवर जिले में एनसीआर की वजह से नये औद्योगिक क्षेत्रों को परमिशन नहीं मिल रही है एनसीजेड के कारण, जबकि यह तय हो चुका था कि अलवर एनसीआर में नहीं आता है। 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है, इसलिए उसे एनसीआर से निकाला जाये। आप अलवर के एनसीआर को हटवाइये। हमें कोई फायदा नहीं है एनसीआर से, बल्कि नुकसान ही नुकसान हो रहा है।

श्री सभापतिः विराजें। श्री गुरवीर सिंह।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं अन्त में सम-अप करूंगा। आप लोगों की सरकार ने, आपके विधायकों ने, आपके मंत्रियों ने मेवात को बदनाम करके रखा हुआ है। मेवात के लोग वे हैं जो हसन खां मेवाती के वंशज हैं, जो बाबर के खिलाफ राणा सांगा के साथ मिलकर लड़े थे। आज आप उन्हें कॉर्नर कर रहे हैं। टोंक में भू-माफिया पुलिस वाले को मार दे, उसका घर नहीं तोड़ा जाता है। आज मेवात में घर तोड़ा जा रहा है। ज्यादतियां हो रही हैं। मैं कहता हूं, जो क्राइम करता है, उसे सज़ा दीजिये, लेकिन यह नहीं कि इलाके में मर्जी आये, उसके खिलाफ कार्रवाई करें।

श्री सभापतिः विराजिये। श्री गुरवीर सिंह।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप एक तरह से कार्रवाई करें। आप मेवात में शिक्षा देना नहीं चाहते, रोजगार देना नहीं चाहते, उद्योग लगाना नहीं चाहते...

श्री सभापतिः विराजिये माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 114 के तहत एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का आज आपने हमें मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री सभापति: विराजें, आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): आज देश ने जहां यूनियन बजट देखा, राजस्थान का बजट देखा, उसकी चर्चा कई दिन से चल रही है। इस सदन में भी चल रही है और हमारी पार्लियामेंट में भी चल रही है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिये। प्लीज।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): इस सदन में भी चल रही है और हमारी पार्लियामेंट में भी चल रही है। हमारे जैसे युवा विधायक, जिन्हें पहली बार यहां सदन में आने का मौका मिला, हम बड़ी आशा और उम्मीद के साथ सदन में आये और आज की चर्चा के प्रति भी हमारी उत्सुकता काफी थी कि यहां बहुत अच्छी चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी, आंकड़ों पर चर्चा होगी, पर हमारे सीनियर विधायक तो अम्बानी जी की प्लेट और उनकी शादियों में डांसरों तक पहुंच गये। मुझे लगता है, हम बजट पर फोकस करें।

राजस्थान का बजट किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, पूरा देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस पर हमें सोचना चाहिये। आज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट की बात करें, पिछला बजट जो आपका चुनावी बजट था और हमारी सरकार का जो पहला बजट है, उसके आंकड़े कम्पेयर करें तो हमारी जो स्टेट जीडीपी है, 17 लाख 81 हजार 70 करोड़ की जो आज हमारी जीडीपी है, वह पिछली सरकार के कम्पैरिजन में 16.5 परसेंट हायर है, जो राजस्थान को नयी दिशा की ओर लेकर जायेगी।

रैवेन्यू डैफिसिट की अगर बात करें, which is estimated in the last budget, 2024-25 का जो हमारा टारगेट है, i.e. 1.4 परसेंट और पिछले साल का कम्पेयर करें तो 2 परसेंट है जो रिवाइज्ड एस्टीमेट में है। वहीं, फिस्कल डैफिसिट की बात करें तो आज हमारी सरकार का 2024-25 का टारगेट है, i.e. 3.9 परसेंट और जो पिछली सरकार का बजट अभी रिवाइज्ड एस्टीमेट के हिसाब से 4.3 परसेंट है। अगर हम एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग जो फिस्कल डैफिसिट की और फिस्कल डिसिप्लिन की जो गाइडलाइन हमें जारी हुई है, आज हमारा राजस्थान रैवेन्यू डैफिसिट और फिस्कल डैफिसिट में भी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में है। हमारी स्थिति नियंत्रण में है।

जो हमारा एक्सपैंडिचर और जो हमारे मेन विभाग हैं, जो हमारे की फैक्टर्स हैं, मुझे खुशी है कि इनके चुनावी बजट से आज हमारे बजट में हम एजूकेशन सैक्टर की बात करें, यह राष्ट्र युवा राष्ट्र है, हमारी 65 परसेंट आबादी युवा है और आज एजूकेशन की फील्ड में अगर

हम पूरे देश में तुलना करें, जो average allocation by all the states in India, i.e. 14.7 परसेंट और जो हमारे राजस्थान का है, वह 19.5 परसेंट है, जो कि इनके 5 परसेंट नेशनल एवरेज से हमारा एजूकेशन बिल ज्यादा है। हैल्थ सैक्टर की बात करें तो टोटल जो एवरेज स्टेट्स का 6.2 है और वह राजस्थान में 8.3 है। रूरल डवलपमेंट की बात करें तो average of all states 5 परसेंट है, आज राजस्थान का 6.1 परसेंट है। अरबन डवलपमेंट में भी हम कहीं पीछे नहीं हैं। जहां all over India स्टेट्स का एवरेज 3.9 परसेंट है, वहां राजस्थान का 5.1 है। जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां, पूरे इंडिया में 365 में से राजस्थान में 342 क्लीयर डेज सनलाइट मिलती है, इसका फायदा राजस्थान लेगा। काफी जनों ने इस पर चिन्ता जाहिर की।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

पूरे all India level पर जहां स्टेट्स में 4.3 परसेंट एनर्जी पर हम एक्सपैंडिचर कर रहे हैं, हमारा राजस्थान 9.2 परसेंट आज एनर्जी पर एक्सपैंडिचर कर रहा है। एग्रीकल्चर की बात करें तो 4.3 परसेंट है, पर जो इर्रिगेशन के लिए बजट मिला है, वह अपने आप में इतिहास रचने वाला बजट है कि हजारों करोड़ के प्रावधान इर्रिगेशन में मिले हैं। डीजल-पेट्रोल का रेट, हम गंगानगर जिले से आते हैं, पूरे देश-दुनिया का सबसे महंगा डीजल-पेट्रोल हमें वहां भुगतना पड़ रहा था, आज 6.50 रुपये डीजल और 7.50 रुपये पेट्रोल का पंजाब और हरियाणा के आसपास के स्टेट्स में हमें फायदा मिला है। वहीं मॉडिफाइड बजट स्टडी की बात करें, the percentage of development expenditure, that's like an engine of growth.

पिछले सालों के आंकड़े जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जो पिछली सरकार ने डवलपमेंट एक्सपैंडिचर की शुरुआत मात्र 65 परसेंट से की थी, आज हमारी सरकार उसे 70 परसेंट तक ले आयी है। जहां 2020-21 में 66.27 पर थे, 2021-22 में 68.82 पर थे, आज 2024-25 में 69.95 परसेंट पर आज राजस्थान ने डवलपमेंट एक्सपैंडिचर पर खर्च करने का टारगेट लिया है। वहीं, मॉडिफाइड बजट स्टडी में सोशल सर्विसेज, जो हमारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनमें चाहे हमारी शिक्षा हो, खेल हो, कला संस्कृति हो, चिकित्सा हो, उस बजट में जहां पिछली सरकार ने 40 परसेंट से शुरुआत की थी, आज हमारी सरकार उसे 45.07 पर लेकर आयी है। हम सोशल सर्विसेज में भी कहीं पीछे नहीं हैं।

हमारी युवा पॉपूलेशन के लिए जो हमारी डैमोग्राफिक डिविडेंड का जो नाम हमारे इकोनॉमिस्ट्स ने दिया है, क्योंकि आज जिस तरीके की आबादी हमारे युवा राष्ट्र में है, आज हमारी सरकार ने यूथ पॉलिसी के साथ जिस तरीके का, चाहे वह स्टेट स्किल पॉलिसी हो, अटल एंट्रेप्रिन्योरशिप प्रोग्राम हो, स्टार्ट-अप के लिए फंडिंग हो, लीप प्रोग्राम हो और बिजनेस इनिशिएटिव्ज के लिए प्रोग्राम हों। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) मान्यवर, पहले जुबेर खां जी मेरा टाइम ले गये।

श्री अध्यक्षः 4.30 बजे बताया हुआ है।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): जो इन्फ्लेशन का रेट है, जो टारगेट रेट इंडिया का था, आज सिर्फ अमेरिका और ब्राजील हम से एक कदम आगे हैं। बाकी पूरी दुनिया में आज हमारी इन्फ्लेशन रेट कम है।

श्री अध्यक्षः जो रह गया है, वह टेबल कर दें। अंकित नहीं होगा। रीटा चौधरी।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): 000

श्री अध्यक्षः 5-6 मिनट में पूरा करें।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट 2024-25 अपने पारित होने की अवस्था तक पहुंच गया है। चूंकि लोकतंत्र में बहुमत का आंकड़ा सरकार के पास है, इसलिए यह बजट पारित तो होना ही है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि यह विधेयक पारित होने के बाद संचित निधि से भारी-भरकम राशि सरकार को मिलेगी।

mkd/rtm/29.07.2024/16.20/3a

मैं अपेक्षा करती हूं कि जब सदन के नेता यहां बैठे हों और जब वे अपना जवाब पेश करें तो बुनियादी तथ्य, जो यहां के सदस्यों ने सदन में उठाये हैं, उनका जवाब दें न कि दिल्ली की केन्द्र सरकार का यहां पर महिमामंडन किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजकोषीय घाटे की बात करूं। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन एक आम आदमी की तरह बजट को किस ढंग से समझा जाता है, उस पर मैं आना चाहूंगी। आपने अपने बजट के अनुमानों में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.93 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है और पिछली सरकार के अन्तिम बजट में लगभग इतना ही प्रतिशत हम लोग छोड़कर गये थे।

वर्तमान सरकार डबल इंजन का नारा देकर सत्ता में आई, इसके बावजूद राजकोषीय घाटे में कोई सुधार नहीं हो रहा है। केन्द्रीय करों में राजस्थान का हिस्सा तो आपको मिल जायेगा लेकिन अभी 23 तारीख को जो बजट आया था, बहुत सुनने के बाद भी राजस्थान को कोई अनुदान नहीं मिला, न ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की, न किसी प्रकार का अनुदान लेकर आये।

अध्यक्ष महोदय, एक सामान्य व्यक्ति भी इतनी समझ रखता है कि सरकार एक वर्ष में जितनी आय प्राप्त करती है, यदि उससे अधिक खर्च होता है तो राजकोषीय घाटा कहलाता है, फिस्कल डेफिसिट, इस घाटे को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ता है। ऋण लेने से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है, जिससे महंगाई बढ़ती है। यह महंगाई आमजन को प्रभावित करती है। इस बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा 3.93 बताया और वास्तव में अभी तो यह अनुमान है, यह तो पहले बजट का हाल है, आगे देखो होता है क्या?

अध्यक्ष महोदय, मैं बात करुंगा फिस्कल रिस्पोंसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के बारे

में। 2003 में केन्द्र में वाजपेयी सरकार थी, वे इस एक्ट के दायरे में दो बातें लेकर आये। एक तो राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3 परसेंट से कम लाना। दूसरा राजस्व घाटे को क्रमबद्ध रूप में जीरो परसेंट तक पहुंचाना, लेकिन वर्तमान बजट में राजस्व घाटा स्टेट जीडीपी का 1.45 परसेंट है और राजकोषीय घाटा स्टेट जीडीपी का 3.93 है। इन दोनों ही मानकों तक पहुंचने की ठोस रूपरेखा हमें बजट में कहीं दिखाई नहीं देती है।

एक तरफ आप राजकोषीय घाटे की बात करते हैं, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की बात बजट में करते हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, यदि आपको लगता है कि वास्तव में सरकार सचेत है और राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण है तो क्यों नहीं आप आमजन को राहत पहुंचाने के लिए डीजल और पेट्रोल के अन्दर वैट और कम करें? लेकिन एक बात कहूंगी, दिया जी के लिए बड़ी होशियारी से उन्होंने बोला, दिखा के चॉकलेट, ललचा के चली गईं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण को बड़े ध्यान से सुना। विनियोग विधेयक को पढ़ा और 23 जुलाई को केन्द्र का बजट आया, उसको भी मैंने बहुत ध्यान से सुना, लेकिन राजस्थान को अगर कुछ मिलता तो हमारे विनियोग विधेयक का आकार बहुत बड़ा होता, लेकिन मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि केन्द्र सरकार ने अपनी दो बैसाखियां हैं, उनको मजबूत करने, अपनी सरकार को बचाने के लिए, सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को ही बजट दिया।

ऐसा मान लेते हैं कि राजस्थान को बजट में इसलिए भी नहीं दिया, क्योंकि 11 सीटें हार गये हैं तो उस हार का बदला लेने के लिए भी राजस्थान को कुछ नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं फिराक जलाल पुरी के एक शेर के माध्यम से आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि सदन के हमारे जो नेता हैं, अभी वे भी बोलेंगे। हम उनको सुनेंगे और मुझे पता है क्योंकि मोदी जी भी नेहरू जी को ब्लैम करते हैं कि नेहरू जी की वजह से नहीं हुआ, वह स्थिति राजस्थान के अन्दर रहेगी। शेर है:-

तू इधर-उधर की न बात कर,
तू इधर-उधर की न बात कर,
ये बता काफिला क्यों लुटा,
तू इधर-उधर की न बात कर,
ये बता कि काफिला क्यों लुटा,
हमें रहजनों से गिला नहीं,
ये तेरी रहबरी का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं यमुना जल डीपीआर के बिन्दु पर आऊंगी। अपनी बात दो मिनट में खत्म करूंगी।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। मुझे 5 मिनट में खत्म करना है। अभी एक वक्ता और हैं।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आपके माध्यम से उनके बजट भाषण के पृष्ठ संख्या 94 पर ले जाना चाहती हूं। हरियाणा से यमुना का पानी

राजस्थान के तीन जिलों में लाने के लिए अभी बजट के अन्दर 60 करोड़ रुपये डीपीआर के लिए विनियोग विधेयक से सिंचाई विभाग से मांगों से निकाला जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, जिस सिंचित निधि से इन 60 करोड़ की निकासी होगी, वह निधि की मालिक सरकार नहीं जनता है, जनता के टैक्स का पैसा है। आपका एमओयू 17 फरवरी, 2024 को हुआ, हरियाणा और राजस्थान का, अभी तक आपने यह नहीं रखा यहां पर पटल पर कि एमओयू में क्या शर्तें थीं और न हरियाणा ने अपने बजट में यह रखा कि हम राजस्थान की सीमा तक पाइप लाइन ले जायेंगे, डीपीआर के लिए कितना पैसा वे रखेंगे, हरियाणा की सरकार ने अभी तक नहीं बताया।

हरियाणा के सदन में मुख्य मंत्री ने अपने वित्त मंत्री के तौर पर भाषण के अन्दर यह कहा कि बाढ़ के अन्दर 24 हजार क्यूसिक पानी जो है, वह वेस्ट जाता है और उस 24 हजार क्यूसिक पानी को हम सिंचित करेंगे। इसके लिए पहले चरखी दादरी के अन्दर, आपके भिवानी के अन्दर पानी नहीं पहुंचेगा। पहले हरियाणा वह पानी काम में लेगा और उसके बाद राजस्थान के अन्दर पानी भेजेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जब सदन के नेता बोलें तो कम से कम, क्योंकि किसान देख रहे हैं..।

श्री अध्यक्षः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बस आपका हो गया, ये अंकित नहीं हो। श्री सुभाष गर्ग। पांच मिनट में पूरा करना है।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): 000

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): राजस्थान वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर चर्चा पर के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं केवल पांच मिनट ही लूंगा। दो मुद्दे पर बात करूंगा।

श्री अध्यक्षः साढ़े चार बजे शुरू करवाना है।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): एक तो वित्तीय प्रबन्धन को लेकर बात करना चाहूंगा। वित्तीय प्रबन्धन पर बात करने से पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि जो बजट दिया और भरतपुर के लिए जो सौगात उन्होंने दी है, मैं उसके लिए भरतपुर की जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही, मैं बजट का दसवां पॉइंट, सरकार ने दस संकल्प लिये थे, दसवें पॉइंट की बात करना चाहता हूं, गुड गवर्नेंस।

जिसमें लिखा है, परफोर्म, रिफॉर्म एण्ड ट्रांसफोर्म अब इन तीनों चीजों के लिए दो चीजें बड़ी जरूरी है। एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सरकार कैसे करेगी, किस एफिशिएंसी के साथ करेगी और फिस्कल डेफिसिट को कम करते हुए और लोगों की आकांशाओं को कैसे पूर्ति करे। दूसरा, जो गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। उसके लिए मकसद सरकार का क्या है? इसके ऊपर ध्यान दें।

इसके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर कैग की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट को देखें, मैंने पिछले आठ, दस सालों की, पन्द्रह सालों की रिपोर्ट देखी है। एक ही ऑब्जर्वेशन आता है, सरकार कोई भी रही हो, चाहे इधर की रही ओ चाहे उधर की रही हो,

आब्जर्वेशन आता है कि राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत तरीके से प्रकटीकरण किया जाता है। यह सब सरकारें कर रही हैं। जो कि नियमों के खिलाफ है। चाहे वो आईजीएस नियम हों, जीएआर नियम हों, चाहे जीएफ एंड आर हो, उन नियमों के विरुद्ध कर रही हैं तो इसको देखें।

जो ऑफिसर्स हैं, जो इस चीज को, मैनिपुलेशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन एप्रोपिएशन करते हैं। दूसरा, राजस्व की मूल प्राप्ति के बिना, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दिखा दी जाती है। यह भी देखने वाला पॉइंट है और तीसरा बिना बजट प्रावधानों के व्यय किया जाता है। पिछले कई दस, पन्द्रह सालों से होता रहा है। वह इसलिए, जैसा यूनुस जी कह रहे थे कि हम जो कॉर्पोरेशन बनाते चले जा रहे हैं, हर सरकार, कोई भी सरकार आती है, वह स्टेट डिपार्टमेंट की जगह काम करने के कॉर्पोरेशन बनाने पर विश्वास रखती है। उसका कारण क्या है? कि हमें ऋण मिल जाता है और ऋण मिलने की वजह से वे काम हो जाते हैं। तो मैं यह कहना चाहूंगा और बहुत सारे सदस्यों ने कहा और यह मानकर चलिये, कोई भी सरकार रहे, ऋण तो लेना ही पड़ेगा, बिना ऋण के कोई काम कर ही नहीं सकते।

डेफिसिट फाइनेंस भी आपका बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा। बात है, गुड गवर्नेंस कैसे दें? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, जो हम नहीं कर पाये, उसका कारण में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ऑफिसर्स नहीं चाहते।

एक बिल विचाराधीन है और वह बिल है राजस्थान गारंटीड सर्विस डिलिवरी बिल। अगर आप उस बिल को ले आयें, उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया था, पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया था, लोगों के खूब सुझाव आये थे, चाहे सिविल सोसायटीज के लोग हों, चाहे एनजीओज हों, किसानों के, उन सुझावों को पढ़ाना। मैं खुद उस विभाग को सम्भाल रहा था, काफी बहस हुई। लेकिन हम नहीं कर पाये। आपसे हमें उम्मीद है, उस गारंटीड सर्विस बिल को यदि आपने ला दिया तो पब्लिक को बड़ी राहत मिलेगी ओर लोअर लेवल का जो करप्शन है, जिसमें हायर लेवल के लोग भी मिल जाते हैं, उस करप्शन को आप रूल्ड आउट कर दोगे, जीरो टालरेंस की बात आप कर रहे हैं।

मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि अगर सरकार की स्पष्ट रूप से कोई मंशा है और आपने वह बिल ला दिया, तो मैं समझता हूं आपका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों के लिखा जायेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करना चाहूंगा।

Bhs/Rtm/29.7.24/16.30/3b

श्री अध्यक्षः माननीय विपक्ष के नेता, श्री टीकाराम जी जूली। एक सेकंड। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जब विपक्ष के नेता बोल रहे हों, बीच में कोई नहीं बोलें। जब सदन के नेता बोल रहे हों, इधर से भी कोई न बोलें। ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश का आत्माविहीन बजट पारण की अन्तिम अवस्था में पहुंच गया और इस पूरी चर्चा के दौरान

हमने, हमारे पूरे सदस्यों ने, आपके भी काफी सदस्यों ने काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिये लेकिन किसी भी सुझाव को शामिल न करते हुए, क्योंकि आप लोग इन सब चीजों को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, इन सभी सुझावों को इग्नोर करते हुए आज यहां तक आ गये हैं।

मैं अपनी बात शुरू करने से पहले भारतीय ओलंपिक में जो हमारे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा और मनु भाकर ने कल जो कांस्य पदक जीत कर हमारे देश का गौरव बढ़ाया है उसके लिए बधाई देता हूं। पहली महिला बनी हैं देश की, इसके लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। मैं, चूंकि पिछला जो पखवाड़ा गया है राजस्थान की धरती के कई वीर इस मातृभूमि की रक्षा करते हुए बॉर्डर पर शहीद हुए उनको भी मेरी ओर से, इस सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिन वीरों ने इस देश का गौरव बढ़ाया, हमारी रक्षा की, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए मुख्य मंत्री जी आपके पास दो मिनट का भी समय नहीं था, इस चीज का मुझे जरूर दुःख रहेगा। यह बात मैं कहना चाहूंगा। ...(व्यवधान)... मैं तो मुख्य मंत्री की कह रहा हूं, भाई, मंत्री जी की थोड़े ही कही है।

दूसरी बात, चूंकि डबल इंजन की सरकार का जुमला जो चल रहा है यहां पर, वह मैं कहना चाहूंगा कि जो डबल इंजन की सरकार है इसके एक इंजन के ड्राइवर प्रधान मंत्री जी हैं, दूसरे इंजन के ड्राइवर हमारे मुख्य मंत्री जी हैं और प्रदेश की जनता की खून-पसीने की जो कमाई है वो एक इंजन तो विदेशों में चल रहा है और दूसरा जो हमारा इंजन है, जिससे उम्मीद थी कि शहीदों के घर जायेगा बैठने, सांत्वना देने, वो लगातार दिल्ली के ही चक्कर लगा रहा है। ...(व्यवधान)... मुख्य मंत्री जी, बीच में दो-तीन बार कई लोगों से मुलाकात हुई। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी सक्षम हैं वे जवाब दे देंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जो लोग आपसे मिलने गये थे, मिलने गये, गेट पर पूछा, पता चला कि मुख्य मंत्री जी दिल्ली गये हैं। फिर वो दो दिन बाद वापस गये, फिर पूछा मुख्य मंत्री जी हैं क्या, फिर पता चला मुख्य मंत्री जी दिल्ली गये हैं और पिछले काफी समय से चूंकि दिल्ली के अन्दर सरकार बनी थी, उम्मीद थी कि बजट में कुछ लेकर आयेंगे। बड़ी-बड़ी बातें की गईं और यहीं पर मुख्य मंत्री जी, इसी सदन में आपने कहा कि मैं राजस्थान का भागीरथ बन कर 13 जिलों की ई.आर.सी.पी. और शेखावाटी के अन्दर यमुना का जल लेकर आऊंगा। आप अपने आपको भागीरथ बनाना चाह रहे हैं। भागीरथ तब बने थे, जब गंगा आ गयी थी। एक बूंद पानी किसी भी जिले में आ गया हो तो आप बता दीजिये। सात महीने हो गये, एम.ओ.यू. आ गया हो तो बता दीजिये, डी.पी.आर. आपकी बन गई हो तो बता दीजिये। फिर काहे का डबल इंजन है और बजट में ई.आर.सी.पी. का इस बजट में नाम आ गया हो राजस्थान का तो बता दीजिये। मैंने तो चश्मा लगा कर खूब देखा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बैठिये। आवाज नहीं। यह मेरा काम है। यह काम मेरा है। सवेरे भी आपको

टोका था। यह मेरा काम है। आप बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष):... कि कहीं तो बजट में राजस्थान का नाम आ जाये लेकिन राजस्थान का नाम आने की बजाय जिन लोगों को कहते थे, पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं, पलटू चाचा हैं उनको पूरे देश का जो पैसा है, वो देश का बजट नहीं होकर सरकार बचाने वाला बजट आप लोगों ने कर दिया। जहां बिहार में बारह सांसद हैं जे.डी.यू. के उनसे तो ज्यादा ही राजस्थान की जनता ने आपको दिये हैं वो लेकर गये हैं 58,900 करोड़ रुपये। आन्ध्र प्रदेश में हमसे दो ही सांसद ज्यादा हैं सोलह हैं वहां वो लेकर गये हैं 50,475 करोड़ रुपये। अब मुख्य मंत्री जी आप बता दीजिये कि अब यह इंजन किधर चल रहा है, यह आप बता दीजिये? यह जो आप रोकते हों न मुझे बार-बार इसी पर दो लाइनें कहना चाहूंगा कि, 'मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में आशाएं, दिल में हैं अरमान यही, कुछ कर जायें, कुछ कर जायें, सूरज सा तेज नहीं मुझमें, कि सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलते देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे।' ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आपके नेता बोल रहे हैं। यह काम मेरा है। आपके नेता बोल रहे हैं, डिस्टर्ब करोगे तो मैं नहीं रोक पाऊंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप बात कर रहे हो राहुल गांधी जी की। आप क्या बराबरी करेंगे राहुल गांधी की ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हम तो नहीं करते, आप ही करते हो। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आज राहुल गांधी जी ने, इस देश के आजादी से पहले के सबसे अमीरों की गिनती में शुमार मोती लाल नेहरू, उनके बेटे, पण्डित जवाहर लाल नेहरू जिन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी, पूरे ऐशोआराम, देश के लिए अपनी पूरी जमीन-जायदाद सब उन्होंने देश के नाम कर दी। उनके लिए कवि प्रदीप ने लिखा था, कि फूलों की सेज छोड़ कर दौड़े जवाहर लाल। आज जो बात करते हैं देश के टुकड़े करने की, आप लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिनको बम से उड़ा दिया गया, देश के लिए शहीद हो गए, उनकी टुकड़ों से पहचान हुई। ऐसे राजीव गांधी जी थे। इन्दिरा गांधी, 36 गोलियां लगी उनके, देश के लिए शहीद हो गईं, आतंकवाद का खात्मा किया, उनके लिए आप ऐसी बात कहते हैं। महात्मा गांधी जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, पूरी दुनिया में मिसाल बने, आज नेहरू गांधी परिवार की आप बात करते हो। जिस परिवार के तीन-तीन प्रधान मंत्री होते हुए आज तक दिल्ली में जिनका घर नहीं है। आपने इन्दिरा गांधी का घर छीना था वो किराये के मकान में रही थीं। आपने राहुल गांधी का घर छीना, देश की जनता ने अपने दरवाजे खोल दिये कि यह है राहुल गांधी जी का घर। जिस राहुल गांधी ने अपना बचपन अपने हाथों में अपने परिजनों की मौते को देखा हो, सात साल के अन्दर दो-दो मौतें जिसने परिवार के अन्दर देखी हों, जिसको नाम बदल कर पढ़ाई करनी

पड़ी हो, जिसने पूरे देश की पैदल यात्रा की हो, जो पांचवीं बार संसद का सदस्य बना हो और नेता, प्रतिपक्ष हो, उसकी आप बात करोगे।

Kas/rtm/29.07.2024/16.40/3c

मैं कहना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी, इन बातों से काम चलने वाला नहीं है, काम तो आपको करना पड़ेगा। यह सरकार बचाने के चक्कर में सारा बजट ले गये और हमें कुछ भी पल्ले नहीं पडा। सही बात है बजट राजस्थान का है, चर्चा केन्द्र की कर रहे हैं। इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि जो हमें केन्द्र से मिलने वाला था, क्या मिला, वह जरा आप बता दीजिए।

पिछले *7* महीने की बात करना चाहूंगा। पिछले *7* महीनों में एक शब्द लगातार बोला जा रहा है। आज भी विधान सभा में माननीय मंत्रियों ने व्यवस्थाएं दे दी हैं, आश्वासन दे दिये हैं कि जांच करेंगे। आखिर यह जांच कब करेंगे या जांच ही करेंगे या काम भी कुछ करेंगे? ऐसा लग रहा है कि एक पूरा मंत्रिमंडल, एक पूरी सरकार जांच कराने के लिये आप लोगों को चाहिये, काम करने की मंशा तो आप लोगों की है नहीं। एक तरफ मन की बात हो रही है, यहां जांच की बात हो रही है। जांच भी करा लेना, पहले काम तो कर दो। दूध का बोनस नहीं आ रहा है। गोशाला का अनुदान नहीं आ रहा मुख्य मंत्री जी, छात्रवृत्ति नहीं आ रही और आपके मंत्री सुबह जवाब दे रहे थे कि आपके समय में तीन-तीन महीने में पेंशन आती थी। आपने तीन का छह कर दिया, पहली पेंशन आपने राजस्थान की जनता को छह महीने बाद दी है, यह बात मैं कहना चाहूंगा।

वित्त मंत्री जी ने साढ़े तीन सौ बिलियन डॉलर की बात कही। इतिहास में जब से बजट आ रहा है, पहली बार बिलियन और डॉलर की बात हुई है। पिछली बार वित्त मंत्री जी ने नहीं बताया, मुख्य मंत्री जी, हम यह तिलिस्मी फिगर को जानना चाहते हैं कि यह कौनसा जादू है? कौनसा जादुई फिगर अपने दिया है? रुपयों में बात करते-करते आप तो डॉलर पर पहुंच गये। आप तो कहते थे कि ज्यों-ज्यों डॉलर की कीमत बढ़ती है, हमारे देश की इज्जत गिरती है। आज के समय में डॉलर की कीमत क्या है? यह भी बता देना कि साढ़े दस साल में आप लोगों ने डॉलर को कहां से कहां पहुचा दिया, मुख्य मंत्री जी, मैं यह भी चाहूंगा कि जब आप जवाब दें, तब यह जरूर बताएं।

वैसे तो आपकी जवाब देने की आदत नहीं है। भले आदमी हैं, सारी चीजों को पी जाते हैं और मंद-मंद मुस्करा के सवाल से किनारा काट लेते हैं, लेकिन यह मुस्कराने से काम नहीं चलेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। आप उस दिन पूछ रहे थे कि आप कौन हैं जो एम.ओ.यू. के बारे में जानना चाहते हैं? सरकार हमारी, एम.ओ.यू. हमारा, आप कौन होते हैं पूछने वाले? मैं यह कहना चाहूंगा मैं वो पूछने वाला हूं जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से राजस्थान की जनता ने आपसे सवाल पूछने के लिये इस पद पर बैठाया है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध कवि दार्शनिक एलेस्टर क्रोले याद आ रहे हैं, उन्होंने एक बात कही थी, क्लाउड्स विदआउट वाटर, यानी बिन पानी के

बादल। गांवों में एक बात और बोली जाती है कि जो गरजते हैं, वे बरसते नहीं हैं। मुख्य मंत्री जी, आप पोने तीन घंटे तक गरजे, लेकिन एक भी बूंद राजस्थान की जनता को इन सात महीने में नहीं दिला पाये। इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ थोथी घोषणाएं कराने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है।

मैं फिर ई.आर.सी.पी आता हूं, 9600 करोड़ रुपये की बात हुई। कई सदस्यों ने भी बार-बार जानकारी चाही। मैं पूछना चाहता हूं आपके बजट में एक रुपया भी अब तक ई.आर.सी.पी. पर खर्च किया हो तो बता देना और ईसरदा, नवनेरा बांध किसने बनाया, यह भी आप बता देना। ई.आर.सी.पी. की यहां से एक डिमांड भी आ गई कि इसका नाम नरेन्द्र मोदी जी के नाम पर करना चाहिये। क्यों, ई.आर.सी.पी के ज्यादातर इलाके में आदिवासी, गरीब लोग, दलित लोग, इस पूरे इलाके में आते हैं। आप हमारी राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू जी के नाम पर क्यों नहीं रखना चाहते? मैं प्रस्ताव करता हूं कि उनके नाम से इस योजना का नाम किया जाये। ई.आर.सी.पी योजना वसुंधरा जी ने बनाई थी, उनका नाम तो आप रखना नहीं चाहोगे। मैं आपको दूसरा ऑप्शन यह भी देता हूं कि आप राष्ट्रपति जी के नाम से नहीं रखना चाहें, तो आप वसुंधरा जी के नाम पर इस योजना का नाम रख लें।

वैसे प्रदेश में यह चर्चाएं हैं कि मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी की आजकल थोड़ी सी पटरी सही नहीं चल रही है। ...(व्यवधान)... लेकिन आज आप मैचिंग में आये हैं। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह बजट पर है क्या?

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान)... आप मत बोलो, संसदीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अभी बताऊंगा, बोलने दोगे तभी तो।

झुक-झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं,
अपने ही हाथों से रचा स्वयं को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं,
तुम हालातों की भट्टी में जब-जब भी मुझको झोंकोगे,
तप-तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): रोकने योग्य को ही रोका जाता है, अरोकने योग्य को रोका ही नहीं जाता है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह आप कह रहे हो? अध्यक्ष जी, यह हटा देना, ये जो बोल रहे हैं।

आपके वन वे सिस्टम है, अभी मामला दिल्ली से ही चल रहा है। दिल्ली से पर्ची आ जाती है और वो ही पर्ची यहां पर पढ़ दी जाती है। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैंने उस दिन कहा था कि आपके सामने तीन चुनोतियां आईं। एक चुनौती मैंने आपको बताई थी कि बरसात में नाले साफ नहीं हो पाये। दो और चुनोतियां आईं, बिजली की और पानी की। आप दोनों ही मौकों पर फैल हुए। आज 7 महीने बाद भी हम कह रहे हैं कि प्रदेश में बिजली नहीं आ रही, तो आप कहते हैं कि यह तो पिछली बार का एम.ओ.यू. था, उसकी वजह से नहीं

कर पा रहे हैं। आज मुझे बड़ा खेद है, प्रदेश की जनता को बिजली नहीं मिल रही, लगातार दावें किये जा रहे हैं। आपने उद्योगों की बिजली काटने का ऑर्डर किया, लेकिन उद्योगों की बिजली नहीं काट पाये और आपने किसानों की और आम जनता की बिजली काट दी।

मुख्य मंत्री जी, एक और बड़ी बात हुई, मैं कोई आपको टार्गेट नहीं करना चाहता, लेकिन इसी सदन में आपने कहा कि मेरी छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री विष्णु भाई से बात हो गई और उन्होंने कह दिया है कि आपको जितना कोयला चाहिये, उतना कोयला मिलेगा और आपकी कोयले की खान को वन विभाग की एन.ओ.सी. दे देंगे। फिर आपने यह कहा कि उनका रात को वापस मेरे पास फोन आया कि आपने जो कहा है, वह हमने कर दिया है, आपको कोई कमी नहीं आयेगी। लेकिन मुझे बड़ा दु:ख हुआ जब छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि मेरी इस मामले में राजस्थान के मुख्य मंत्री से कोई बात नहीं हुई, उनको कोई ग़लतफ़हमी हो गई। कल तो बड़ी अजीब बात हो गई, आपने शेखावाटी वालों से जो यमुना का वादा किया था तो जैसे ही आपने कहा, खट्टर जी ने अगले बयान दे दिया कि हम हमारा पानी एक्स्ट्रा पानी होगा तो ही देंगे।

msk/rtm/29.07.2024/16.50/3d

यही बात हमारे घर में आकर, हमारी राजधानी के अन्दर वे वापस कह गये कि पहले हरियाणा का हिस्सा पूरा होगा और उसके बाद अगर एक्सेस पानी आता है, बचेगा तो आपको दिया जायेगा। हमारे माननीय मंत्री जी भी कल वहां मौजद थे। क्या आपको सही मानें या ये और जो इंजन घूम रहे हैं, एक हरियाणा का इंजन है, एक छत्तीसगढ़ का इंजन है। उनको माने, यह बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि पानी के हालात लगातार बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। कैपटाउन दुनिया का पहला जलविहीन शहर घोषित हो चुका है, लेकिन आप लोगों को, मारवाड़ी में एक कहावत है- डूंगर बल्ती आग तो नजर आवे छै, पगा बल्ती कोनि दिखे। यानी आपको दूर पहाड़ पर आग जल रही है, वह तो नजर आ रही है, लेकिन जो पैर जल रहे हैं, वे आपको नजर नहीं आ रहे हैं, यह बात मैं आपको कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, पेपर लीक की बात आयी। मैंने पिछली बार इस बात को उठाया। कई सदस्यों ने एतराज किया। मैं दंग रह गया। माननीय अध्यक्ष जी, जब आपने शनिवार को यहां बाल संसद बुलायी और बच्चों ने बड़ों-बड़ों की बोलती बन्द कर दी। उस पर आप लोग क्या बोलेंगे, यह बात मैं पूछना चाहता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश की कानून-व्यवस्था क्या है? मोदी जी ने कहा था कि मणिपुर और राजस्थान एक जैसे प्रदेश हैं। हमारे राजस्थान जैसे शान्त प्रदेश को मणिपुर के साथ जोड़कर मोदी जी के द्वारा बताया गया। सबसे बड़ी बात तो यह हो गयी कि हमारी वित्त मंत्री जी जो उस समय सांसद थीं, आपने संसद में गांधी जी की मूर्ति के आगे धरना दिया। मैं कहना चाहूंगा कि उदयपुर के सलूम्बर में शंकर मेघवाल अध्यापक की हत्या, रामेश्वर वाल्मीकि की झुन्झुनू में पीट-पीटकर हत्या, डिम्पल मीणा की हत्या, लक्ष्मण मेघवाल की हत्या, कन्हैया लाल मेघवाल की हत्या, पैमाराम

की हत्या, चित्रा मेघवाल की हत्या, ये उन दलितों का नाम बता रहा हूं, जिनको पीट-पीटकर मारा गया है। अब आप बता दीजिये, आप धरना कब देंगी? आप संसद में धरना देना चाहती हैं या राजस्थान की विधान सभा के बाहर धरना देना चाहती हैं? यह बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा।

आप महिला सुरक्षा की बहुत बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे। आपकी सरकार के आने के बाद कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगा। 01 जनवरी, 2024 से 30 जून, 2024 तक महिला उत्पीड़न के राजस्थान के अन्दर 20776 प्रकरण दर्ज हुए हैं। छह महीने में सबसे ज्यादा मामले अलवर में 881 और दूसरे नम्बर पर भरतपुर में सबसे ज्यादा मामले आये हैं। महिला अत्याचार के 2023 के अन्दर 2536 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जनवरी 2024 में, दिसम्बर 2023 से जो बढ़ोतरी हुई है, 29.5 परसेंट बढ़ोतरी जनवरी में 3284 मुकदमे, फरवरी में 23.5 परसेंट बढ़ोतरी 3083 मुकदमे, मार्च में 21 परसेंट बढ़ोतरी 3071 मुकदमे, अप्रेल में 12.8 परसेंट बढ़ोतरी 2861 मुकदमे, मई में तो रिकॉर्ड ही टूट गया। 61.19 परसेंट बढ़ोतरी 4088 मुकदमे, जून के अन्दर तो 72 परसेंट बढ़ोतरी के साथ 4364 मुकदमे सिर्फ महिला अपराध के दर्ज हुए हैं। आप महिला अपराध की बात करते हैं। यह है, महिला सुरक्षा। सरकार के पहले सात महीनों में 3995 मुकदमे रेप के, नाबालिगों के रेप के 902 मुकदमे और रेप एवं हत्या के 19 मुकदमे दर्ज हुए हैं। मुख्य मंत्री जी, कहां गये वे लोग, जो राजस्थान को रेपिस्तान बताते थे। आज उनके मुंह के अन्दर एक शब्द नहीं है। उनकी जबान नहीं निकलती कि राजस्थान के अन्दर आज कानून-व्यवस्था क्या हो रही है? मैं पूछना चाहता हूं कि राजनीति का यह कौनसा चश्मा है, जो कांग्रेस राज में अपराध दिखते हैं और बीजेपी का राज आते ही सब साफ हो जाता है। रोज 109 महिलाओं के साथ अपराध आपके राज में हो रहे हैं। 19 महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं।

माननीय उप मुख्य मंत्री जी, पिछली बार मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि हमारी उप मुख्य मंत्री महिला हैं। आप कब इनके पक्ष में बैठेंगे, यह बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। कानून-व्यवस्था, आप तो गिर्राज जी के भक्त हैं और हमारे नेता शिव भोले के भक्त हैं। सावन का महीना है, दूसरा सोमवार है और आज के दिन इस प्रदेश के अन्दर कांवड़ियों को पुलिस के द्वारा, होमगार्ड के द्वारा पीटा जा रहा है। सांभर थाने के अन्दर आपने कांस्टेबल को हटाकर इतिश्री कर ली। आप धार्मिकता का राग अलापते हो और कांवड़ियों को जिस प्रकार से पीटा गया है, वहां थानेदार, डीएसपी, वहां आपका पूरा थाना संस्पेंड होना चाहिए। झुन्झुनू के अन्दर आपके होमगार्ड कांवड़ियों को पीट रहे हैं। यह आपकी सरकार है? यह कानून का इकबाल है? यह मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। सात महीनों में 958 निर्दोष लोगों की हत्या, 79 डकैती, 11079 लूट और 6 हजार 866 अपहरण की गंभीर घटनाओं के मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनका जवाब दे देना कि कहां था, आपका कौनसा मिशन, जब आपने कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए 10 हजार लोग पकड़े थे। क्या स्थिति है, जरा आप मुझको इसका जवाब दे देना।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि दलितों के खिलाफ जो अपराध दर्ज हुए हैं। दिसम्बर, 2023 की तुलना में जनवरी में 32.7, फरवरी में 33.7, अप्रेल में 34.1, मई के अन्दर 19.5, जून के अन्दर 62.5 और अब 53.37 तक की वृद्धि दलित उत्पीड़न के अन्दर हो रही है। किस मुंह से आप कानून-व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सही था, बजट के अन्दर जो गुड गवर्नेंस को आपने दस नम्बर पर रखा था। मैं समझता हूं कि आपकी काउंटिंग 1 से 10 थी, इसलिए आपने 10 पर रखा। हो सकता है कि अगर आपके बिन्दु 1 से 25 होते तो आप कानून-व्यवस्था को, गुड गवर्नेंस को 25 पर रखते, यह बात मैं कहना चाहूंगा।

आपकी कथनी और करनी पर एक शेर कहना चाहूंगा।

हाथ आंखों पर रख लेने से खतरा नहीं जाता,
दीवार से भूचाल को रोका नहीं जाता,
दावों की तराजू में तो अजमत नहीं तुलती,
फ़ीते से तो किरदार को नापा नहीं जाता।

मैं कहना चाहता हूं कि कानून-व्यवस्था की दुहाई देते हैं। काम किनसे कराना चाहते हैं, पुलिस से। 24 घंटे की नौकरी, कोई छुट्टी नहीं। आधी रात को फोन आता है, तुरन्त पुलिस पहुंचती है। पिटे तो पुलिस, बजरी माफिया कुचले तो पुलिस और जब पगार की बात आती है, डीपीसी की बात आती है तो आप चुप हो जाते हैं। उनकी ग्रेड-पे बढ़ाइये। मुख्य मंत्री जी, पुलिस कांस्टेबलों की ग्रेड-पे 3600 कीजिये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कानून-व्यवस्था को मजबूत करना है तो हमें पुलिस को मजबूत करना पड़ेगा। कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक की डीपीसी हमें करनी पड़ेगी, यह बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। मैं पुलिस के लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा।

न होली मनाते हैं, न दिवाली मनाते हैं,
ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हं,
चले जब गोलियां दुश्मन कीं तो सीना अड़ा देते हैं,
मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं,
अपनों के लिए हर वादे तोड़ के आते हैं,
ये खाकी वाले हैं, अपनों के लिए अपनों को रोता छोड़ के आते हैं।

यह बात मैं मुख्य मंत्री जी कहना चाहूंगा। आप इस विभाग के मंत्री हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर इस बारे में विचार रखेंगे।

mdp/rtm/29.07.2024/17:00/3e

कछ इश्यूज हैं जो इस सदन में पिछले दिनों चलकर आए। चलते हुए कुछ बातें रखी सदस्यों ने। टाउनशिप पॉलिसी आप लेकर आ रहे हैं। बड़े बिल्डर्स को फायदा देने का पूरा मन आपने बना लिया। छोटे बिल्डर्स या वह किसान जिसकी इसके अन्दर जमीन जा रही है, वह तो काम ही नहीं कर पाएंगे। आप बड़े लोगों को पनपाना चाहते हैं। ए-1, ए-2 की बात

करते हैं तो इनके लिए, किसान कहां जाएगा, जिसकी जमीन है? इसके बारे में आप जरूर विचार कीजिए। दूसरी बात, पर्यावरण की तरफ सबका ध्यान है। बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं। आप भी पेड़ लगाने की बात कह रहे हैं, लेकिन हाइकोर्ट के द्वारा नर्सरी के लैंड कंवर्जन पर रोक लगी हुई है, उसको आप इस टाउन पॉलिसी के अन्दर लाकर किन लोगों को फायदा देना चाहते हैं? कौन लोग हैं, जो भ्रष्टाचार के दलदल में घुसकर इस टाउन पॉलिसी के अन्दर अपना फायदा उठाना चाहते हैं। मुख्य मंत्री जी, मैं चाहूंगा इस पर भी आप जरूर ध्यान दें। यह बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैंने एक बात कही थी कि आप थानों में जाकर हाजिरी नहीं भरें, भरने के लिए अपने पास टीम है। आपने मेरी बात मान ली, लेकिन आपने तो मानी तो मानी सबने ही मान ली। सबके ही औचक निरीक्षण बंद हो गये। न सीएस साहब जाते हैं, न और कोई अधिकारी जाते हैं। ऐसी क्या डायरेक्शन दे दी, या तो सब कुछ बढ़िया हो गया। जो औचक निरीक्षण हुआ, उसके अन्दर सब कुछ पूरे प्रदेश के अन्दर साफ-सुथरा काम हो गया। सारी चीजें सलीके से चल रही हैं, या आप जो गये, आपके अधिकारी गये, उन्होंने जो डायरेक्शन दी, वह सारी डायरेक्शन फेल हो गयी? दो ही कारण हो सकते हैं। इनमें से एक कौनसा है, वह आप मुझे बता देना, यह मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। कहीं इसके पीछे ये कारण तो नहीं है कि आप 11 सीट हार गये। वैसे तो बड़ी बुरी हुई है, मुख्य मंत्री जी। बड़ी बुरी हुई है, क्योंकि उम्मीद थी कि 25 में से 25 आएंगे, पांच लाख से नीचे नहीं जितेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था कि उन लोगों को सामने तो लाइए, जो कह रहे थे कि पांच लाख से नीचे नहीं जितेंगे। वोट तो जनता का है, जनता जिताएगी, हम जीते तो हम ही रह जाएंगे। ऐसे ही हम रहते तो हम इधर क्यों आते? उधर ही रह जाते। ये तो जनता देखती है कौन क्या काम कर रहा है।

अध्यक्ष जी, आपकी सरकार का जो इकबाल था, जो शुरू के तीन-चार महीने के अन्दर रहना चाहिए था, वह नहीं रह पाया। आपके मंत्रियों की परफॉर्मेंस, आपकी योजनाएं, आपकी मॉनिटरिंग, इस सरकार को जनता ने जीरो नंबर दिए हैं, यह बात मैं कहना चाहूंगा। मेरे को जवाब देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 5 उप चुनाव और आ रहे हैं। काम तैयार है, राजस्थान की जनता तैयार बैठी है।

सबसे महत्वूर्ण बात, मुख्य मंत्री जी, हम कई बार आपके कहते हैं कि संविधान कमजोर कर रहे हैं। संविधान ऐसे थोड़े ही कमजोर होता है कि आप उसको एकदम ही हटा रहे हैं, लेकिन संविधान के अन्दर जो नियम हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, हम सब लोगों को जिसके दायरे में रहकर काम करना है, संविधान में कहा गया है कि पंचायतों के चुनाव 6 महीने में कराने पड़ेंगे। इससे बड़ा उदाहरण मैं आपको क्या दूं कि भरतपुर में ही जिला प्रमुख का पद 6 महीने से ज्यादा से खाली है। उप-जिला प्रमुख को भी चार्ज नहीं दिया। भादरा के अन्दर पार्षद वोट डालने पहुंच गये, चुनाव अधिकारी गायब हो गया। पता चला कि वह गंभीर बीमार है। आज डेढ़ महीने के अन्दर कौनसी बीमारी थी? कहां इलाज हुआ? सरकार ने

मेडिकल कराया या नहीं कराया? कोई पता नहीं।

पहली बार ऐसा हो रहा है, मुख्य मंत्री जी, बुरा मत मानना, जब विधान सभा चलती है तो पूरे प्रदेश की जनता को तो उम्मीद जग जाती है और अधिकारी, कर्मचारियों के पैर कांपने लग जाते हैं कि हमारा मामला विधान सभा के अन्दर उठ गया, हमने गड़बड़ी की है तो हमारी खैर नहीं। लेकिन मुझे बड़ा दु:ख है, ऐसे मामले चाहे अख़बार में आ जाएं, चाहे टीवी पर आ जाएं, चाहे विधान सभा में उठ जाएं, सैकड़ों मामले ऐसे हैं, जो इस विधान सभा के अन्दर उठे और उस पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर यहीं सुनवाई नहीं होगी, इस सबसे बड़ी अदालत में हम अपनी कोई बात कहें और सरकार एक्शन नहीं ले, यहां तो एक शब्द बोलना ही मैं समझता हूं पर्याप्त होता था, लेकिन ये नई परिपाटी जो शुरू हो रही है, कोई भय नहीं, मंत्री जो मर्जी जवाब दे रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप इन मंत्रियों के आश्वासन भी निकाल लेना। नहीं तो ये भी इतिहास बनेगा कि एक सत्र के अन्दर कितने मंत्रियों ने, कितने आश्वासन दिये और उसमें कितनों पर काम हुआ। इस विधान सभा की गरिमा का भी हमें ध्यान रखना है। कोई एसओजी की यहां घोषणा कर देता है, कोई एसआईटी की कर देता है, कोई एक महीने में कार्यवाही की कह देता है, कोई 72 घंटे में कर देता है। जो मर्जी हो, वह कह रहे हैं। कम से कम यहां जो भी शब्द बोलें, वह एक मर्यादा के अन्दर, एक अपनी सीमा के अन्दर कि हमारी यह काम करने की शक्ति है, मैं उसके अन्दर एनटाइटल हूं या नहीं हूं। अब मंत्री यहां घोषणा कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आपके पास है, आपसे पूछा ही नहीं। अनुमति तो आप ही देंगे। कम से कम ये भी कह दें कि गंभीर मसला है, मेरी इच्छा है इसकी जांच होनी चाहिए, मैं विभागीय कार्यवाही करके बात करके आपको बताऊंगा। किरोड़ी जी का, वहीं आ रहा हूं। यानी सरकार का मंत्री इस्तीफा दे दिया। आपने इस्तीफा मंजूर नहीं किया, आज की तारीख में वह व्यक्ति मंत्री हैं। मंत्री होकर किसी अधिकारी के पास वह व्यक्ति जाता है तो मंत्री नहीं जा रहा है, राजस्थान सरकार जा रही है। राजस्थान सरकार एक कर्मचारी के, एक अधिकारी के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गयी। क्या प्रोटोकॉल है? आप बता देना, ये आपके पुराने साथी हैं, बता देंगे।

फाइनेंस के ऊपर भी बोलूंगा, कृपलानी जी। ...(व्यवधान)... आप बात कर रहे थे एसीबी की। हमने पांच साल में 1972 भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी। आपने 7 महीने में, मंत्री जी ने जवाब दिया था, 11 अभियोजन की स्वीकृति दी है। 11 टोटल ही दी होंगी। जो विधान सभा में क्वेश्चन लगा था, उसकी नहीं दी होगी, ये भी मैं बता देता हूं। उस पर तो मैं अलग दूसरी जो विधान सभा की प्रक्रिया है, उसके थ्रू आऊंगा। जो विधान सभा में गलत जवाब मिला है। मैंने उसके खण्ड ब में पूछा था कितनी अभियोजन स्वीकृति दी? आपने टोटल दी है। उस मामलों में 11 को नहीं दी है।

आप जीरो टोलरेंस की बात करते हैं। दौसा एसपी को, मनीष अग्रवाल जो थे, उनको आपने बहाल कर दिया। आप राहुल गांधी जी की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने चार-चार दलित कैबिनेट मंत्री और पांच-पांच एसटी, आदिवासी के मंत्री पिछली सरकार में बनाकर इन

वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया। यही नहीं तीन-तीन मंत्री महिला हमने बनायी, जिसके अन्दर सभी वर्ग थे। वह हमने बनायी। मैं बोल रहा हूं, आपकी लॉटरी खुल जाएगी। आपके लिए ही बोल रहा हूं। आपकी सरकार में दो दलित हैं, दो दलित कैबिनेट, एक राज्य मंत्री हैं, तीन आदिवासी हैं।

Ans/rtm 17.10 3f 29.07.2024

आप लोग 50 परसेंट महिला आरक्षण की बात करते हो, केवल दो महिला मंत्री है। पीछे कल्पना जी बैठी हैं, अनिता जी भदेल हैं, उधर नौक्षम जी हैं। आप महिलाओं को बनाईये ना, कहां कमी है। इन महिलाओं को भी मौका दीजिए।

आपने दो बड़े समाज, यादव समाज का आपने कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी, यादव समाज को भी प्रतिनिधित्व दीजिए। गुर्जर समाज से आपने एक मंत्री बनाया। गृह मंत्री की जब डिमांड आती है, गृह मंत्री की जब बात आती है, ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह बिल पर बोले। किस वर्ग के, किस जाति के मंत्रिमण्डल का सदस्य बनाया गया है, यह कौनसे क्लाज के अंदर बहस हो रही है, यह मुझे बताया जाए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह मैं आपको बता दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए। नो, बैठिए। ज्यादा फाइनेंसियल बिल पर बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने देखा नहीं कि एक भी गृह का कोई जवाब दिया हो, एक भी क्वेश्चन का। तो क्या आप उनको लायक नहीं मानते। उनकी क्या-क्या बातें हमने यहां रखी है, उसके बारे में भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया, यह बात मैं आपको कहना चाहूंगा। कोई अच्छी चीज बताता हूं तो आपको पता नहीं क्यों प्रोबलम हो जाती है।

अभी 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था, दिल्ली से पर्ची आ गई है। 5-7 की छुट्टी होगी, 5-7 नये बनेंगे, इसलिए परफोर्मेंस को बैटर करो। अच्छी परफोर्मेंस रखो, छुट्टी वालों में आ गए ना तो यह मौका बार-बार नहीं मिलता, मैं यह बात कहना चाहता हूं। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखें।

पिछली बार भी जब बजट आया, बजट आया तो आपने प्रेस कांफ्रेंस की। दिल्ली में जब प्रेस कांफ्रेंस दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री करती हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं करती? मुख्य मंत्री जी, बड़ा मन रखिए। वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है। या तो बनाया आपने है, आपको पूरी नॉलेज हो गई, आपने तुरंत उस पर प्रेस कांफ्रेंस कर दी, या वित्त मंत्री जी ने पढ़ा है तो उनको प्रेस कांफ्रेंस करनी चाहिए थी। अब तो बजट पर आ गया हूं, संसदीय कार्य मंत्री जी। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बजट पर बोलने को कुछ नहीं बचा है। ए

मंजिल के मुसाफिर बात कर, बता ...(व्यवधान).. आपको प्रतिपक्ष का नेता मानता है या नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले ना सका, उलटे हरि को बाधने चला, जो था असाध्य साधने चला

जब नाश मनुष पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है

हरिने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया

डगमग-डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले

जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हां-हां दुर्योधन बांध मुझे, हां-हां दुर्योधन बांध मुझे

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): लिखकर किसने दिया है ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा..

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुख्य मंत्री जी, इनको मत हटाना संसदीय कार्य मंत्री से, आपकी अच्छी पैरवी कर रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं बता दूंगा कौन-कौन आपके खिलाफ। मैंने पिछली बार भी, मुख्य मंत्री जी, बताया था कि मैं जब घूमता हूं, मुझे पता है और अब भी वह सिलसिला रुका नहीं है। एक-दो तो मैंने बता दिए थे आपको। अब गाडियां जाती हैं, वह जैसे ही मेरे घर के आगे से जाती हैं तो लेफ्ट में मुड़ जाती हैं। उनको राइट में जाना चाहिए, लेफ्ट में मुड जाती हैं। कौन-कौन मंत्री आपके खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं, आपको नहीं पता, मैं बताऊंगा आपको। आप भले आदमी हैं। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पहले व्यवस्था दे इस पर। सरकारी गाड़ी लेफ्ट मुड़ती है या राइट मुड़ती है, एप्रोपिएशन बिल के कौनसे क्लॉज में लिखा हुआ है, जिसको बोलने का अधिकार है ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): उस गाड़ी का बजट आप ही देते हैं। इसी बजट से पास होती है वह गाड़ी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): लेफ्ट मुड़ती है या राइट मुड़ती है, ऊपर जाती है या नीचे जाती है पर, प्रतिपक्ष के नेता, आपकी गाड़ी पटरी से उतरने वाली है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। आपको अनुमति नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मुख्य मंत्री जी को जब एतराज नहीं है। मुख्य मंत्री जी खुद जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं, वह खुद सुनना चाह रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? ...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री जी, पिछली बार भी बजट के होर्डिंग लगे। अभी भी बन गए होंगे। अभी कई नई घोषणाएँ भी आप करोगे और वह सारी छपनी है। तो सारे वह आपने तैयार कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें वित्त मंत्री जी का भी फोटो है या नहीं है? बड़ा नहीं कम से कम

छोटा तो लगा दो। आप ऐसा तो मत करो कि जिन्होंने बजट पढ़ा है, उनकी फोटो ही होर्डिंग से गायब हो जाए। जब हम होर्डिंग लगाते थे तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती थी ...(व्यवधान)... आज आप जो यह जनता का पैसा उड़ा रहे हो, इस पर भी आप बता देना।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपके अशोक जी गहलोत ने सचिन पायलट का एक बार ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अब इस पर मत आओ ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): क्या-क्या शब्दों से पुकारा गया ...(व्यवधान)... प्रदेशाध्यक्ष के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसका जवाब दे दूं, बीच में नहीं खड़े होओंगे ...(व्यवधान)... इसका जवाब दे दूं, बीच में नहीं खड़े होंगे। ठीक है। आपके पूर्व अध्यक्ष पूनिया जी ने एक लैटर लिखा था, जिसमें उन्होंने +++ को क्या कहा था, बता दूं ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपके पास लैटर है ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): लैटर है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): टेबल करो। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): लैटर है, लैटर में टेबल करुंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): टेबल करो।

श्री अध्यक्ष: यह तीनों को एक्सपंज कर दो।...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): उन्होंने कहा कि +++ ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इस विधान सभा में बोलना है, पहले टेबल करो। ...(व्यवधान)... आप टेबल करो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमने ऐसा तो नहीं कहा। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): लैटर है तो टेबल करो नहीं तो गलतफहमी के लिए माफी मांगो ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारा परिवार है।

श्री अध्यक्ष: माननीय विपक्ष के नेता, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं हो, उसके बारे में बिना पत्र के, प्रतिलिपि के, आधार के कोई बात सदन में नहीं बोली जा सकती।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अगले में पत्र ले आऊंगा, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष: तब बोलना। जब लाओ तब बोलना। अभी बिल पर ...(व्यवधान)... नहीं तो अंकित नहीं होगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मुख्य मंत्री, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। पूरे सदन में एक बात के लिए एक मत होकर पक्ष व विपक्ष, सबने समर्थन किया है कि

सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो रही है, उस भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों को मौका मिलना चाहिए, उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसके लिए आपको जो भी प्रावधान करना हो वह आप करिए। प्राइवेट बिल लेकर आने की बात है, आप लेकर आइये। आपको कहीं वोटो का, आपका वोट बैंक खिसक जाए, बात लगती है तो हमें कहिए हम लेकर आएंगे, आप समर्थन करना। इस बात पर पक्ष और विपक्ष पूरा सहमत है, मैं यह बात कहना चाहूंगा।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपसे दो बातें निवेदन करना चाहूंगा। आपने अभी 72 घंटे की बात की थी। उदयपुर जाकर देख लीजिए, मरीजों को छोड़कर, बाकी अवैध निर्माण अगर सीज नहीं हुए हो तो 72 घंटे में। दूसरा, सफाई कर्मी भर्ती में न्यायालय का निर्णय है, उसकी पालना करते हुए परसों भी आपसे निवेदन किया था कि हम नियमों में वापस 2012 का सफाई कर्मी भर्ती नियम है वह लागू करेंगे और दो साल के लिए उनसे सफाई का काम करवाने के बाद उनको नियमित करेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वैसे, मुख्य मंत्री जी, आपके मंत्रिमण्डल के यह सबसे काबिल मंत्री हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सब ही काबिल हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सब साथी इस बात से खुश है, जो बात कहते हैं, पूरी कहते हैं। इनकी पूरी बात हमने सुनी। इन्होंने सबका पूरा जवाब दिया। इन्होंने अच्छी बात कही। पर, मंत्री जी, पांचों अंगुली बराबर नहीं है, आपके लिए नहीं था, आप अपने पर ले गए।

VPS-RTM-29.07.2024-17.20-3g

मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो संविधान की बात मैं कर रहा था। संविधान के अन्दर हमें अपनी मांग उठाने की इजाजत संविधान देता है। आप लोग जो लोग धरना देना चाहते हैं, अपनी डिमांड लेकर आते हैं, उनको धरने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, यह नई चीज, नई परिपाटी आप कहां से शुरू कर रहे हैं? कालीचरणजी, आप तो बहुत पुराने सदस्य हैं, तो इस प्रकार की परिपाटी राजस्थान में अगर शुरू हो गयी कि ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये ये सीधा उनको सम्बोधित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: सम्बोधन अध्यक्ष की ओर करिये। सीधा आप कालीचरणजी को नहीं कहें, आप वह मेरे माध्यम से कहोगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कह रहा हूं उनको तो सपोर्ट में ले रहा हूं, उनकी हां भरवा रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप इधर सम्बोधित कीजिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यानी कि इस बात पर भी इनको एलर्जी है कि यह

परमिशन नहीं दे रहे लोगों को और मैं परमिशन की कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप मेरे से मांगोगे तो मैं विचार करूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पर, अध्यक्षजी, आपके तो सब पक्ष में हैं, आपके खिलाफ धरना देने की जरूरत नहीं है, आप तो वैसे ही मान जाते हैं।

बुरा मत मानो तो एक बात और कहता हूं, मुख्य मंत्रीजी। बुरा नहीं मानना, यह पहले ही कह रहा हूं, कहीं नाराज हो जाओ। आप सरपंच रहे, आपने अभी सरपंचों के फंक्शन में बात कही और आपने बड़ी मजबूती से उनके लिए कहा कि, भाई, सरपंचों की कई दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं और आपने यह भी कहा कि जब मैं सरपंच था तो नरेगा के काम के लिए लोग आते थे और मैं सबसे ज्यादा करवाता था पर, मुख्य मंत्रीजी, आप तो 2005 तक सरपंच रहे, नरेगा तो 2006 के बाद आयी है, यह चक्कर पड़ गया कहीं। इस पर आप जरूर ध्यान देना, मैं यह बात कहना चाहूंगा।

प्रदेश की जो स्थिति है, कुछ लोगों के ज्ञापन जो लगातार प्राप्त हो रहे हैं, उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आपने राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया। आपने कहा कि हम विचार करेंगे बजट के बाद, आपने विचार नहीं किया। एक युवा मित्र ने सुसाइड भी कर लिया। आप इस पर जरूर ध्यान दें, यह मेरा आपसे निवेदन है। हमने बेरोजगारी भत्ता शुरू किया, अभी तक बेरोजगारी भत्ता युवाओं को नहीं मिल रहा है, वह आप डालने का काम करें। एक हमारी पूर्व सरकार ने गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए चौराहों पर गुमटियां दी थीं। अजमेर में सौन्दर्यीकरण के नाम पर वे गुमटियां हटाकर गरीबों के जो आशियाना है उनको तोड़ा जा रहा है।

एक जो रोस्टर है, रोस्टर संधारण के लिए एस.सी., एस.टी. के जो लोग हैं, उनको रिजर्वेशन मिले, उसके लिए यह रोस्टर प्रणाली लागू की है। अब जो रोस्टर रजिस्टर है, उसका संधारण ही नहीं हो रहा है, आर्डर निकले पड़े हैं, तो आप कृपा करके इन पर कार्यवाही कराइये। राजमेस के मेडिकल कॉलेज में आपने 01 अगस्त, 2024 के बाद जो नियुक्त चिकित्सक शिक्षक होंगे, उनको आर.एस.आर. को एडाप्ट करने की बात कही है लेकिन 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो पहले से शिक्षक काम कर रहे हैं, उनको भी यही वेतनमान आप दे दें। वे हड़ताल कर रहे हैं, लगातार आप लोगों के यहां पर आ रहे हैं। माननीय मंत्रीजी भी यहां पर मौजूद हैं। ...(व्यवधान)...

आयुष चिकित्सकों की एक बड़ी स्थिति यह आ रही है कि उनको आप 60 साल में रिटायर कर रहे हैं और दूसरे जो डॉक्टर है उनको आप 62 साल में रिटायर कर रहे हैं। इनको 60 में किया तो ये कोर्ट चले गये, कोर्ट ने आर्डर दे दिया कि 62 में किया जाये, तो अब जो कोर्ट चला गया वह तो 62 तक रुक रहा है और जो कोर्ट नहीं जाता वह 60 में रिटायर हो रहा है और जिनका अब 31 जुलाई को रिटायरमेंट होना है, उनको अब तक आर्डर नहीं दिये हैं ताकि वह कोर्ट में नहीं चला जाये। 31 जुलाई की सुबह आप आर्डर दोगे और शाम को रिटायर कर दोगे। ऐसा दोहरापन इनके साथ नहीं होना चाहिए। हमारे लैब

टेक्निशियन्स की जो भर्ती चल रही है 2023, उसको भी आप जल्दी ही पूरा करवाने का कष्ट करें।

राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में जो सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं, उनको हटा दिया है और उन्हीं को नहीं बल्कि हजारों संविदाकर्मियों को हटा दिया है। हमारी सरकार ने कानून बना दिया था, आप उनको नियम लागू करके संविदा और ठेका जो प्रथा है, उसको खतम करके उनकी भी मदद कीजिए। पंचायत सहायक भर्ती, 2017 में वंचित रह गये जो 6500 विद्यार्थी इनको भी संविदा सेवा नियम, 2022 में शामिल करवाने का आप कष्ट करें।

इसी प्रकार से पशुपालन विभाग के भी जो पशु चिकित्सक है, पी.जी. के समकक्ष है, उनकी भी डिमांड है। आयुर्वेद नर्स, कम्पाउंडर में अनुसूचित जाति का जो बैकलॉग है, वह काफी समय से पूरा खाली पडा है, उसको भर्ती करायें। उप प्रधानाचार्य के 50 परसेंट पदों पर सीधी भर्ती का जो कानून है, उसकी भी पालना करायें। एक जब छठा वेतन आयोग आया था तो उस समय सभी कार्मिकों से ऑप्शन मांगे गये थे अगर किसी ने गलती से कोई ऑप्शन गलत भर दिया तो उनको क्योंकि नया रूल था, यह पहली बार आया था तो उनको दिक्कत आ गयी, उनका एक इंक्रीमेंट रुक गया और उनको पेंशन के बाद में भी दिक्कत आयेगी, तो सिर्फ वह गलती, त्रुटि सुधारने के लिए आप उनको एक मौका जरूर दीजिए, यह मैं आपको, मुख्य मंत्रीजी, कहना चाहूंगा।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप रफीक खान साहब से एक-दो शेर ले लो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, मेरे पास ही खूब है पर मैं ज्यादा पढूंगा तो आप कहेंगे कि शेर ज्यादा पढ़े हैं। अब आप बजट की बात कर रहे थे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): वह बजट वाली किताब कहां है, बाकी सब तो रहने दो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कौनसी?

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): बजट वाली किताब कहां पर है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो संविधान की है और यह बजट की है। आपने जो पुरानी किताबें होती हैं न उनमें नया जिल्द लगता है, वह नया जिल्द लगाकर जो बजट आपने पेश किया है, उस पर मैं कहना चाहूंगा।

आपने जो सिलेंडर का कहा 450 रुपये का तो 500 रुपये में तो हम दे ही रहे थे, आपने 50 रुपये कम किया, तो पूरे प्रदेश की जनता को आप देते। इंदिरा रसोई में हम आठ रुपये में खाना दे रहे थे, आपने जनवरी से आज तक इंदिरा रसोई का अनुदान नहीं दिया। हमने बजट में घोषणा की थी जयपुर मेट्रो फेज-2 की और आपने भी यही घोषणा कर दी वापस। ई.आर.सी.पी. की हमने 13,500 करोड़ रुपये की घोषणा की थी तो आपने उसी घोषणा को टुकड़ों में करके शुरूआती जो बिंदु है न 3.3 में उसमें आपने इसकी घोषणा वापस कर दी। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं कि यह ई.आर.सी.पी. की फुल फॉर्म क्या है? वित्त मंत्रीजी

बता दें चाहे मुख्य मंत्रीजी बता दें। आप बता दो। ...(व्यवधान)...

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन बजट के अन्दर बिंदु संख्या 111, लिख लेना, मुख्य मंत्रीजी, बिंदु संख्या-111 में लिखा है- 'Eastern Region Canal Project' यह आप बजट की किताब में देख लेना सचेतक महोदय, अभी आप कह रहे थे न बजट की किताब कहां पर है? अब देख लेना, आप इसीलिए मैं साथ नहीं रखता, आप लोगों की गलतियां पकड़ी जाती हैं। हमने किसानों को 50 हजार फार्म-पोंड की कही, आप उसको 40 हजार ही कर रहे हैं। इंदिरा मातृत्व योजना के अन्दर दूसरे बच्चे की डिलीवर पर छह हजार हम देते थे, आपने उसका कोई जिक्र नहीं किया और पहली को पांच हजार से बढ़ाकर साढ़े छह हजार कर दी, बजाओ ताली। यानी, दूसरे बच्चे पर आपको जो अनुदान देना चाहिए था, नहीं दिया।

मैं सारी बातें नहीं कहना चाहूंगा। जो सरकारी कार्मिकों की डी.पी.सी. में हमने दो साल की जो छूट दी थी, वह ही आपने घोषणा कर दी। कालीतीर योजना जो हमने दी थी, उसकी आपने वापस घोषणा कर दी। यह सारी जो चीजें हैं, आपके ये सारे एम.एल.ए. भी कह रहे थे कि साहब, पहले तो बीस-बीस बोरिंग, चालीस-चालीस हैंडपम्प्स मिलते थे, इन्होंने तो आधे ही कर दिये, वह भी दो साल में किया है तो इसको भी डबल करने का आप काम करें।

हमने पांच साल में एक लाख चालीस हजार किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति दी है और अब तो हमें यह लग रहा था कि हमारी वित्त मंत्री जो हैं, वे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री भी हैं तो कम से कम हमसे तो ज्यादा सड़कें बनेंगी लेकिन आपका जो पांच साल का टार्गेट है, वह केवल 53 हजार किलोमीटर ही आपने रखा है यानी कि हमारे से कम है।

हमने आठवीं, दसवीं, बारहवीं के बच्चों के लिए जो घोषणाएं की थीं, आपकी भी सेम घोषणाएं हैं, इसकी भी आपने वापस घोषणाएं कर दीं। कोई नई आप घोषणाएं करते तो समझ में आता। आपने मॉडल सी.एच.सी. की भी घोषणा की है तो आप 125 करोड़ रुपये में यह सारी कैसे कर दोगे यह मेरी समझ से बाहर है और इसी प्रकार से दुर्घटना में घायल को दस हजार की हमने कही, आपने फिर वापस घोषणा कर दी यानी जिल्द नया चढ़ाना था।

SSY/RTM/29.07.2024/17:30/3h

आपने दिव्यांगों को 50 हजार का कहा, मैंने कहा कि इसकी लाइन थोड़ी लंबी खींचिये, 50 हजार तो हमने ही दिये थे। हमने 5 हजार स्कूटी दी, आपने 2 हजार कर दी। हमने कामधेनु बीमा किया था, आपने मंगला कर दिया। पहले तो मैंने सोचा कि यह कामधेनु सरिया भी आता है और मंगला सरिया भी आता है। यह क्या कोई सिमिलैरिटी है क्या? लेकिन मैंने देखा तो इन दोनों का ही मतलब एक ही है, कि आप जो 5-5 लाख गाय, भैंस और 5-5 लाख भेड़, बकरी इनका जो कर रहे हो 400 करोड़ में, हम कर रहे थे 750 करोड़ में। 1 करोड़ से अधिक गाय, भैंस हैं, इसमें 5-5 लाख का कैसे करोगे? यहां गुर्जर समुदाय से, रैबारी समुदाय से, ऐसे-ऐसे लोग आते हैं, उनमें लड़ाई होगी कि किसका बीमा

करोगे, किसका नहीं करोगे। 1 करोड़ में से आप 10 लाख का कैसे करोगे, यह आप मुझे बता देना, जब आप जवाब दो।

एक और बड़ी विचित्र बात हुई। मैंने एक शेर पहले पढ़ दिया, पढ़ना तो अब था वह।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नेता, प्रतिपक्ष आपके पास आ गया ना कि सोनिया जी का नाम बार-बार लो, वह भूल गये आप। वह पर्ची पढ़ लो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक्सप्रेस हाई वे, ग्रीन फील्ड की जो आपने घोषणा की गंगानगर से कोटपूतली।

श्री अध्यक्ष: समय का।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं, अभी बस दो-एक मिनट इन्होंने जो खराब की थी, वही लूंगा।

आपने जो घोषणा कर दी गंगानगर से कोटपूतली, आपने कहा 260 किलो मीटर, अब मैंने सारा हिसाब लगा लिया, गूगल खोला, कार से भी देख लिया, पैदल से भी देख लिया, फिर मैंने सोचा हो सकता है मुख्य मंत्री जी हैलीकॉप्टर से जाते हैं तो हैलीकॉप्टर से दूरी हो, हैलीकॉप्टर से भी, बाई एयर भी दूरी इसकी 333 किलो मीटर आ रही है तो 260 में आप कैसे पूरा करोगे? यह कौनसा फीता है किलो मीटर का जो दूरियां कम कर रहा है? यह सड़क की दूरी और मन की दूरी, इन दोनों का आप ध्यान रखो।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, कुछ बातें और कहना चाहूंगा। एक और देश को मजबूत करने की, देशभक्ति की बातें कहने वाली एक संस्था के लोगों को स्मार्ट टेंडर दिये जा रहे हैं स्मार्ट बनाने के लिए। अध्यक्ष जी, मेरा इशारा आप समझ गये होंगे। इसको आप मुख्य मंत्री जी तक पहुंचा देना। आप कह रहे थे कि मेरे माध्यम से कहना कोई ज्यादा ही इंपोर्टेंट चीज हो तो।

श्री अध्यक्ष: हो गया?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं।

श्री अध्यक्ष: आपके सीधे सम्बन्ध हैं, आप बात कर लेना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैटेरियल पूरा है। मैं सोच रहा हूं कि 2 मिनट बची हैं।

श्री अध्यक्ष: आपके सीधे सम्बन्ध हैं आप बात कर लेना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सीधे सम्बन्ध नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं हैं?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपके ही थ्रू हैं। यह वहम कतई मुझ पर नहीं है।

जो कर्जे की आपने बात कही, बजट की बात कही, उस पर भी 2 ही मिनट में अपनी बात खत्म करुंगा कि आपने लेखानुदान के पैराग्राफ नंबर 4 में कहा कि राज्य पर जो कर्ज है वह 5,79,781 करोड़ रुपये हो गया है। कर्ज और जीएसडीपी के अनुपात में देश में दूसरा स्थान है। प्रदेश के हर व्यक्ति पर 70,800 रुपये का कर्ज होना संभावित है। अब यह जो

आप आगे जाओगे ना, तो यह 80 हजार तक पहुंचेगा।

हालांकि इसी बजट के साथ ही एफआरबीएम डॉक्युमेंट से मेल नहीं खा रहे हैं। एफआरबीएम डॉक्युमेंट में 2023-24 के बाद रिवाइज एस्टिमेट में कर्ज 5,70,645 करोड़ माना है, जो कि आपके लेखानुदान में दिये गये आंकड़ों से करीब 9 हजार करोड़ रुपये कम है। इसी पैराग्राफ को पढ़कर लगता है कि सरकार कर्ज कम करने को लेकर गंभीर है। लेकिन लोकडाउन के दौरान भी जो हमने कर्ज लिया था, उससे कहीं ज्यादा कर्ज आपने लिया है। कर्ज के नाम पर आप पिछली सरकार को जो कोस रहे हो, आपने रिकार्ड तोड़ दिया। 75 साल में आज तक के इतिहास में किसी सरकार ने यदि सबसे ज्यादा कर्ज लिया है तो यह आपकी सरकार है, जिसने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। आपने यह सोच रखा है कि,

'यह कर्ज तो मेरा है चुकायेगा कोई और,
दुख मुझको है नीर बहायेगा कोई और,
क्या फिर यूं ही दी जायेगी उजरत पर गवाही,
क्या तेरी सज़ा अब के भी पायेगा कोई और'

बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बजट दिशाहीन, निराशा जनक, खोखले दावों वाला और प्रदेश को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जाने वाला है। इस बजट की मैं और मेरे पूरे साथी, पूरा हमारा दल घोर निन्दा करते हैं। केन्द्र से हमें कुछ नहीं मिला, जो बड़ी-बड़ी बातें करते थे, 25-25 सांसद 2 बार दिये, 14 सांसद अब की बार दिये, बिहार से तो ज्यादा ही दिये, उसके बावजूद भी राजस्थान के जो हक, अधिकार सब दिल्ली में गिरवी रख दिये, उसकी घोर निन्दा करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सभी सदस्यों को इस बजट की चर्चा के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का यह सर्वजन हिताय की सोच वाला बजट, समाज के सभी वर्गों, युवा, किसान, मजदूर, महिला, गरीब, असहाय, उपेक्षित तथा अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए है जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है, उसके चेहरे पर मुस्कान किस तरह से आ सकती है? माननीय प्रधान मंत्री जी ने संपूर्ण देश में खुशहाली लाने वाली प्रेरणा देते हुए स्पष्ट कहा था कि देश के अन्दर 4 जातियां हैं। वह जातियां गरीब, महिला, युवा और हमारा वह किसान जो धरती का सीना चीरकर के अन्न पैदा करने वाला है।

हमारा यह बजट इसी सिद्धांत को आत्मसात करते हुए प्रदेश को आगे ले जाने वाला, यह हमारा प्रयास, हम प्रदेश के लिए विकसित राजस्थान 2047 के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आम जन की जरूरतें, उम्मीद और पूर्ण खरा उतरने वाले इस बजट से विपक्ष को स्वयं के अस्तित्व की इतनी चिंता हो गयी है कि माननीय नेता, प्रतिपक्ष को लगता है कि प्रदेश

में उनकी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। इसलिए उन्होंने 16 जुलाई, 2024 को सदन में अपने बजट वक्तव्य में निराशाजनक होने की संज्ञा दी थी। आपको इस बजट की आलोचना करने के लिए शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए आप अपने अन्दर की भावनाओं को प्रकट कर खीज मिटाने का प्रयास कर रहे हैं।

आपको इस बात से और भी अधिक निराशा हुई कि आपके कई साथियों ने खुले मन से तथा कुछ साथियों ने दबी जुबान से इस बजट की प्रशंसा की है।

Spp/Rtm/29.07.2024/17:40/3j

माननीय अध्यक्षजी, हमारे 10 संकल्पों का उद्देश्य प्रदेशवासियों की खुशहाली के साथ यह विकसित राजस्थान का निर्माण, विकसित राजस्थान की हमारी संकल्पना के अनुसार राज्य के सभी वर्ग विशेषकर- गरीब, वंचित, युवा, महिला, कृषक सभी का विकास, इसमें अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक लाभ होना चाहिये। आधारभूत ढांचे का विकास, उद्योग धंधे, कृषि सेवा के क्षेत्र में विस्तार से राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिलेगा।

माननीय अध्यक्षजी, विपक्ष के वरिष्ठ नेता, जिनमें माननीय नेता, प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी-अभी उन्होंने एक कविता सुनायी थी। आपका कॉम्पीटिशन तो डोटासराजी से है, विवेक जी से क्या दुश्मनी है? आपने कहा, अभी-अभी एक पंक्ति सुनायी थी तो मैं देख रहा था उसमें विवेकजी का नाम आया। आपकी कॉम्पीटिशन डोटासरा जी से है, विवेक जी से क्यों तुलना कर रहे हो? यह तो नहीं करना चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह विवेकजी कौन है?

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): सॉरी, रोहित जी हैं। रोहित जी हैं।

सामान्य चर्चा में बजट के अलावा अन्य विषयों पर मात्र अनर्गल बातें करने में ही कीमती समय गया है। ऐसा लग रहा था कि मानो इन वरिष्ठ सदस्यों को प्रदेश व प्रदेशवासियों की कोई चिन्ता नहीं है। मैं इस सदन में वित्त विधेयक एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए बजट से सम्बन्धित कुछ मुद्दों पर सभी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा किन्तु इससे पूर्व सदन का नेता होने के कारण यह भी मेरा दायित्व है कि हमारे इन साथियों द्वारा निरन्तर फैलाये जा रहे भ्रम और असत्य के बारे में भी स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक है।

माननीय अध्यक्षजी, कांग्रेस के लोग हमेशा संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि एक बार अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिये कि लोकतंत्र में आपने कितना ध्यान रखा है। संविधान व लोकतंत्र की बातें करने वाले नेता प्रतिपक्ष जी को मैं लोकतंत्र का वह काला दिवस 25 जून, 1975 भी याद दिलाना चाहता हूं जिस दिन तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मात्र अपने पद को बचाने के लिये आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र का

गला घोंटते हुए लोकतंत्र की हत्या की। जनता के अधिकारों की आवाज उठाने वाले अधिकांश नेताओं तथा अन्य विरोधियों को मीसा के अन्तर्गत जेल में डाल दिया गया था। इस दौरान न्यायपालिका के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया था। इसके साथ ही मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी गयी थी। संविधान में भी संशोधन कर लोक सभा तथा विधान सभा के कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दी गयी। यह बात उस दौर को देख चुके लोगों के साथ ही आज की नई पीढ़ी के लिये भी सबक के रूप में याद रख सके, इसलिये 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी यह ध्यान रहे कि 25 जून को किस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा गया था और देश के अन्दर किस तरह से अराजकता फैलायी गयी थी। इससे पहले बात करने से पहले लोकतंत्र की हमें अपने आपको भी सोचना पड़ेगा। ..(व्यवधान)..

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह तो पर्ची दी जा रही है। ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: बैठिये, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बैठिये। ..(व्यवधान).. आपके विपक्ष के नेता को पूरी तरह सुना गया है। आपको भी पक्ष के नेता या सदन के नेता को सुनना पड़ेगा।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): यही नहीं, केन्द्र में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के प्रारम्भ में आपसे कहना चाहते हैं इतिहास देख लीजिये। इतिहास गवाह है, 1953 से लेकर 2014 तक 50 बार से अधिक राज्यों में जनता के द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की सरकारों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बर्खास्त किया गया था। उदाहरण स्वरूप, 1959 में केरल में, अगर उदाहरण दूं तो बहुत है। 1973 में गुजरात में, 1976 में तमिलनाडु में, 1980 में व 1992 में राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा था। पूर्ववर्ती में मणिपुर, नागालैण्ड व पंजाब, जम्मू-कश्मीर, बिहार में निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया गया था। जबकि हम लोकतंत्र के मूल्यों एवं लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखते हैं। हमारी केन्द्र सरकार द्वारा कभी भी इनकी तरह आनन-फानन में चुनी हुई सरकारों को कभी बर्खास्त नहीं किया गया है। ..(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मध्य प्रदेश और कर्नाटक का बताओ।

एक माननीय सदस्य: वह गिरना अलग है।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से हमेशा लोकतंत्र की बात करते हुये लोकतंत्र की आपने हत्या की है। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्षजी, नेता प्रतिपक्षजी ने एक और भ्रम फैलाया। 16 जुलाई, 2024 को सदन में कहा था, मैं आपको याद दिला रहा हूं। योजनाओं के नाम बदल रहे हैं। माननीय अध्यक्षजी, इन्होंने कहा था इंदिरा गांधी नहर बोर्ड लेकर आये। मैं नेता, प्रतिपक्ष के सामान्य ज्ञान को दुरुस्त करते हुए सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि जब रेगिस्तान के इलाके से राहगीर भी गुजरना नहीं चाहते थे, तब बीकानेर के महाराज गंगासिंहजी ने रेगिस्तान के धोरों को चीरते हुए नहर बनवा दी थी। माननीय अध्यक्षजी, वर्ष

1927 में गंगनहर पूरी हुई तो उन्होंने इंजीनियर कंवरसेन से बीकानेर से जैसलमेर तक दूसरी नहर का नक्शा तैयार करने को कहा, जो 1938 में ही बन गया था। आजादी के पश्चात् सरकार ने इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। इसका शुरूआती नाम राजस्थान नहर था। मेरे से पहले कई सीनियर माननीय सदस्य बैठे हैं, आप उनको भी पूछ सकते हैं कि उस नहर का नाम राजस्थान नहर था। राजस्थान में पहली नहर थी, इसलिये राजस्थान के लोगों को गौरव भी होता था कि हमारे राजस्थान के नाम पर वह नहर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे कि इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, जिसका शुरूआती नाम राजस्थान नहर था, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिये नहर का नाम 1984 में बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया।

इसी प्रकार से और भी बताना चाहता हूं कि अटल सेवा केन्द्रों का नाम राजीव गांधी रख दिया था। अन्नपूर्णा रसोई का नाम इंदिरा गांधी, मैंने कहा, भाई, एक परिवार को कितना खुश करोगे? और मैं कहना चाहता हूं स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी, हमारे यहां स्वर्गीय का क्या करते हैं साहब? ..(व्यवधान).. करते हैं न। तो नाम तो ऐसा होना चाहिये था कि जिसका नाम भी ठीक प्रकार से हो और जिसका ठीक तरह से उसका प्रसाद ले सकें। हमने अन्नपूर्णा रसोई, पिछली बार भी मैंने कहा था मां अन्नपूर्णा का नाम हम किस तरह से लेते हैं और मां अन्नपूर्णा को रसोई में जाने से पहले हमारी माता, बहनें वहां नाम लेती हैं और अन्नपूर्णा को भोग लगाती हैं। अन्नपूर्णा मां का नाम बदलकर आपकी सरकार ने इंदिरा गांधी के नाम पर रख दिया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस में केवल एक ही परिवार की भक्ति करने की परम्परा है।

मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता को कहना चाहता हूं, वह अभी कह रहे थे नेहरूजी की भी बात की, मोतीलाल जी की भी बात की, इंदिरा जी की भी बात की, राजीव जी की बात की, लेकिन उससे आगे नहीं आये हैं। उनसे आगे नहीं आये और उनसे आगे भी आते तो दामाद जी का नाम भी आता। राजस्थान से क्या रिश्ता है यह भी मालूम पड़ता, इसलिये वहां दामादजी तक नहीं आये। वहीं तक रुक गये, इनको पता था कि आगे नाम जायेगा तो किस तरह से होगा।

अच्छा होता कि आप लोग भी योजनाओं एवं कार्यों के नाम बदलने वाली राजनीति के स्थान पर जनहित में नई परियोजनाएं लाते।

MLS/RTM/29.07.2024/17:50/3k

इसलिए मैं कहना चाहूंगा,

''हम से पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे,
हम से पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे,
कम से कम राह का पत्थर तो हटाते चलते।।''

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने एक बात सच-सच भी कही, आपका मैं यह नहीं

कह रहा हूं, कुछ सच कह रहे हैं, उनको भी कह रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष ने एक बात सच-सच भी कही कि हमारे यहां इंडस्ट्रीज इसलिए नहीं आ रहीं कि प्रदेश में बिजली और पानी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस के ही शासनकाल की गलत, अविवेकपूर्ण नीतियों का परिणाम है। इनके समय में ही राज्य विद्युत कम्पनियां लगभग दिवालियापन की स्थिति में पहुंच गईं। वर्ष 2018-19 में राज्य की विद्युत कम्पनियां 2607 करोड़ रुपये के लाभ में थीं, परन्तु वर्ष 2023-24 में विद्युत वितरण कम्पनियों पर लगभग 91 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण भार हो गया।

इसके साथ ही, न तो नये विद्युत संयंत्र बनाये गये और न ही उपलब्ध संयंत्रों के प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। अब हम इस कु-प्रबन्धन को दूर कर भारत सरकार के विभिन्न पीएसयूज के माध्यम से एमओयू कर स्थापित क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारा मुख्य फोकस रिन्यूएबल एनर्जी तथा सोलर विंड, हाइड्रो एनर्जी पर है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बिना सोचे-समझे यह कहा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए केवल 30 करोड़ रुपये, मैंने कहा, भाई समझें, थोड़ा-सा समय तो लगाइये। बजट को पूरा पढ़ तो लीजिये, लेकिन बजट पढ़ा नहीं, कह दिया 30 करोड़ का बजट।

मैंने कहा, भाई, प्रावधान रखा गया है। माननीय सदस्य ने जो भी बातें सदन में कहीं, उससे लगता है, वे बहुत जल्दबाजी एवं अधूरी तैयारी के साथ आये थे या अगर पता था तो जान-बूझकर सबको गुमराह करना चाह रहे थे। मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि एक्सप्रेसवे या किसी भी बड़े इन्फ्रा प्रोजेक्ट के बनने के लिए सबसे पहली कड़ी में सर्वप्रथम डीपीआर बनानी होती है, जो कि सुनियोजित एवं गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए अभी डीपीआर के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। यह मैं बताना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि डीपीआर बनने के तुरन्त बाद हाइवे निर्माण हेतु प्रावधान निर्धारित कर स्वीकृत किये जाएंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मुख्य मंत्री जी, एक आग्रह है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज बनाएं, लेकिन पूरा बजट भी इस पर लग जाये न राजस्थान का, पूरा बजट भी आप एक बार इस पर लगा दें और यह बन जाये तो मुझे बता दीजियेगा।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): यह भी मैं कहने वाला हूं अभी। आप उसकी चिन्ता नहीं करें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक के लिए बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024 व
राजस्थान वित्त विधेयक, 2024 का पारण

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): नेता प्रतिपक्ष द्वारा 16 जुलाई, 2024 को सदन में कहा गया कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना बन्द कर दी है। अब मैं आपको वे बातें कहना चाहता हूं, जरा मैं कहता हूं कि आप बजट को एक बार पूरी तरह से पढ़ लें, इतनी जल्दबाजी नहीं करें। हम वे लोग हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर चलते हैं। मैंने सदन में पहले भी कहा था कि हम जनता के बीच में जाते हैं, अच्छे सुझावों को लेते हैं। अच्छा सुझाव यदि कोई भी देता है तो उस सुझाव को मानते हैं। इसमें तो आप माननीय सदस्य हैं, हमारे प्रतिपक्ष में हैं। यह कोई बात थोड़ी है। अगर अच्छा सुझाव आप देंगे तो निश्चित रूप से हम उसको मानेंगे।

कोई भी अगर अच्छा सुझाव देगा, हम उसे मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जोर-जोर से बोलकर अपने इस असत्य को सच्चा साबित करने के प्रयास में यह भी जानना चाहा कि यदि ऐसा नहीं है तो किस अस्पताल में है और कितने लोगों का इलाज हो रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा ''हैल्थ फॉर ऑल'' के सिद्धान्त पर कार्य करते हुए इस योजना को और अधिक बेहतर बनाते हुए आज 1782 अस्पतालों में ''मां योजना'' के अन्तर्गत हमारी सरकार के कार्यकाल में अभी तक 10 लाख से अधिक लोगों का इलाज हुआ है। इसके साथ ही, जन सामान्य को यथासम्भव बीमारी का सामना ही न करना पड़े तथा बीमारी होने पर समय रहते उसका पता चल जाये, यही हमारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहली प्राथमिकता है।

मैं पुन: माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि हमने बजट में प्रावधान कर ''मां वाउचर योजना'' लाने के साथ ही प्रदेश के कोने-कोने में रहने वाले समस्त परिवारों की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जांच सुनिश्चित कर ई-हैल्थ रिकॉर्ड बनाने की व्यवस्था भी की है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी सरकार की ठोस कार्य करने की नीति के विपरीत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा केवल थोथी घोषणाएं की गईं। इसकी पुष्टि इस बात पर होती है कि आपके समय में कहा जाता, ''आप मांगते-मांगते थक जाओगे, मैं देते-देते नहीं थकूंगा।'' यह कहते थे। मैं सदन में ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सदन में यह बात भी हुई है कि उन्होंने घोषणा भी की है और पूरी नहीं हुई।

अभी-अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि सदन में ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। यह तो आपने की है, वह बता रहा हूं। आप सुनते जाइये। अगर सूची लाता तो अलग से भी है। अलग से भी लाया हूं, अगर मैं चारों बजट की बात करूं। मैं सूची लाया हूं, इतनी बड़ी है कि ढाई घण्टे मुझे इसी में लगेंगे। प्रतिपक्ष के नेता कहेंगे कि आप तो समय

बहुत ज्यादा लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लेकर आया हूं।

पशुधन बीमा हेतु पशु पालकों का रजिस्ट्रेशन किया, किन्तु एक भी पशु का बीमा नहीं हुआ। यह किया क्या? इसके अलावा और भी ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें काम ही नहीं हुआ। प्रतापगढ़, जालोर एवं राजसमन्द जिलों में मेडिकल कॉलेज बन गये क्या? कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल हेतु ''प्रियदर्शिनी डे-केयर सैंटर योजना'' तथा 500 डे-केयर सैंटर, यह हो गया क्या?

इसमें एक बात और बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। देखो, हमारी एक परिवार के प्रति कितनी आस्था है! हम कितना करेंगे! यह प्रियदर्शिनी डे-केयर है न, इसको समझ रहे हो क्या आप, क्योंकि इन्दिरा गांधी जी का जो पहला नाम था वह प्रियदर्शिनी था और प्रियदर्शिनी नाम से अब आप बताइये, आप बताइये, हमने तो आज पहली बार सुना है, पहली बार सुना होगा कई सदस्यों ने, लेकिन हमारे नेताओं को कितनी, क्या बात है, मान गया मैं तमाम आपको कि कहां से नाम ढूंढ कर लाये कि एक परिवार के लोग कैसे खुश हो सकते हैं, उनको जाकर दिखाएंगे कि हमने प्रियदर्शिनी डे-केयर, ये कब की बातें हैं, जन्म कब हुआ होगा। वाह, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका एक परिवार के प्रति जो समर्पण है, बहुत ही अच्छा समर्पण है। यह आपने किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, फिरोजपुर फीडर की मरम्मत, मैं आने वाले लोगों से पूछता हूं, मुझसे तो कहते हैं, लेकिन फिरोजपुर फीडर की मरम्मत हो गयी क्या? जरा बताये कोई भी। जयपुर में विश्वकर्मा एमएसएमई टावर खड़ा हो गया क्या? रीको औद्योगिक क्षेत्र में एमएसएमई यूनिट की सुविधाओं के लिए को-वर्किंग स्पेस एवं वर्कशॉप का निर्माण हो गया क्या? ये घोषणाएं हैं, जो मैं बता रहा हूं। जयपुर-जोधपुर में ऑर्गेनिक प्रॉडक्ट मार्ट बन गया क्या? बताइये मुझे। केन्द्रीय बस स्टैंड सिन्धी कैम्प, जयपुर का मल्टीमॉडल इंटीग्रेटेड आईएसबीटी हब के रूप में विकास हो गया क्या? बताइये भाई, यह तो मैं वह बता रहा हूं आपको जो इनके घोषणा पत्र में हैं। मैं ध्यान दिला रहा हूं। रोडवेज बेड़े में सर्विस मॉडल पर 1000 नयी बसें आ गईं क्या?

mkd/rtm/29.07.2024/18.00/3l

प्रत्येक जिले में आईटीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के रूप में विकास होगा, हो गया क्या? ये तो पिछले बजट की बता रहा हूं, साहब।

इसलिए आपकी गत सरकार पर तो पुरानी कहावत ठीक बैठती है, 'थोथा चना, बाजे घना।' हमारी सरकार के गत कार्यकाल वर्ष 2013 से 2018 की तुलना कांग्रेस की गत सरकार से करने पर, हमें यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 'कहां तो तय था चिरागां हरेक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।' यह कहावत है।

माननीय अध्यक्ष जी, पंचायती राज संस्थान के बारे में हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता बात कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं, वे मेरे से भी कह रहे थे, मैंने उन सरपंचों को बताया

था कि नरेगा के माध्यम से जो हमारा 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान चल रहा है, इसमें आप काम कर सकते हैं। मैंने मेरे काम का सिर्फ एक उदाहरण दिया था और उनसे कहा था कि जब सरपंच था, तो मैंने कहा था कि मैं 'आई कैम्प' लगवाना चाहता हूं तो 'आई कैम्प' लगाने वाली थी, ग्राम पंचायत। मुझे सीईओ ने कहा कि ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती। मैंने कहा ग्राम पंचायत स्वायत्तशासी संस्था है, लगा सकती है। फिर मैंने यहां आकर पत्र लिखा और पत्र में पंचायती राज संस्थान से मुझे लैटर गया। फिर मैंने 'आई कैम्प' वहां सरपंच रहते हुए ग्राम पंचायत में लगवाया था। मैंने इस बात का जिक्र किया था, नरेगा की, माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे, उन्होंने यह कहा कि नरेगा के माध्यम से हम वृक्ष मित्र बनाते हुए, हम 200 पेड़ पर अगर हम एक नरेगा का व्यक्ति रखेंगे तो हमारे पर्यावरण की स्थिति सुधरेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विपक्ष के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान कम करने का मिथ्या आरोप भी लगाया है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि आरोप के ठीक उलट हमारी सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों को वित्तीय दृष्टि से मजबूत करने के लिए वर्ष 2024-25 में राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 7 प्रतिशत कर दिया है। इस वृद्धि के कारण राज्य की इन संस्थाओं को कई सौ करोड़ रुपये अधिक की राशि मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि कांग्रेस के शासन काल में पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की अभिशंसा के अनुसार वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक राशि 20 हजार 984 करोड़ रुपये हस्तांतरित की जानी थी। जबकि इनके द्वारा मात्र 13 हजार 870 करोड़ रुपये यानी राशि 7 हजार 114 करोड़ रुपये कम हस्तांतरित की गई। यदि ये पूरी राशि देते, मैं इसका कारण बताता हूं, क्यों है, अगर ये पूरी राशि देते तो इनका राजकोषीय घाटा और भी अधिक होता। हमने अल्पावधि में ही 1 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित कर दिये हैं व शीघ्र ही 1 हजार करोड़ रुपये और हस्तांतरित किये जा रहे हैं।

मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस राशि के अतिरिक्त हमने केन्द्रीय वित्त आयोग की लगभग 2 हजार 800 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित कर दी है। पंचायती राज को कांग्रेस की गत सरकार द्वारा कितना सहयोग दिया गया था, यह इसी बात से दिख जाता है कि महानरेगा योजना के अन्तर्गत सामग्री मद के 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक लम्बित होने पर भी इनके द्वारा न तो स्टेट शेयर दिया गया, ना ही केन्द्र से समयबद्ध रूप से हिस्सा प्राप्त किया गया। हमने इस अल्पावधि में केन्द्र सरकार के सहयोग से इस हेतु 1 हजार 500 करोड़ रुपये के भुगतान की व्यवस्था कर ली है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के प्रथम 6 माह के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के द्वारा मात्र 6 महीने में

जिस रीति, नीति, गति और संकल्प के साथ काम किया जा रहा है, उसकी तुलना में कांग्रेस सरकार के प्रथम 7 माह के आंकड़े, इन आंकड़ों को सदन के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम सड़कों पर व्यय की बात करें तो 2018 से जून 2019 तक पूर्व सरकार ने 3,981 करोड़ किया था। हमारी सरकार द्वारा जून, 2023 से जून, 2024 तक 7,521 करोड़ रुपये किया गया है, जो कि 88.92 ज्यादा है। पेयजल योजना पर यदि व्यय की बात करें तो आपने 2,104 किया था, हमने 5,534 यानी 163 प्रतिशत अधिक किया है। सिंचाई योजना पर व्यय की बात करें, आपका 1,070 था, हमारा 3,120, आपसे तीन ज्यादा, हमारा आपसे तीन गुना है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बात करें, आपका 3,569 है, हमारा 6,297, 76 प्रतिशत ज्यादा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में व्यय हुआ है, आपके द्वारा 171 था, हमारा 943, पांच गुने से अधिक किया है। आपने केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन ऋण वितरण 1,459 किया था, हमने 17,686 यानी कि आपसे 12 गुना ज्यादा हमने किया है।

राजस्व प्राप्ति खनन की अगर बात करें तो आपने 2,904 किया था, हमने 4,858 किया है, जो 67 परसेंट से भी अधिक है। तारबन्दी पर अगर व्यय देखें तो आपने मात्र 1 करोड़ रुपये खर्च किया था, हमने 117 करोड़ रुपये खर्च किया है। अध्यक्ष जी, अब इसमें मैं प्रतिशत क्या बताऊं? इसमें कितना गुना बताऊं, कितना प्रतिशत बताऊं, आप ही देख सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, खनन विभाग द्वारा की गई नीलामी बजरी, उसका भी मैं बताना चाहता हूं। इनका जीरो ब्लॉक था, इनके उस कार्यकाल में। हमारे कार्यकाल में 17 ब्लॉक हमने नीलाम किये बजरी के। प्रधान खनिज लाइम स्टोन, लौह अयस्क आदि में इनका जीरो ब्लॉक था, हमने 34 ब्लॉक नीलाम किये हैं।

यही नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, निर्माण श्रमिकों की सहायता, इन्होंने जो की है 69 हजार 190, हमने की है 1 लाख 96 हजार 93, कितना बड़ा अन्तर है। जारी किये गये पेयजल कनेक्शन इन्होंने किये थे 1.02 लाख और हमने किये हैं, 5.75 लाख। अगर राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की बात करें तो इन्होंने 38 हजार 217 किये थे, हमने 82 हजार 894 किये हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, आप कह रहे थे, इन्होंने 361 मेगावाट किया और हमने 4168 मेगावाट किया।

(समयः बजे)

(श्री फूलसिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

मैं कहना चाहूंगा कि-

चाहता हूं, कुछ यूं हो, सबको उनके हिस्से की राहत मिले,
चैन की नींद आये, सबके सपनों के फूल खिलें,
प्रगति के उजाले से अछूता न रहे कोई,
कारज सारे सिद्ध हों और संकल्प हमारा यही है।

माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता अपने केन्द्रीय नेतृत्व को राज़ी करने के लिए सदन में प्रधान मंत्री जी का उपहास उड़ाते हुए, अब इनसे केन्द्रीय नेतृत्व प्रसन्न हो या नहीं हो, लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की है, लेकिन डोटासरा जी कह रहे हैं कि आप क्यों कर लोगे प्रसन्न, मैं भी करूंगा।तो अब कौन प्रसन्न करते हैं। यह तो मैं माननीय प्रतिपक्ष नेता जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने उपहास उड़ाते हुए माननीय अध्यक्ष जी, +++ कहा, विगत कुछ समय विश्व के कुछ अन्य देशों की भांति ही हमारे देश में भी हैट स्पीच के प्रति विपक्ष में बढ़ती जा रही है।

Bhs/Rtm/29.7.24/18.10/3m

संवेदनशील विषयों पर हमेशा दूरगामी परिणामों को ध्यान में रख कर बात की जानी चाहिये। हमेशा दूरगामी परिणाम किस तरह से होंगे उसके बारे में बात की जानी चाहिये। 'तारीखों में कुछ ऐसे भी मंजर हमने देखे हैं कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सज़ा पायी।' हमने इस प्रकार की हरकतों के दुष्परिणाम अमेरिका जैसे विकसित देश में अभी हाल में ही देखे हैं। हमारी सदा से मूल्यों के आधार पर तर्क-वितर्क करने की परम्परा रही है। मेरी इस सदन में सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा रही है कि हम बापू द्वारा दिये गए सिद्धांतों का पालन करते हुए सदन की गरिमा बनाये रखते हुए राज्य व राज्य हित को सर्वोपरि रखते हुए सार्थक चर्चा करें जिससे उसका निष्कर्ष निकले। जिस भाव और भावना से जनता ने हमें यहां चुन करके भेजा है, उसको हम पूरी कर सकें।

मैं नेता, प्रतिपक्ष के साथ ही समस्त विपक्ष के साथियों को पुन: यह बताना चाहूंगा कि वास्तव में यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी महामानव हैं क्योंकि वो देश के गरीब, पिछड़े तथा समाज के अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण हेतु दिन-रात 24X7 कार्य करते हैं।

(समय:)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन।)

23 जुलाई, 2024 को केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत मोदी 3.0 का प्रथम बजट भी माननीय प्रधान मंत्री जी के विकसित भारत 2047 के विजन को दर्शाते हुए इस बात की पुष्टि करता है। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में देश में कई अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जिसके कुछ उदाहरण मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, जहां कांग्रेस शासन काल में गरीब, मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे दुकानदार, महिलाएं बैंकिंग व्यवस्था के बारे में जानते ही नहीं थे, इनका फाइनेंशियल इन्क्लूजन दूर की बात थी, यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इनके उत्थान के बारे में विचार करते हुए बैंक में इनके जन-धन खाते खोले। आज जन-खातों की संख्या पचास करोड़ से भी अधिक हो गई है और इनमें भी 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। ग्रामीण तथा सेमी अरबन एरिया में 70 प्रतिशत खाते हैं, इन खातों का इन वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण

योगदान रहा है।

आज केन्द्र तथा प्रदेश की योजनाओं का लाभ डी.बी.टी. के माध्यम से गरीबों को सीधा पहुंच रहा है। मैं दिवंगत प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी के कथन की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब उन्होंने कहा था कि भारत सरकार अगर एक रुपया गरीब के लिए भेजती है तो उसमें से केवल पन्द्रह पैसे ही उस तक पहुंच पाते हैं। यह तब की बात है जब केन्द्र और ज्यादातर राज्यों में इनकी सरकार थी। दोनों जगह आपकी सरकार थी। आप जब इस तरह की बात करते थे कि हम एक रुपया भेजते हैं और पन्द्रह पैसे पहुंचते हैं। आज देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो इन गरीबों के लिए व्यवस्था की है उस गरीब के लिए की, जिसके लिए अगर एक रुपया भी भेजेंगे तो पूरा का पूरा पहुंचेगा। यह व्यवस्था अगर की है तो देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने की है।

आज आधार मोबाइल के आधार से सौ प्रतिशत राशि डी.बी.टी. की गई है। इस माध्यम से गरीब तक सीधे पहुंच रही है। हमारी सरकार द्वारा जनता को प्रभावी सर्विस डिलीवरी देने एवं सभी योजनाओं का डेटा बेस एक ही स्थान पर करने हेतु भामाशाह योजना शुरू की गई थी। आपने उसका नाम बदल कर जनाधार कर दिया लेकिन इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। 10 जुलाई, 2024 को प्रस्तुत राज्य के बजट के अन्तर्गत हमारे द्वारा स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से ऑटोमेटिक सर्विस डिलीवरी द्वारा सिंगल विंडो सेम डे सर्विस डिलीवरी भी प्रारम्भ की जा रही है जिस व्यक्ति को उसका फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, तुरन्त होगा। इधर ऑर्डर होगा, उधर उसका पैसा आ जायेगा।

आपके समय में क्या होता था, आपके प्रधान मंत्री कहते थे। हमने तो नहीं कहा लेकिन इसको रोकने का काम देश यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया। केन्द्र सरकार द्वारा गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाते हुए उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत दस करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस सिलेंडर नि:शुल्क उपलब्ध कराये। आपने पांच सौ रुपये में सिलेंडर देकर वाहवाही लूटी जबकि इसका लाभ उज्ज्वला योजना से मिल रहा था। आज हमारी सरकार लगभग 77 लाख लाभार्थियों को 450 रुपये गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है।

प्रधान मंत्री जी ने कोरोना काल में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम चलाया जिसमें भारत में कोरोना का प्रभाव दुनिया के शेष भागों से कम रहा। यही नहीं, दुनिया के सौ से अधिक देशों में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने का भी काम देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया। देश में तीस करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किये गये जिससे देश की गरीब जनता को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हुई। प्रदेश में भी 'मा योजना' के अन्तर्गत लगभग एक करोड़ पैंतीस लाख परिवारों को नि:शुल्क चिकित्सा का लाभ प्राप्त हो रहा है।

मोदी जी की आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप देश का विदेशी मुद्रा भण्डार जुलाई, 2024 में अब तक के रिकार्ड स्तर 617 अरब डालर पर पहुंचा है। कांग्रेस शासन काल के

अन्तिम वर्ष 2014 में देश की अर्थव्यवस्था ग्यारहवें स्थान पर थी। यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अथक प्रयासों से अर्थव्यवस्था आज पांचवें स्थान पर पहुंच चुकी है तथा आगामी तीन वर्षों में अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर पहुंचने की प्रबल सम्भावना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसमें वह जवाब दे रहा हूं जो प्रतिपक्ष या प्रतिपक्ष के नेता जी के जो प्रश्न आये थे। मैं अनर्गल कहीं नहीं जा रहा हूं और न उन बातों पर मैं जाना चाहता हूं, न मैं समय बर्बाद करना चाहता हूं। इसमें वह बात बताना चाहता हूं जो आपके प्रश्न आये थे। मैं उनका एक-एक करके जवाब देना चाहता हूं। मैं और भी सुन रहा था, उनके भी जवाब दे सकता हूं क्योंकि मैंने उस दिन कहा था कि सामने जब एक अंगुली करते हैं तो चार अंगुली अपनी तरफ आती है और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस सरकार ने गरीबी तो मिटाई नहीं लेकिन गरीब को गरीब जरूर बना दिया।

माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी 2001 से दिन-रात लगातार गरीब, असहाय, जरूरतमंदों के कल्याण, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के साथ कार्य कर रहे हैं और यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी ने अपने शासन काल में पच्चीस करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किया है। कांग्रेस एवं विपक्ष दल महिला उत्थान की केवल थोथी बातें ही करते रहते हैं परन्तु हमारी सरकार ने संविधान में 106वां संशोधन कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा संसद एवं विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। हमारी बहनें बैठी हैं वो तो करें इसका। ...(व्यवधान)... किया है।

यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश को विदेशों में भी सम्मान दिलवाया है। आज दुनिया के हर कोने में भारत का डंका बज रहा है। यह आप देख रहे हैं। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि दुनिया के तेरह से अधिक देशों ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रधान मंत्री जी को प्रदान किया है। इसी क्रम में राज्य को भी वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है और जयपुर और उदयपुर शहर में भी जी-20 का आयोजन किया गया था, आपको ध्यान होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह बजट के कौनसे चैप्टर में है?

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मैं आपको समझाने में इसलिये नहीं हो पाऊंगा माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक कहानी बताना चाहता हूं। एक जंगल था, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा हुआ था। जंगल में भी पानी की कमी आ गई तो वहां उन्होंने सभी ने कहा कि पानी की कमी है, जंगल में पानी की कमी आ गई तो कैसे काम चलेगा, तो उन्होंने जंगल के राजा शेर से जाकर गुहार लगाई, उसने कहा कि सबको बुलाइये, पंचायत होगी, पानी की व्यवस्था किस तरह से होगी तो उन्होंने बुलाया। सबने अपने-अपने सुझाव दिये। सबके सुझाव सर्वमान्य थे तो उन्होंने कहा कि यह तालाब तो हमारे पास है लेकिन इसमें पानी बीत रहा है, पानी कम है इसकी व्यवस्था कैसे होगी।

Kas/rtm/29.07.2024/18.20/3n

सबके सुझाव आये, कइयों ने यह कहा कि इस तालाब को हम गहरा कर देंगे। कई जानवर ऐसे होते हैं, खरगोश होता है, चूहा होता है जो जमीन खोदते हैं, कुछ ने कुछ कहा। चूंकि जंगल का जीवन प्रकृति का जीवन भी अटपटा होता है, सबसे अच्छा होता है। आप देखते हैं कि जब हाथी चलता है तो रास्ते में जितने भी पेड़-पौधे पड़ते हैं, उनमें से डाली तोड़ता हुआ जाता है। आप कहेंगे कि वह डाली क्यों तोड़ता है? वह उसको खाता नहीं है, लेकिन यह जंगल का नियम होता है कि जब हाथी चलता है तो पेड़ों को गिराता हुआ चलता है और जो छोटे जानवर होते हैं, वह उससे अपना भोजन पाते हैं, यह जंगल की व्यवस्था है। जब उन्होंने कहा कि बताइए, तो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। फैसला सबको मान्य होगा और फिर और अन्य विषयों पर चर्चा होने लग गई, लेकिन एक जानवर काफी देर बाद जोर से हंसा, जोर से हंसा। किसी ने कहा कि क्या हो गया, क्या हो गया? उसने कहा कि मेरी समझ में अब आया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के हमारे कुछ माननीय सदस्यों की केन्द्र सरकार के आंकड़ों में दिलचस्पी रहती है। मैं आपके माध्यम से समस्त सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि यू.पी.ए. कांग्रेस शासन काल 2008-13 में औसत महंगाई दर 8.32 से 12.11 प्रतिशत रही, यह मैं आपको उस समय की बता रहा हूं। क्रमशः 8.32, 8.30, 8.12, जबकि हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के समय वर्ष 2015 से 2022 में औसत महंगाई दर 2.49 से 7.66 प्रतिशत रही। ...(व्यवधान)... कारण क्या है कि जो अपने आपको किसी विषय में एक्सपर्ट मानता है ना उसकी समझ में नहीं आता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर ये मुझ से कहेंगे कि मैं जवाब तो सभी का दूं। प्रतिपक्ष के माननीय नेता जी ने भी कहा कि पोने तीन घंटे बोले, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जल्दी जल्दी मेरा काम करूं, नहीं तो आप फिर यह कहोगे कि आपने इतना समय लगा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य अपनी सरकार की नाकामी का ठीकरा केन्द्र सरकार पर फोड़ रहे हैं, जो भ्रामक तथ्यों से परे है। भारत सरकार द्वारा संवैधानिक संस्था वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप कुल केन्द्रीय करों का डिविजिबल पूल होता है, उसका वर्तमान में 2025-26 का 41 प्रतिशत हिस्सा राज्य को दिया जाता है। राजस्थान राज्य को वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार डिविजिबल टैक्स का 6.026 प्रतिशत राशि निर्धारित फ़ार्मूले के अनुसार तय है। प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 से लेकर 2023-24 तक वित्त आयोग के निर्धारित फ़ार्मूले के अनुसार पूरी राशि, अर्थात 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता जी बार-बार कह रहे हैं कि हमको इतना मिलना चाहिये, इतना नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ बजट ऐसा होता है कि उसमें डबल गिना जाता है। जैसे निर्माण विभाग के लिये दिया जाता है, उसमें वापस इंजीनियरों की तनख्वाह के लिये आता है, फिर वह उसमें सम्मिलित होता है। उसको तो बजट में संभालते ही नहीं हैं।

मैं उनको कहना चाहता हूं कि जरा आप दुरुस्त हो जाएं।

मानीय सदस्य शायद संविधान के प्रावधान की अनदेखी कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि संविधान में निहित प्रावधान के अनुसार सेस डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होता है। केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ववर्ती सरकार को जो भी संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राशि देय थी, ना सिर्फ यह संपूर्ण राशि राज्य को हस्तांतरित की गई, बल्कि यह भी सभी की जानकारी में है कि राज्य का केन्द्रीय करों में हिस्सा हमारी केन्द्र की एन.डी.ए. की सरकार ने बढ़ाया है। पिछली बार केन्द्र की सरकार में आपका कितना था, 31 था, इसको अगर 42 किया है, तो हमारी एन.डी.ए. की सरकार ने किया है और इसमें से एक प्रतिशत जम्मू-कश्मीर के लिये कम हुआ है, इसलिए अभी 41 है, यह भी मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वास्तविक स्थिति से पुनः सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 2015-20 में प्रदेश की हिस्सा राशि 5.495 प्रतिशत थी। वर्ष 2021-26 में प्रदेश की हिस्सा राशि 6.026 प्रतिशत है। इसमें न कोई घट सकती है, न बढ़ सकती है। आप इसका अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें कम आ गई। ना कम आयेगी, ना ज्यादा, पूरी आयेगी। मेरा हमारे विपक्ष के साथियों से पुनः आग्रह है कि वे अपनी नाकामी का ठीकरा केन्द्र सरकार पर फोड़ने के बजाय अपनी गिरेबान में झांक कर देखें। अपनी नाकामी को केन्द्र पर नहीं फोड़ें। मैं कहना चाहता हूं गलतियां ढूंढना गलत नहीं, पर शुरुआत खुद से होनी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सरकार ने जितनी गलतियां कीं, उसे देखते हुए जनता ने उन्हें विपक्ष में लाकर बैठा दिया, किन्तु लगता है कि अभी भी इन्होंने पूरा सबक नहीं लिया है। मैं आज इन्हें संदेश देते हुए कहना चाहता हूं और उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह बार-बार कहते हैं, पहले केन्द्र में सरकार किसकी थी, कांग्रेस की, और अब केन्द्र में सरकार किसकी है, मोदी जी की। मैं धन्यवाद देता हूं विपक्ष के होंसले को, लगातार तीसरी बार फैल होने पर भी टेबल बजा रहे हैं। किसी ने पूछा कितने नंबर आये, बोले 99, बोले कितने में से आये, यह नहीं बतायेंगे। उसको पता नहीं था कि 99 नंबर 100 में से नहीं हैं, 543 में से हैं, लेकिन फिर भी खुश हो रहे हैं। यह पास होने के लिये भी पूरे नहीं हैं। 33 परसेंट पर पास होते हैं, लेकिन 18 परसेंट हैं। मैं वही कह रहा हूं सरकार पहले भी एन.डी.ए. की मोदी जी की थी और अब भी एन.डी.ए. और मोदी जी की हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं, ...(व्यवधान)... मैं नई बात कह रहा हूं, वह सुन लीजिए।

msk/rtm/29.07.2024/18.30/3o

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं।

कांग्रेस सरकार थी, लूट मची चहुंओर,
अब जनता का राज है, आई है नई भोर।
जल में घपला कर दिया, प्यासे मर गये लोग,
माफिया से मिलकर तुमने रोज लगाया भोग।
पेपर लीक इतने हुए, कितने करूं बखान,
पास हुए परिवारजन क्या-क्या करूं बयान।
खूब करी मेहमाननवाजी अपनी सरकार बचाने को,
जनता का पैसा लुटवाया, अपना राज बचाने को।
अपने स्वार्थ के खातिर, अपनों को भी दी गाली,
केवल अपना ध्यान रखा, सिर्फ भरी रहे मेरी थाली।
अब जन सेवक सजग हुए मांगेंगे पूरा ब्यौरा,
बगुला भगत को करनी का दण्ड मिलेगा पूरा-पूरा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने तो हमारे आस्था एवं सांस्कृतिक केन्द्रों को भी नहीं बख्शा। वे कह रहे थे, अयोध्या, चित्रकूट, रामेश्वरम, केदारनाथ को भी वोटों की राजनीति से जोड़ दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे संस्कार हैं कि चुनाव में हार-जीत को दृष्टिगत रख हम कोई भी फैसला नहीं करते हैं। हम फैसला करते हैं जनता की आवाज पर, हम फैसला करते हैं जनता के हित में, हम फैसला करते हैं जनता की भावनाओं को लेकर, हम फैसला करते हैं हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर, हम फैसला करते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने जिस मंशा और इस देशहित में अपने आपका सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके भाव को देखकर हम फैसला करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी,

क्या हार में, क्या जीत में,
किंचित नहीं भयभीत मैं।

हमारे सारे निर्णय जनहित और जन सामान्य से जुडी भावना के आधार पर होते हैं। हमने असीम आस्था के केन्द्रों पर आपकी तरह राजनीति नहीं की। हमने रामलला की भूमि अयोध्या को सजाया, काशी विश्वनाथ को सजाया और भगवान कृष्ण की भूमि मथुरा, विष्णुपद मन्दिर, गया और राजगीर महाबौद्ध मन्दिर, बोधगया को भी सजायेंगे। क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक आस्था के केन्द्र हैं। आपने देखा होगा, जी-20 हुआ था। आपने देखा कि जब भी कोई बाहर का व्यक्ति आता था, उनको क्या देते थे? लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमारी वह सांस्कृतिक विरासत बोध गया का नालन्दा विश्वविद्यालय है, वह सांस्कृतिक केन्द्र दिखाने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को अगर अपनी विरासत पर गर्व नहीं हो तो उसका कोई हक नहीं है कि वह अपने जीवन में भारत मां के प्रति अपना कर्तव्य निभा सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहता हूं:-

जब छोड़ सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना,
संघर्ष पद पर बढ़ चले, फिर जीत क्या, फिर हार क्या।

माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं पुनः राज्य के बजट से सम्बन्धित आंकड़ों पर की गयी टिप्पणियों के साथ ही राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2024 तथा वित्त विधेयक (संख्या-5), 2024 के प्रमुख बिन्दुओं के बारे में चर्चा करना चाहूंगा।

लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य उनकी सरकार के समय में बजट आकार में की गयी कुल वृद्धि के सम्बन्ध में स्वयं ही मियां मिट्ठू बने, लेकिन उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि सर्वप्रथम जनहित में योजनाओं के लिए किये जा रहे व्यय का आकलन करना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि हम जिस योजना का आकलन कर रहे हैं, उसको हमारी तरफ भी देखना चाहिए। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमने योजनाओं हेतु वर्ष 2024-25 के लिए वर्ष 2019-20 की तुलना में दोगुने से अधिक 2 लाख 9 हजार 634 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। नेता प्रतिपक्ष और कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि हमने कुछ विभाग की योजनाओं का बजट प्रावधान घटा दिया है। माननीय प्रतिपक्ष जी ने कहा कि हमने कुछ बजट घटाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हम अधिक दिखाने के लिए बजट प्रावधान नहीं करते। इनकी सरकार में केवल कागजी और धरातल से कोसों दूर हवाई बजट बनाते थे। मैं नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन में बोले गये प्रावधान के आंकड़े के क्रम में स्पष्ट करना चाहूंगा कि इनकी सरकार द्वारा स्वच्छ भारत के लिए वर्ष 2023-24 में 1 हजार 1 सौ 45 करोड़ 65 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें वास्तविक व्यय केवल 131 करोड़ 23 लाख रुपये का ही हुआ। यह दिखाने के लिए नहीं। मैं योजना बड़ी बना दूं। मैं यह कह दूं कि इसमें मेरा इतना है, लेकिन अंत में तो यह देखना पड़ेगा कि इस योजना का लाभ कितना लिया, उसमें से खर्चा कितना किया, जनता को लाभ कितना मिला। यह नहीं देखेंगे क्या? यही देखेंगे कि मेरा कितना हो गया। अब तो विद्याधर जी गर्दन हिला रहे हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद, अब समझ में आ रहा है।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जबकि वास्तविक व्यय केवल 36 करोड़ 13 लाख रुपये, यानी 6 प्रतिशत हुआ था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)ः कोई घोषणा करें।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री)ः माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया ध्यान दें। मात्र 6 प्रतिशत ही खर्च किया। आपका प्रावधान गलत था या आपका आकलन गलत था या आप खर्च नहीं करना चाहते थे, या फिर आप जनता को गुमराह कर रहे थे। हम आपकी तरह काल्पनिक बजट प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि वास्तविक और आवश्यकताओं का आकलन कर राज्य की जनता के विकास हेतु बजट प्रावधान करते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)ः साहब, अच्छी-अच्छी घोषणा करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आपके कहने से चलेंगे क्या? आप विराजिये।

श्री अध्यक्ष: अभी लक्ष्मणगढ़ का जिक्र कर रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जिक्र लक्ष्मणगढ़ का कर रहे हैं, नजर सूरजगढ़ की है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पानी दो, बात मत करो।

श्री अध्यक्ष: हो गया, माननीय सदस्य।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): एक बात बतायें। ये झुन्झुनू से आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। 44 साल से श्रवण जी आते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि एसेम्बली में 44 साल से आ रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनका दर्द भी है। मैं उनके दर्द को समझता हूं, क्योंकि वे सीनियर हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे से एक दिन और कहा था कि मैं 44 साल से इस सदन में हूं, मेरी पीड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को कहना चाहता हूं कि 44 साल में अगर सबसे ज्यादा राज रहा था तो कांग्रेस का रहा।

mdp/rtm/29.07.2024/18:40/3p

अगर झुंझुनूं, सीकर, चूरू या किसी भी कांग्रेस के नेता ने यमुना जल के लिए एक भी पत्र लिखा हो, तो वह टेबल कर दे। कहने की बात तो बहुत होती है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि छोटे-से अल्प समय में मेरा यह भी हो जाए, मेरा वह भी हो जाए, मैं तो चालीस साल की बात कर रहा हूं। चालीस साल का हिसाब कोई देकर बता दें, अगर पानी नहीं लाए, अगर एक मांग पत्र भी केन्द्र की सरकार को, किसी को लिखा हो, या हरियाणा सरकार को लिखा हो तो वह मेरे को बता दें। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष जी ...(व्यवधान)... आप तो पानी ला दीजिए।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): बैठिए। आपको जल हम ही पिलाएंगे। ...(व्यवधान)... आपको जल हम पिलाएंगे। हम युवाओं के सुरक्षित भविष्य एवं उनके रोजगार के लिए, माननीय अध्यक्ष जी, हम सदन में बैठते हैं। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की बात भी हम करते हैं। जहां बात आती है, युवाओं की बात भी करते हैं कि युवाओं के लिए ऐसा होना चाहिए, युवाओं को ये करना चाहिए, हम युवाओं के सुरक्षित भविष्य व उनके रोजगार के लिए चिंतित हैं। वही दूसरी ओर विपक्ष के माननीय सदस्य इस दिशा में सहयोग देने के बजाय भ्रम फैलाने की राजनीति ये कहकर कर रहे हैं कि एक साल में एक लाख लोगों की भर्ती कर कैसे रोजगार देंगे? हम बता रहे हैं आपको। हम कह रहे हैं तो हमको करनी है। आप सुनिए तो सही। पहले कह रहे हैं कि ईआरसीपी पर आपने कह दिया कि आप कौन

होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने यह कहा था और आज भी मैं यह कहना चाहता हूं कि ईआरसीपी प्रारम्भ की थी तो हमारी सरकार ने की थी। पानी का बजट कही कोई आवंटन था, तो हमारी सरकार के द्वारा था। हमारी वसुन्धरा जी सरकार में हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उस दिन मेरे से पूछ रहे थे बताइए, मैंने कहा कि आप जिसकी बात कर रहे हैं, वह आप मुझको बता दीजिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आपने क्या किया, वह मेरे को बता दीजिए। आपने कौनसा दिया था, वह मुझको बता दीजिए। मैंने इसमें क्या गलत कह दिया?

आज माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी ने कहा ...(व्यवधान)... एमओयू आपने नहीं किया। वह हमने किया है। ...(व्यवधान)... आपने नहीं किया। आपने कहां किया? मैंने पहले भी कहा था।

श्री अध्यक्षः सुनने का वातावरण बनाइए। ये भी कह रहे थे, सबने सुना है। जब वे कह रहे हैं तो सब सुनिए।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने उस दिन भी सदन में कहा था कि आपने अगर पानी बंटवारे का कोई एमओयू किया है तो उसकी एक कॉपी मुझे दे दीजिए। उस दिन भी कहा था और आज भी मैं कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं सदन को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कोई एमओयू किया है, ईआरसीपी को लेकर तो हमको बता दें आप। ...(व्यवधान)... यह गलत है। आप कह रहे थे, वह बात ही मैंने कही थी। आप कह रहे थे इतना लाइए, मैंने कहा आप बताइए कितना करना है। आपसे उस दिन भी मैंने कहा और आज भी कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ये हमेशा भ्रम फैलाने का काम करते हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक साल में एक लाख की भर्ती आप कैसे करेंगे, कैसे रोजगार देंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हम जो कहते हैं, वह करके दिखाते हैं। हम युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं हमारे चिंतित सदस्यों को इस वर्ष समयबद्ध रूप से की जाने वाली कुछ भर्तियों का उदाहरण देना चाहता हूं और कुछ भर्तियों का आगे आपको उदाहरण मिल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, जो जनता से हमने एक-एक वादा किया है, उसको हम पूरा करेंगे। 4197 कनिष्ठ लिपिक, दिनांक 13 फरवरी, 2024 को निकाली है हमने। ये नोट करते जाइए। हमारे पास तो है ही। मैं प्रतिपक्ष के नेता जी से कह रहा हूं। 2,500 कनिष्ठ अनुदेशक, कौशल एवं रोजगार विभाग, 11 मार्च, 2024, 1,000 चिकित्सा शिक्षक विज्ञापन, 6 मार्च, 2024, 25 जनवरी, 2024 से 6 मार्च, यह मैं आपको बता रहा हूं। 3,415 सूचना सहायक, 5,934 पशु परिचर, 24,797 सफाई कर्मचारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हम हमारे कार्यकाल में इसी अल्प अवधि में 45 हजार से अधिक पदों के लिए भर्तियों के विज्ञापन प्रकाशित कर चुके हैं तथा इसी अवधि में 20 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी भी

प्राप्त हो चुकी है। मैं यहां पर अपने विपक्ष के साथियों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि इनमें से कुछ भर्तियां वे भी हैं, जिनकी हवाई घोषणाएं तो उनकी सरकार ने की थी, लेकिन युवाओं के हित में और सरकारी कार्यालयों की दक्षता बढ़ाने के लिए अमली जामा उसको हम पहनाने का काम कर रहे हैं। यह कहते हैं कि ये तो हमारी हैं। हमने आपसे मना किया था। आप समय से निकालते, समय से भर्ती करते। आपके खाते में जाएगी। कौन मना कर रहा है? हमने जगह निकाली है, समय से भरेंगे। जो सपने युवाओं ने देखें हैं, उनको पूरा करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं,

जब नाव जल में छोड़ दी,
तूफान में ही मोड़ दी,
दे दी चुनौती सिंध को,
फिर पार क्या, मंझधार क्या।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... पानी की बात कीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिए। श्रवण जी, विराजिए।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा कि आपको पानी हम ही पिलाएंगे।

श्री अध्यक्ष: आप बार-बार खड़े मत होइए। एक बार हो गये, दो बार हो गये। बैठिए।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): फिर अध्यक्ष जी कहेंगे, आपको जल पिलाने का काम हम ही करेंगे। पानी तो वह पिलाएंगे आपको। श्रवण जी, मेरी बात सुनिए। पानी तो वह पिलाएंगे आपको, जल मैं पिला दूंगा।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, सदस्य। अब हो गया।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, पिछली सरकार के कार्यकाल में कुप्रबंधन, अपराधियों को संरक्षण देने तथा अनावश्यक हस्तक्षेप के चलते हमारा हमेशा से शांतिप्रिय माना जाने वाला प्रदेश पूरे देश में अपराध तथा आपराधिक गतिविधियों के बारे में चर्चित रहा। इससे प्रदेश की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची। आमजन के मन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई तथा निवेश के माहौल पर भी विपरीत असर पडा। जैसे कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता जी ने भी कहा, वह वास्तव में पड़ता ही है।

मैंने प्रदेश की बागड़ोर संभालते ही पुलिस दल को न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त हिदायत दी, वरन उन्हें बिना किसी दबाव के निड़र होकर कार्य करने के लिए भी समय-समय पर प्रोत्साहित किया। जहां हमने एसआईटी का गठन कर पेपर लीक अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी निगरानी बढ़ा दी है। मैं आपके क्वेश्चन पर ही आ रहा हूं। नेता,प्रतिपक्ष ने भी ठीक ही कहा है कि अभी छोटी-छोटी मछलियां पकड़ी हैं।

माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी ने कहा था कि अभी छोटी-छोटी मछलियां पकड़ी हैं। बड़े मगरमच्छ तो अभी बाहर हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ये बिलकुल चिंता न करें।

छोटी मछलियों के लिए इनका जाल छोटा पड़ गया था, लेकिन मैं ब्रज भूमि से आता हूं और मेरी सुदर्शन चक्रधारी बंशीवाले में अटूट आस्था भी है। आपको पता है कि इनका जाल जरूर छोटा पड़ गया होगा, परंतु उसके सुदर्शन चक्र से कोई नहीं बच पाएगा।

Ans/rtm 18.50 3q 29.07.2024

सुदर्शन चक्र का जब आएगा बड़े-बड़े मगरमच्छों का भी पूरा इलाज होगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कोई नाम बताना हो तो बता देना ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में प्रदेश एक ही दिशा में बहुत आगे बढ़ गया लेकिन इस दिशा की जानकारी भी माननीय सदन को देना चाहूंगा। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिला अत्याचार एवं बलात्कार में राजस्थान को आप पहले स्थान पर ले आए थे। यह मैं नहीं कह रहा हूं। इसको आप पहले नम्बर पर लेकर आए थे। इनके साथी तो कहते थे, वह आज भी गए और पहले भी नहीं थे और आज भी गए। इनके साथी कहते थे...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मुख्य मंत्री महोदय, एक सैकण्ड के लिए। बड़े-बड़े मगरमच्छ का नाम आते ही कुछ लोग यहां से रवाना हो गए हैं।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं। इनके साथी तो यह भी कहते थे कि यह तो मर्दों का प्रदेश है। मर्दों का प्रदेश है, आपके कार्यकाल के प्रथम 6 माह की तुलना में हमारे 6 माह की अल्प अवधि में ही, आप कर लीजिए कि आपके 6 माह हुए थे उसमें कितने अपराध थे और हमारे 6 माह हुए हैं 7वां माह है, आप देख लीजिए कि कितने अपराध है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने जिस तरह से शर्मसार किया, आज भी लोग कहते हैं कि आपकी विधान सभा में तो ऐसे लोग भी है जो मर्दों का प्रदेश बताते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यह शर्मसार करने वाली घटना भी हुई थी।

एससी, एसटी उत्पीड़न में 9 प्रतिशत की कमी आई है, आज की अगर आप देखे। कुल अपराधों में 4.5 प्रतिशत की कमी आई है। महिला अत्याचार में 1 प्रतिशत की कमी आई है। इसके साथ ही लंबे समय से आपकी नाक के नीचे चल रहे अंग प्रत्यारोपण के अपराध को भी हमने उजागर कर दोषियों को नहीं बख्शा है। आप उनको छिपा रहे थे, इतने समय से अंग प्रत्यारोपण चल रहा था, लेकिन आपने उनको भी नहीं पकड़ा। हमने तो उनको भी पकड़ने का काम किया है। दोषियों को नहीं बख्शा।

प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा आम जन में सुरक्षा की भावना पुनः पैदा करना हमारी प्राथमिकता है। माननीय अध्यक्ष जी,

सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है,
अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है।

अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम,

अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी कह रहे थे कि हमारे बजट में हमारी वित्त मंत्री जी ने 350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का जिक्र किया। माननीय अध्यक्ष जी, हम राजकीय अर्थव्यवस्था को हमारे शासन काल में, हम कह रहे हैं 350 बिलियन डॉलर 29 लाख 30 हजार तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। राजकीय अर्थव्यवस्था को अगले 5 वर्षों में 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए पहले दिन से ही प्रयास शुरू कर दिए हैं। जिसका सुखद परिणाम राज्य के जीएसडीपी के द्वितीय अग्रिम अनुमानों में देखने को भी मिला है। इन अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकीय अर्थव्यवस्था में गत पूर्वानुमान 11.58 प्रतिशत की तुलना में 12.56 प्रतिशत की वृद्धि होना संभावित है। वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी 15.28 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि पूर्व अनुमान 15.24 लाख करोड़ रुपये से 4 हजार करोड़ रूपये अधिक है।

राज्य के विकास हेतु औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। गत पांच वर्षों में अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान घटा है। वर्ष 2017-18 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 29.23 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2022-23 में घटकर 27.42 प्रतिशत रह गया है। अब हमारी सरकार द्वारा इस ओर व्यापक ध्यान देने के फलस्वरूप यह बढ़कर 28.21 प्रतिशत रहना अनुमानित है।

राज्य में गत तीन वर्षों से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर लगातार घट रही है। 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर 16.65 प्रतिशत थी जो वर्ष 2022-23 में घटकर 12.38 प्रतिशत थी। 2023-24 में घटकर 11.49 प्रतिशत रह गई। हमारी सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाकर रोजगार और आय के साधनों में वृद्धि कर प्रति व्यक्ति आय में अपेक्षित वृद्धि करने के लिए सतत प्रयासरत रहेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, विकसित राजस्थान की दिशा में बढ़ते कदम, माननीय सदस्यगण इस बात से सहमत होंगे कि इस दिशा में त्वरित गति से कदम बढ़ाने के लिए हमने जहां एक ओर बजट में नवीन इंडस्ट्री पॉलिसी एक्सपोर्ट पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, लोजिस्टिक पॉलिसी लाने जैसे नीतिगत प्रावधान किए हैं। वहीं सस्टेनेबल ग्रीन ग्रोथ एवं कराधान की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। जैसे कि कर एवं गैर कर। कर एवं गैर कर राजस्व की प्रक्रिया को सरलीकरण करने के साथ ही पारदर्शिता में सुनिश्चितता की जा रही है।

सीएनजी, पीएनजी पर वेट कर को 14.5 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया गया है। 200 करोड़ रूपये का ई व्हीकल प्रमोशन फण्ड गठित करना भी प्रस्तावित किया गया है।

राज्य के युवाओं को एविएशन सेक्टर में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से एफटीओ एवं एटीओ को, एटीएफ पर वेट दर 26 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई है।

कृषकों की आय में वृद्धि किए जाने की दृष्टि से एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी लाया जाना

प्रस्तावित किया गया है। साथ ही श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना से भी किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरी आशा है कि विपक्ष के हमारे सभी साथियों ने अनुभव होने के कारण बजट 2024 के आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया होगा। फिर भी मैं उन्हें याद दिलाने की दृष्टि से माननीय सदन को और हमारे समय का अंतर पुनः अवगत कराना चाहूंगा।

राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का प्रतिशत वर्ष 2023-24 के 4.26 प्रतिशत से कम होकर 2024-25 में 3.93 प्रतिशत अनुमानित है। डैट टू जीएसडीपी का प्रतिशत 2023-24 के 37.34 प्रतिशत से वर्ष 2024-25 में घटकर 35.97 प्रतिशत अनुमानित है। पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान वर्ष 2023-24 के 65.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 44 हजार 216 करोड़ 48 लाख रूपये अनुमानित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हम विकास फिस्कल कंसोलिडेशन के पथ पर अग्रसर है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। विभाजन की राजनीति बनाम समन्वय का सहयोग की संकल्पना। विपक्ष की मानसिकता बायतू से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा सुनाई गई। जाति, राजनीति से ओत प्रोत, कविता से भी स्पष्ट हो जाती है। माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य के अंत में प्रश्न किया था कि गांव किसका है, शहर किसका है, देश किसका है। महोदय, मैं आपके माध्यम से इस मानसिकता का भी जवाब देना चाहता हूं। यह गांव, यह शहर, यह देश मजदूर का, किसान का, वीर जवान का, नारी के सम्मान का, युवा के कल्याण का और सबके उत्थान का।

VPS-RTM-29.07.2024-19.00-4a

1. माननीय अध्यक्षजी, अब मैं, नवीन घोषणायें प्रस्तावित कर रहा हूंः-

आधारभूत संरचना :

सड़क एवं परिवहन :

2. माननीय सदस्यों ने 23 जुलाई, 2024 को केन्द्र सरकार के बजट में ग्रामीण सड़कों से सम्बन्धित PMGSY (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना) सम्बन्धी घोषणा को सुना होगा। मैं, माननीय सदन के माध्यम से PMGSY 4.0 के अन्तर्गत प्रदेश के 2 हजार 500 से अधिक ग्रामीण बसावटों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।

3. प्रदेश में सड़कों का नेटवर्क और अधिक सुदृढ़ करने के प्रस्ताव विभिन्न क्षेत्रों की जनता से माननीय विधायकगणों से एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। इन सभी पर विस्तृत तकनीकी Estimates बनवाये जाने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इसी क्रम में अब मैं, एक हजार 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से विभिन्न

सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन सम्बन्धी कार्य करवाये जाने की घोषणा करता हूँ। इन सड़कों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमने तो 1100 किलोमीटर सड़कें करवायी थीं पांच साल में। ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

4. ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को भी शहरी क्षेत्रों के समकक्ष सुविधायें प्राप्त हो सकें, इस हेतु हमारे द्वारा सतत् रूप से प्रयास किये जायेंगे। इसी कड़ी में, प्रथम चरण के रूप में 10 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में Cement Concrete के 'अटल प्रगति पथ' निर्मित किये जाने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु 2 वर्षों में एक हजार करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

5. बड़े शहरों में Public Transport की सुविधा के उन्नयन के लिए 500 e-Buses लिए जाने की घोषणा की गई थी। अब मैं, इस संख्या को बढ़ाकर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के लिए एक हजार e-Buses उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करता हूँ।

6 साथ ही, प्रदेश में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ किये जाने तथा यातायात को सुगम बनाये जाने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। उन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

नगरीय विकास :

7. प्रदेश के बड़े शहरों के विकास को गति देने की दृष्टि से बीकानेर एवं भरतपुर में UIT (Urban Improvement Trust) का उन्नयन कर Development Authority का गठन करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, समस्त नगरीय निकायों में जन सुविधा के कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सम्पादित हो सकें, इसलिए जिला स्तर पर जिला नगरीय आयुक्त (District Municipal Commissioner) भी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

8. जयपुर के सौन्दर्यीकरण के साथ ही, Water Conservation को बढ़ाने की दृष्टि से द्रव्यवती नदी का विकास किये जाने के लिए नवीन योजना बनाकर कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

9. दस हजार से अधिक आबादी वाले कस्बों व आसपास के गांवों को सम्मिलित करते हुए चरणबद्ध रूप से 100 कलस्टरों में Faecal Sludge Management के कार्य करवाये जायेंगे।

10. प्रदेश में सीवरेज एवं ड्रेनेज सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे, इन कार्यों की सूची भी मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

11. बालोतरा एवं पाली में treated water को औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचाने के लिए 43 किलोमीटर Water Line System विकसित किया जायेगा।

12. बनेड़ा-शाहपुरा, गजसिंहपुर-श्रीगंगानगर, कनवास (सांगोद) - कोटा एवं पोकरण-जैसलमेर में रोडवेज बस स्टैण्ड सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे।

पेयजल :

13. प्रदेश में पेयजल सुविधा हेतु लगभग 540 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। इन पेयजल कार्यों की सूची भी मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

14. प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवाये जा रहे पेयजल की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने की दृष्टि से-

I. विभागीय Water Testing Labs को राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाकर NABL से मान्यता प्राप्त करने हेतु इस वर्ष लगभग 15 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा।

II. साथ ही, Water testing samples को Geo Tagging कर online किया जायेगा।

ऊर्जा :

15. माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे द्वारा प्रदेश को ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 24 जुलाई, 2024 को जैसलमेर के पोकरण में 400 मेगावॉट सौर ऊर्जा का उत्पादन प्रारम्भ कर Discoms को सस्ती बिजली मिलना प्रारम्भ हो चुकी है। इसी क्रम में शीघ्र ही SCLL (Singareni Collieries Company Limited) और GAIL से भी MoUs करते हुए 4 हजार 100 MW (मेगावॉट) क्षमता का सृजन किया जायेगा।

16. केन्द्र सरकार के सहयोग से कृषकों के खेत पर 'कुसुम परियोजना'/HAM Model के माध्यम से एक हजार मेगावॉट अतिरिक्त उत्पादन किये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ। साथ ही, प्रदेश में HAM Model पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) का कार्य हाथ में लिया जाकर चरणबद्ध रूप से लगभग 2 हजार मेगावॉट विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित की जानी प्रस्तावित है।

17. ऊर्जा उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को अतिरिक्त प्रोत्साहन देते हुए Captive Power उत्पादन की सीमा को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करता हूँ।

18. हमारे द्वारा किये गये त्वरित प्रयासों के फलस्वरूप फीडर सेग्रीगेशन के अन्तर्गत कृषि और घरेलू कनेक्शनों को पृथक-पृथक करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लगभग 7 हजार 900 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दिये जाने पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इससे घरेलू उपयोग के लिए 24 घंटे निर्बाध बिजली देने में

मदद मिलेगी। इसके साथ ही, विद्युत प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न क्षमता के GSS स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं। इन जी.एस.एस. की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

औद्योगिक विकास एवं खनन :

19. युवा उद्यमियों को वित्तीय सम्बल के साथ रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने तथा औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 6 प्रतिशत ब्याज पुनर्भरण हेतु ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किये जाने की घोषणा करता हूँ।

20. दस्तकारों को और अधिक संबल प्रदान करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के अन्तर्गत कारपेंटर, मूर्तिकार, कुम्हार, राजमिस्त्री सहित 18 Trades के दस्तकारों को उपलब्ध कराये जा रहे 5 प्रतिशत की दर पर ऋण हेतु 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिये जाने की घोषणा करता हूँ। इस वर्ष एक लाख दस्तकारों को लाभान्वित कर लगभग 20 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान दिया जायेगा।

21. खुशियारा-बारां व पण्डेर (जहाजपुर) - शाहपुरा में औद्योगिक पार्क एवं अजमेर में IT Park स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

22. अप्रधान खनिज की processing से जुड़े हुए उद्योगों एवं उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके वार्षिक शुल्क को 25 हजार रुपये से घटाकर 15 हजार रुपये तथा Transit Pass हेतु निर्धारित शुल्क 10 रुपये प्रति Transit को घटाकर 2 रुपये प्रति Transit करने की घोषणा करता हूँ।

23. उद्यमियों को paid sampling की सुविधा प्रदान करने के लिए बांसवाड़ा, बूंदी, हनुमानगढ़, झालावाड़, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनूं, नागौर, राजसमंद, सवाई माधोपुर व सिरोही में Labs स्थापित की जायेंगी। साथ ही, सभी labs को NABL से प्रमाणित कराया जायेगा।

शिक्षा, युवा एवं खेल :

24. माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस वर्ष के केन्द्र के बजट में युवाओं की Skilling एवं Apprenticeship के लिए समुचित प्रावधान किये गये हैं। इस PM's Package के अन्तर्गत प्रदेश के 2 लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

25. युवाओं को अपने भविष्य सम्बन्धी आशंका से मुक्ति दिलाने की दृष्टि से भर्ती में लगने वाले समय को कम करना आवश्यक है। इस उद्देश्य से भर्ती परीक्षाओं के बाद दस्तावेज सत्यापन सम्बन्धित विभाग के स्तर पर किये जाने के साथ ही, विज्ञप्ति उपरान्त भी रिक्तियों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि के प्रावधान को बढ़ाते हुए 100 प्रतिशत तक करने की मैं, घोषणा करता हूँ।

26. प्रदेश के युवाओं को सरकारी भर्तियों में अधिक अवसर प्राप्त हो सकें, इस हेतु Common Eligibility Test (CET) के प्रावधान बदलते हुए Qualification हेतु समस्त श्रेणियों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 35 प्रतिशत अंक किये जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, सरकारी कार्यालयों की efficiency में सुधार के साथ ही, ऐसे युवाओं जिनको शिक्षा के समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुए, उन्हें भी सरकारी नौकरी का अवसर देने की दृष्टि से वर्षों से अटकी हुई चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नियमों का परिवर्तन किया जाकर भर्ती की जायेगी।

27. युवाओं की समस्त आवश्यकताओं यथा-बेरोजगार युवाओं के पंजीयन, रोजगार मेलों के आयोजन, exposure visit हेतु आवेदन एवं मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के संचालन आदि के दृष्टिगत One Stop Solution के रूप में Employment Exchange Management System (EEMS)-2.0 पोर्टल तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

28. प्रदेश में शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से नवीन महाविद्यालय/ पॉलिटेक्निक महाविद्यालय/संकाय/विषय शुरू किये जाने, महाविद्यालयों का क्रमोन्नयन एवं विद्यार्थियों की आवासीय सुविधा सम्बन्धी विभिन्न कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं। जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

SSY/RTM/29.07.2024/19:10/4b

30. NCC Cadets को विभिन्न प्रकार के Camps के दौरान मैसिंग भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया जाना प्रस्तावित है।

31. बाली-पाली, खींवसर-नागौर तथा लोहावट, बापिनी, देचू-फलोदी में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य:

32. प्रदेश में Super-Speciality चिकित्सा को नये आयाम देने के लिए RUHS (Rajasthan University of Health Sciences) का उन्नयन कर AIIMS-दिल्ली की तर्ज पर Rajasthan Institute of Medical Sciences (RIMS) की स्थापना किये जाने की घोषणा करता हूं। इस पर चरणबद्ध रूप से 750 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

33. प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए विभिन्न चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन किया जायेगा। इन संस्थानों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

34. श्रीगंगानगर व मेडिकल कॉलेज-कोटा में कैंसर मरीजों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक Linear Accelerator Machines उपलब्ध करवायी जायेगी।

35. हमारे द्वारा 10 जुलाई, 2024 को प्रस्तुत बजट में Electropathy विधा के

सम्बन्ध में आवश्यक परीक्षण कर कार्यवाही करने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में, समुचित परीक्षण उपरान्त अब मैं, हमारी गत सरकार के कार्यकाल में लाये गये राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम, 2018 के अन्तर्गत Electropathy Board का गठन किया जाकर प्रथम चरण के रूप में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित करता हूं।

सामाजिक सुरक्षा :

36. हमारे द्वारा जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' तथा 'BPL' श्रेणी के परिवारों को 450 रुपये मात्र में LPG Cylinder उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल के कारण सम्भव हुई इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवारों अर्थात् NFSA के लाभान्वितों को 450 रुपये में LPG Cylinder उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं।

37. PM Awas Yojana 2.0 के अन्तर्गत प्रदेश के 2 लाख से अधिक अल्प आय एवं मध्यम वर्ग के शहरी परिवारों को चरणबद्ध रूप से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

38. साथ ही, अधिसूचित कच्ची बस्तियों में पक्के आवासों से वंचित निवासरत परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 'आश्रय योजना' (Atal In-situ Slum Housing Redevelopment Yojana-ASHRY) शुरू कर स्वयं के पक्के आवास निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान किये जाने की घोषणा करता हूं। इस पर 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

39. प्रदेशवासियों की आस्था के केन्द्रों तथा पेनोरमा एवं बावड़ियों के विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

40. राजस्थान के साहित्य विशेषकर राजस्थानी साहित्य की पहचान को और आगे ले जाने की दृष्टि से हर वर्ष 'विजयदान देथा साहित्य उत्सव' मनाये जाने की घोषणा करता हूं।

वन एवं पर्यावरण:

41. काले हिरणों के संरक्षण हेतु शाहपुरा जिले के आशोप क्षेत्र को आखेट निषिद्ध व कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जाना प्रस्तावित है।

42. Rajasthan State Pollution Control Board में Adjudicating Officers की नियुक्ति की जायेगी। साथ ही, जयपुर एवं जोधपुर में Rajasthan State Pollution Control Board के नवीन क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किये जायेंगे।

43. 'Green Co-rating Scheme' के अन्तर्गत Health Care Facility, Hotels एवं Group Housing Projects को भी सम्मिलित किया जाकर validity तथा Fees के

प्रावधानों के तहत लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।

कृषि, ग्रामीण विकास एवं कृषक कल्याण :

44. कृषकों को सौर ऊर्जा के साथ drip/sprinkler irrigation की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इस वर्ष एक लाख अतिरिक्त किसानों को लाभान्वित करते हुए एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का व्यय कर 2 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित किये जाने की घोषणा करता हूं।

45. प्रदेश में किसानों के लिए सिंचाई सुविधा की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

46. नदियों के किनारे भूमि कटाव को रोकने हेतु अटरू-बारां सहित 5 स्थानों पर जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण के माध्यम से कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

47. राज्य में अक्षय ऊर्जा के प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को सुविधा देने की दृष्टि से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के काश्तकारों द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में भूमि के उपयोग हेतु भूमि-रूपान्तरण सम्बन्धी प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

48. कृषि कनेक्शन के ऐसे आवेदक, जिन्होंने सामान्य योजना के अन्तर्गत कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया है तथा आवेदन के उपरान्त उस क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दिया है, तो ऐसे आवेदकों में जिनके कनेक्शन ब्लॉक सप्लाई फीडर से जारी किये जायेंगे, को पूर्व की भांति सामान्य योजना की दरों पर ही कनेक्शन जारी किया जायेगा।

49. किसान भाइयों की सुविधा के लिए फसल सम्बन्धी, रोगों सम्बन्धी तथा विपणन सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए Online राज-किसान साथी Platform विकसित करने के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही, काश्तकारों के बकाया सिंचाई शुल्क में मूल राशि एकमुश्त 31 दिसम्बर, 2024 तक जमा करवाने पर 31 मार्च, 2024 तक देय ब्याज माफ करने की घोषणा करता हूं।

50. परबतसर-डीडवाना कुचामन, सेडवा (चौहटन)-बाड़मेर व भाड़ौती-सवाई माधोपुर में कृषि मण्डी खोली जानी प्रस्तावित हैं। साथ ही, प्रदेश में वनस्पतियों की बेहतर प्रजातियों के विकास हेतु 150 बीज बैंकों की स्थापना प्रस्तावित है।

51. प्रदेश में गौवंश संरक्षण व संवर्धन की दृष्टि से पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की मैं, घोषणा करता हूं।

52. किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलाने तथा उन्हें संगठित सहकारी डेयरी से जोड़ने हेतु 2 हजार दुग्ध संकलन केन्द्र खोले जायेंगे। साथ ही, चरणबद्ध तरीके से आगामी 2 वर्षों में बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना कर 3 लाख लीटर प्रतिदिन प्रशीतलन क्षमता की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है।

53. प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधा के विस्तार हेतु विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान

खोले/क्रमोन्नत किये जायेंगे। इन संस्थानों की सूची भी सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

सुशासन :

54. प्रदेश में राजस्व एवं कर सम्बन्धी अपीलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण करते हुए अजमेर/जयपुर स्थित राजस्व मंडल एवं कर बोर्ड का एकीकरण किये जाने की घोषणा करता हूं।

55. प्रदेश में अपराध एवं कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्यवाही सम्भव हो सके, इस दृष्टि से राज्य स्तरीय, 100 seater 'अभय कमांड सेंटर' की स्थापना करते हुए 500 अतिरिक्त Central Mobile दल उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं।

Spp/Rtm/29.07.2024/19:20/4c

56. अपराधियों को बिना कोई मौका दिये शीघ्र-अतिशीघ्र पकड़ने की दृष्टि से Police Force की Agility एवं Mobility बढ़ाये जाने की आवश्यकता है । इस दृष्टि से DG Police एवं सम्बन्धित उच्च अधिकारियों को देय Security Fund (गुप्त सुरक्षा निधि) की राशि को दुगुना किये जाने की घोषणा करता हूँ।

57. सुरक्षा के साथ-साथ गश्त व निगरानी के लिए तिजारा-खैरथल में Border Homeguards की एक कम्पनी तैनात की जानी प्रस्तावित है।

58. केन्द्र सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर देने के साथ ही देश सेवा का भी जज्बा उत्पन्न करने के लिए अग्निवीर योजना लायी गई। साथ ही, इन अग्निवीर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दृष्टि से केन्द्रीय सशस्त्र बलों में इनकी नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है। इसी तर्ज़ पर प्रदेश में इन अग्निवीर युवाओं को पुलिस/RAC/जेल प्रहरी/वनरक्षक में नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान करने की घोषणा करता हूँ।

59. वर्ष 2024-25 हेतु केन्द्र सरकार के बजट में भूमि सुधारों को और आगे ले जाते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में Land Records के Digitalization हेतु घोषणा की गई है। इसी क्रम में हमारे द्वारा जमाबंदी में भूमि धारक का आधार एवं खसरों हेतु भू-आधार का अंकन किया जाना तथा ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में नक्शों को GIS आधारित किये जाना प्रस्तावित है।

60. पंजीयन कार्य में गत वर्षों में वृद्धि होने के बाद भी वर्ष 2008 से डीड राइटर्स की भर्ती नहीं हुई है। अब पंजीयन कार्य को समयबद्ध रूप से कर आमजन को राहत देने के साथ ही युवाओं को अतिरिक्त जीविकोपार्जन के अवसर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से मैं, नियमों का सरलीकरण करते हुए डीड राइटर्स की संख्या दुगुनी कर 5 हजार किये जाने की घोषणा करता

हूँ।

61. प्रदेश में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण की दृष्टि से बाट-माप से सम्बन्धित व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करते हुए नवीन IT Platform की स्थापना तथा Mobile App की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है।

62. प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के कारण cyber security का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में साइबर सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न कदम उठाये जायेंगे। ये हैं-

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

63. क्षेत्रीय कार्यालयों के coverage के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासनिक, पुलिस इकाइयों एवं न्यायालयों की स्थापना व क्रमोन्नयन किया जायेगा । ये इकाइयाँ/न्यायालय हैं। इनकी सूची भी सदन पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं:-

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

64. प्रदेश के विभिन्न विभागों के कार्यालयों/ इकाइयों के भवन निर्माण, मरम्मत तथा अन्य सुविधाओं सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं, जिनका विवरण भी मैं सदन पटल पर रखता हूं:-

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें।)

65. गत सरकार द्वारा गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की रिपोर्ट आज भी परीक्षणाधीन है। अब मैं, इस समिति की वेतन सुधार/वेतन विसंगति सम्बन्धी शेष सभी सिफारिशों को 1 सितम्बर, 2024 से लागू करने की घोषणा करता हूँ।

66. Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के अन्तर्गत सृजित पदों के नियमित पदों में परिवर्तित किये जाने पर उन पदों पर नियुक्ति हेतु 5 वर्ष के अनुभव की निर्धारित पात्रता अवधि में वर्ष 2024-25 में 2 वर्ष की छूट प्रदान की जानी प्रस्तावित है।

67. प्रदेश में अधिक आयु वाले पेंशनर्स को सम्बल देने की दृष्टि से 75 वर्ष से अधिक आयु पर अधिक दर से पेंशन की सुविधा प्राप्त है। इस क्रम में, पेंशनर्स को और राहत देते हुए 70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिये जाने की घोषणा करता हूँ।

68. हमारे द्वारा इस वर्ष के बजट में अपने Journalist साथियों के लिए भी कुछ सुविधायें प्रावधित की गई थीं। इसी क्रम में अब मैं, उनके बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूँ।

69. हमारी न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में 'BAR' के वकील साथियों की महती भूमिका है। इनके व इनके परिवारों के जरूरत के समय हमारी सरकार हमेशा इनके साथ रहने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दृष्टि से मैं, 'BAR Council' को एकबारीय सहायता के रूप में 7 करोड़ 50 लाख रुपये प्रदत्त करने की घोषणा करता हूँ।

70. प्रदेश में आमजन के हितों की रक्षा, उनके खुशहाल जीवन तथा प्रदेश के विकास के पथ पर ले जाने में विधायिका की सबसे बड़ी भूमिका है।

श्री अध्यक्षः अब चेहरे पर रौनक आयी है।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मैं आपका ही इशारा देख रहा था।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं तैयार हूं।

श्री अध्यक्षः सबसे वरिष्ठ हैं। ..(व्यवधान)..

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): कई वर्तमान एवं पूर्व माननीय विधायकों द्वारा मेरे समक्ष वेतन व पेंशन सम्बन्धी समस्या एवं सुझाव लाये गये हैं। इस क्रम में मैं, माननीय विधायकगण को प्राप्त होने वाले वेतन तथा पेंशन में प्रति वर्ष स्वतः वृद्धि का प्रावधान जोड़े जाने की घोषणा करता हूँ। ..(व्यवधान).. आप सुनिये अभी। ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय और भी कुछ घोषणाएं हो रही हैं। ..(व्यवधान)..

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आपने हमारी मांग को माना, इसके लिये बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): साथ ही, जयपुर स्थित नए विधायक आवासों में अतिरिक्त सुविधा देने की दृष्टि से Rooftop Solar Plant लगाये जाना प्रस्तावित करता हूं।

71. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में हमें आमजन के साथ-साथ विपक्ष के साथियों का सकारात्मक सहयोग मिलेगा तथा प्रदेश विकास की नई ऊँचाइयों को छुयेगा। अन्त में, मैं कहना चाहूँगा-

"है प्रण यही, 'छूटे न पीछे एक भी', मिलकर कदम बढ़ायेंगे ।
कोई न रहे गरीब-वंचित, सबको आगे लायेंगे ।
रोशन कर विद्या के मंदिर, ज्ञान का उजियारा फैलायेंगे ।
'हर पल बढ़े राजस्थान' के नारे से, कीर्ति ध्वजा फहरायेंगे ।।
खेत-खलिहान लहराकर, धरापुत्र की बढ़ाये मुस्कान।
सपने हों साकार सभी के, सबका हो सम्मान ।
देश नहीं दुनिया में भी, अद्वितीय बनेगा राजस्थान ।
हर बच्चा हर जन बोलेगा अब, जय-जय राजस्थान ।।
जय-जय राजस्थान।।"

आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्षजी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः आप कुछ कह रहे हैं, केवल एक मिनट कुछ कह रहे हैं। ..(व्यवधान).. आप माइके चालू करें पारीक साहब। आप वरिष्ठ हैं माननीय।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता महोदय से राजस्थान में राजमेस द्वारा संचालित जो 17 कॉलेजेज हैं, उनमें एक सप्ताह से जो फैकल्टीज हैं, वह सामूहिक अवकाश पर है। कॉलेज में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी उससे बाधित हो रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः यह कल किसी और रूप में आइये, अभी नहीं। नहीं, माननीय सदस्य, अभी मांग नहीं होती।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) (2024 का विधेयक संख्या 4) विधेयक, 2024 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) (2024 का विधेयक संख्या 4) विधेयक, 2024 पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्या-5) को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्या-5) पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 30 जुलाई 2024 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.30 बजे मंगलवार, 30 जुलाई 2024 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

....

परिशिष्ट 1

पैरा संख्या 3 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	सड़कें	लागत
1.	कोटा-झालवाड़ NH पर दरा घाटी में रेलवे दो साइड RUB का निर्माण	15 करोड़ रुपये
2.	NH नमाना रोड से वाया गादेगाल अंधेड़ होते हुए नमाना तक सड़क (9 किमी.)- बूंदी	7 करोड़ 20 लाख रुपये
3.	ठिकरियाकलां में नदी पर पुलिया निर्माण (तालेड़ा)-बूंदी	4 करोड़ रुपये
4.	मण्डावरा से झोटोली-सुल्तानपुर तक सड़क निर्माण (6 किमी.) (पीपल्दा)- कोटा	5 करोड़ रुपये
5.	आजनेश्वर महादेव मंदिर से जगदीश तक सड़क चौड़ाईकरण कार्य (11.50 किमी.) (भीम) - राजसमंद	17 करोड़ 25 लाख रुपये
6.	घाटोली से केलकोयरा सड़क के मध्य धारगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य (मनोहरथाना) - झालावाड	29 करोड़ 69 लाख रुपये
7.	कचनारी गोवर्धनपुरा से गोपालपुरा सड़क (4.50 किमी.) (मनोहरथाना)- झालावाड़	5 करोड़ रुपये
8.	रोटेदा से सोगरिया रोड पर रेलवे फाटक पर ROB का निर्माण (लाडपुरा)-कोटा	55 करोड़ रुपये
9.	छायण से टेकरा एवं छायण से फलोदी तक सड़क निर्माण-फलोदी	12 करोड़ 40 लाख रुपये
10.	उनियारा खुर्द से किशनपुरा वाया झाडली मनोहरपुरा जिला सीमा तक (ओ.डी.आर.-302) माईनिंग रोड (11.20 किमी.)-टोंक	25 करोड़ 76 लाख रुपये
11.	हनुमानजी का बाडिया से केरू तक सड़क (15 किमी) (लूणी)-जोधपुर	20 करोड़ रुपये
12.	धवा से दुन्दाड़ा सड़क (17 किमी.) (लूणी)-जोधपुर	13 करोड़ रुपये
13.	लूणी से दान्दिया तक सड़क (2 किमी.) (लूणी)-जोधपुर	2 करोड़ रुपये
14.	कोटा-कैथून-सांगोद-बपावर-कवाई-धरनावदा सड़क का चौड़ाईकरण कर दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे के जंक्शन (बालापुरा) पर जोड़ते हुए बपावर-सांगोद-कैथून में बाईपास निर्माण की DPR	2 करोड़ रुपये
15.	होडापुरा, हरियानगर, सेमलीफाटक व करवरी कला में पुलिया निर्माण कार्य (किशनगंज)-बारां	22 करोड़ रुपये
16.	नोटाना (किशनपुरा) तकिया की पुलिया का निर्माण (लाडपुरा)-कोटा	30 लाख रुपये

17.	(MDR) 50 से नयाबास वाया खेड़ा, श्यामपुरा, रसनाली, बासदयाल, बास शेखावत तक सड़क (19.5 किमी.) (बानसूर)-अलवर	25 करोड़ रुपये
18.	ढोढी-बालाजी की थाक-पाचडा-धोरी-भौंरा- सुल्तानपुर निमोदा उजाड़ सड़क का उन्नयन (MDR-252) -कोटा	55 करोड़ रुपये
19.	श्रीगंगानगर-हिन्दुमलकोट सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (4 किमी.)	4 करोड़ 31 लाख रुपये
20.	सांगानेर-जयपुर में विभिन्न सड़क कार्य	20 करोड़ रुपये
21.	उदयपुर सिटी स्टेशन से कलक्टर निवास तक Elevated Road का कार्य	210 करोड़ रुपये
22.	बीसलपुर रिहेब कॉलोनी टाटोनिया में सड़क निर्माण टोंक	50 करोड़ रुपये
23.	नदबई-भरतपुर में विभिन्न सड़क कार्य	18 करोड़ रुपये
24.	अटारी से गगवाना; पिगोरा से गगवाना सीसी सड़क (6.5 किमी.) (नदबई)-भरतपुर	3 करोड़ 60 लाख रुपये
25.	2 लेन बाईपास बागावास (MDR-81) सड़क फ्रेट टर्मिनल बधाल (किशनगढ़ रेनवाल)- जयपुर चौरासी क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के कार्य-डूंगरपुर	10 करोड़ रुपये
26.	चौरासी क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के कार्य-डूंगरपुर	24 करोड़ रुपये
27.	झुंझुनूं क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के कार्य	26 करोड़ रुपये
28.	सवाई माधोपुर क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के कार्य	22 करोड़ रुपये
29.	महवा-दौसा क्षेत्र की शहरी एवं ग्रामीण सड़कों के कार्य	20 करोड़ रुपये
30.	दौसा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के कार्य	24 करोड़ रुपये
31.	खींवसर क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के कार्य-नागौर	18 करोड़ रुपये
32.	सांगोद-कोटा में विभिन्न नालों का निर्माण कार्य	2 करोड़ 76 लाख रुपये
33.	केनपुरा से शिवपुरा वाया लाम्बेश्वर महादेव (सुमेरपुर)-पाली	1 करोड़ 70 लाख रुपये
34.	खटुकड़ा से नादाना भाटान तक सड़क निर्माण-(सुमेरपुर)-पाली	2 करोड 8 लाख रुपये
35.	NH-52 से अल्फा नगर बरधा डेम तक सड़क निर्माण (9 किमी.)-बूंदी	7 करोड़ 20 लाख रुपये
36.	सलेमपुर से बालोती-डाबरा-शेखपुरा-गोठरा- बरवासन देवी-नरौली-कैलादेवी सड़क मय हाईलेवल ब्रिज (30 किमी.)- करौली	60 करोड़ रुपये
37.	नापासर से रामसर सड़क का उन्नयन व चौड़ाईकरण (10 किमी.) (लूणकरणसर)-बीकानेर	6 करोड़ 75 लाख रुपये
38.	देवली-उनियारा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य-टोंक	19 करोड़ रुपये

39.	मालासर से आसलसर (6 किमी.), राजासर पंवारान से सोनपालसर (7 किमी.), गिडगिचिया से हरियासर घड़सोतान (4 किमी.) (सरदारशहर)-चूरू	6 करोड़ रुपये
40.	पीपलखूंट से केलामेला सड़क का चौड़ाईकरण	18 करोड़ रुपये
41.	उम्मेदगंज से डाढ़ देवी तक सीसी रोड (5 किमी.) (लाडपुरा)-कोटा	3 करोड़ 50 लाख रुपये
42.	भावठडी से हरियाणा बॉर्डर वाया देवी के मंदिर होकर (3 किमी.) (सूरजगढ़)-झुंझुनूं	1 करोड़ 20 लाख रुपये
43.	बीकानेर शहर की सड़कों का मरम्मत कार्य लाख रुपये	8 करोड़ रुपये
44.	निवाई से बनवाड़ा वाया खणदेवत-डांगरथल- रम्भा-रामकिशनपुरा-जयकिशनपुरा सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (25.7 किमी.)-टोंक	22 करोड़ रुपये
45.	डग-झालावाड़ में एमडीआर सड़क का चौड़ाईकरण कार्य	7 करोड़ रुपये
46.	राजकीय चिकित्सालय देवली से कुचलवाड़ा माताजी मंदिर तक सड़क का चौड़ाईकरण मय नाला व डिवाइडर सीसी सड़क का निर्माण (4 किमी.) (जहाजपुर)-शाहपुरा	15 करोड़ रुपये
47.	चांदणोली-ऐदलकी-खिरजी कांकड़ तथा मलारनाचौक जीएसएस से गोपी मीणा की ढाणी होते हुए श्रीपुरा तक सड़क (10 किमी.)- सवाई माधोपुर	5 करोड़ रुपये
48.	मिसिंग लिंक ग्रामीण बाईपास रोड लेदिया मोड (गैरई रोड)-गोकलपुर मोड (सपोटरा रोड)- बालाजी घाटी (गंगापुर रोड NH-23) तक (4.5 किमी.) करौली	3 करोड़ 45 लाख रुपये
49.	(SH-134) त्रिवेणी चौराहा-जहाजपुर देवली रोड का उन्नयन कार्य (18 किमी.)- शाहपुरा	30 करोड़ रुपये
50.	तख्तगढ़ में मुख्य सड़क का नवीनीकरण, फुटपाथ एवं नाला निर्माण कार्य-पाली	12 करोड़ 34 लाख रुपये
51.	सरसिया से भुंवार सड़क का चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण (7.5 किमी.) (जहाजपुर)-शाहपुरा	11 करोड़ रुपये
52.	धरियावद में विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य-प्रतापगढ़	7 करोड़ रुपये
53.	आगरा रोड-जयपुर की कॉलोनियों में सड़क निर्माण सम्बन्धी कार्य (25 किमी.)	12 करोड़ रुपये
54.	बरलुट-सियाणा-आकोली-नुन-बाकरा-रेवतड़ा (MDR-334) तक (8 किमी.)- जालोर	8 करोड़ रुपये
55.	बिशनगढ़ बालवाड़ा काठाडी सीमा तक सड़क नवीनीकरण (9 किमी.)-जालोर	2 करोड़ 50 लाख रुपये
56.	आहोर से सनवाड़ा-चरली; देबावास से सराणा-आईपुरा,	8 करोड़ 40 लाख रुपये

	तथा गुड़ा इन्द्रपुरा से गोगरा तक सड़क निर्माण कार्य (21 किमी.) (आहोर) - जालोर	
57.	भिवाड़ी सड़क (SH-25) पर टोल नाके की शिफ्टिंग	Toll Tenure के आधार पर
58.	अटरू-बारां में बाईपास निर्माण की DPR	10 लाख रुपये
59.	अलवर के आस-पास ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के निर्माण	5 करोड़ 4 लाख रुपये
60.	छबड़ा-कुम्भराज सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (30 किमी.)-बारां	42 करोड़ रुपये
61.	पनोता-सिवाड़ा-सिवास घेनड़ी-पिलोवनी भादरलाऊ से सोमेसर सड़क मय पुल (मारवाड़ जंक्शन) – पाली	46 करोड़ रुपये
62.	दोरासर से सैनिक स्कूल-झुंझुनूं तक सड़क (2.5 किमी.)-झुंझुनूं	3 करोड़ 4 लाख रुपये
63.	हरियानगर की पुलिया एवं हरियानगर गांव तक सड़क निर्माण (किशनगंज)-बारां	2 करोड़ 25 लाख रुपये
64.	इन्द्रपुरा से गोगरा तक सड़क निर्माण (6 किमी.) (आहोर)-जालोर	2 करोड़ 40 लाख रुपये
65.	सामोल से आत्मा तक सड़क चौड़ाईकरण (3 किमी.) - राजसमंद	3 करोड़ रुपये
66.	जेके स्कूल एमडी से नहर होते हुए भट्टखेड़ा मुख्य सड़क चौड़ाईकरण (2.20 किमी.)- राजसमंद	2 करोड़ 50 लाख रुपये

परिशिष्ट 2

पैरा संख्या 6 में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	सड़क सुरक्षा एवं यातायात सम्बन्धी कार्य
1.	परिवहन विभाग में mobility सुधार के साथ ही 25 नई Flying Squads गठित किये जाने हेतु 100 वाहन क्रय किये जाना
2.	प्रत्येक जिले में नवीनतम Technology आधारित Automated Driving Test Track (ADTT) के संचालन हेतु 15 करोड़ रुपये का प्रावधान
3.	सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु Identified 30 black spots एवं 4 high accident prone corridors का सुधार कार्य
4.	Stage Carriage वाहनों का coverage बढ़ाने के लिए उपनगरीय श्रेणी के 40 नये मार्ग

परिशिष्ट 3

पैरा संख्या 10 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	सीवरेज सम्बन्धी कार्य	लागत
1.	सूरजगढ़-झुंझुनूं में सीवरेज लाइन का कार्य	20 करोड़ रुपये
2.	सांगोद-कोटा में सीवरेज लाइन का कार्य	20 करोड़ रुपये
3.	चेचट एवं खैराबाद कस्बे में क्षतिग्रस्त नालों की सफाई एवं पुनर्निर्माण का कार्य (रामगंजमंडी)-कोटा	3 करोड़ रुपये
4.	दौसा शहर में सीवरेज मास्टर प्लान	50 करोड़ रुपये

परिशिष्ट 4

पैरा संख्या 13 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	पेयजल सम्बन्धी कार्य	लागत
1.	आरजीएलसी स्रोत (पीएस-08) से रोहट तक राईजिंगमेन पाइप लाइन (फेज-द्वितीय) का कार्य	75 करोड़ 52 लाख रुपये
2.	बीसलपुर पेयजल योजना में अजमेर (फेज-III) - जयपुर (फेज-11) के लिए कॉमन इन्टेक वेल मय ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	265 करोड़ 25 लाख रुपये
3.	मालपुरा में 3 उच्च जलाशय, राईजिंग एवं वितरण मेन पाइप लाइन का निर्माण कार्य	35 करोड़ रुपये
4.	टोडारायसिंह में 100 LPCD से पर्याप्त दबाव से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 3 उच्च जलाशय, राईजिंग व वितरण मेन पाइप लाइन कार्य-केकड़ी	30 करोड़ रुपये
5.	देवली शहर में 4 उच्च जलाशय, पम्प हाउस, वितरण मेन पाइप लाइन का निर्माण कार्य	26 करोड़ रुपये
6.	ताकली बांध में पेयजल के लिए पानी आरक्षित करवाने एवं विस्तृत सर्वे तथा डीपीआर का कार्य (रामगंजमंडी)-कोटा	25 लाख रुपये
7.	कुम्भलगढ़ क्षेत्र के गांवों हेतु बेडच नाका परियोजना का कार्य-राजसमंद	60 करोड़ रुपये
8.	नगरीय जल योजना पोकरण-जैसलमेर का पुनर्गठन कर नई पाइपलाइन, ईएसआर एवं पम्पिंग मशीनरी (पोकरण)- जैसलमेर	37 करोड़ 46 लाख रुपये
9.	बहरोड में पेयजल सप्लाई कार्य	11 करोड़ 33 लाख रुपये

परिशिष्ट 5

पैरा संख्या 18 में उल्लिखित सूची

क्र.स.	जीएएस
1.	400 केवी जीएसएस-खोहरामुल्ला एवं मातासूला के मध्य (महवा-टोडाभीम के मध्य)
2.	132केवी जीएसएस- सांकड़ा, सत्याया फांटा (पोकरण) - जैसलमेर, सेमली (नगर)-डीग, खरनाल तेजाजी (खींवसर) - नागौर,
3.	132 केवी जीएसएस का 220 केवी जीएसएस में क्रमोन्नयन- आंधी (जमवारामगढ़) – जयपुर
4.	33 केवी जीएसएस-बिहारीपुर-नीमकाथाना, भूणी, आगुंता, कुचामन सिटी-डीडवाना कुचामन, सिरथला, जयश्री-डीग व नाटौज(कठूमर)- अलवर

परिशिष्ट 6

पैरा संख्या 28 में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक/छात्रावास
1.	नवीन महाविद्यालय-कोटडी (जहाजपुर)-शाहपुरा, लाखेरी (केशोरायपाटन)-बूंदी, कालवाड़, बनीपार्क-जयपुर, बदनोर-भीलवाड़ा, झवर-जोधपुर नवीन कन्या महाविद्यालय-निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़, चाडो की ढाणी (सिणधरी)-बालोतरा व अनूपगढ़ UG से PG में क्रमोन्नयन-राजकीय महाविद्यालय पाटन-नीमकाथाना नवीन विषय/संकाय-राजकीय बालिका महाविद्यालय (आर.डी.गर्ल्स कॉलेज)-भरतपुर में स्नातकोत्तर में विज्ञान व कॉमर्स संकाय के विषय
2.	कृषि महाविद्यालय-बालाहेड़ा (महवा)-दौसा
3.	नवीन छात्रावास/आवासीय विद्यालय- बाली-पाली में एकलव्य आवासीय विद्यालय जहाजपुर - शाहपुरा में जनजाति छात्रावास भवन का निर्माण सरसिया (जहाजपुर) - शाहपुरा में जनजाति बालिका छात्रावास नांगल प्यारीवास-दौसा में अनुसूचित जनजाति छात्रावास अकलेरा (मनोहरथाना)-झालावाड़ में अनुसूचित जाति छात्रावास कुचामनसिटी-डीडवाना कुचामन में देवनारायण आवासीय विद्यालय आंधी (जमवारामगढ़)-जयपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जैसिंधर स्टेशन-बाड़मेर में आवासीय विद्यालयों की क्षमता वृद्धि
4.	पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मेड़ता सिटी- नागौर व लाडपुरा-कोटा में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तथा अलवर शहर में महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय

परिशिष्ट 7

पैरा संख्या 33 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान/आयुष संस्थान
1.	उप जिला चिकित्सालय से जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन-मालपुरा-टोंक
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन-अनूपगढ़
3.	जी.एन.एम.नर्सिंग कॉलेज-अजमेर
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन-इटावा, रामगंजमण्डी-कोटा
5.	सैटेलाइट चिकित्सालय-सांगरिया-जोधपुर
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नयन-सिरोही, नेठराना (भादरा)- हनुमानगढ़, जसवंतगढ़ (लाडनूं) - डीडवाना कुचामन, रेण (मेड़ता) नागौर, पूनमनगर-जैसलमेर, भाड़ौती-सवाई माधोपुर, भाद्राजून (आहोर) - जालोर, ताल (देवगढ़) - राजसमंद, भण्डारी (सिकराय)- दौसा व शिवाजी पार्क (शहरी पीएचसी)-अलवर
7.	नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-जावली (लक्ष्मणगढ़) - अलवर
8.	उप स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नयन- बांसेडा व उनियारा खुर्द (टोडारायसिंह)- केकड़ी, भन्दर (बाली)- पाली, रायमला-जैसलमेर व मेलबा (धवा), मणाई (केरू)-जोधपुर
9.	नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र- गुलासर (खींवसर)-नागौर
10.	बेड क्षमता वृद्धि- जिला चिकित्सालय-डीडवाना की बेड क्षमता बढ़ाकर 300 करना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पल्लू-हनुमानगढ़ एवं डाबी-बूंदी में 30 से 50 बेड क्षमता
11.	ट्रोमा सेंटर- कल्याणपुर (पचपदरा) - बालोतरा व रायसर (जमवारामगढ़) - जयपुर
12.	आयुष विंग- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS)- जयपुर में आयुष विंग की स्थापना आयुर्वेदिक औषधालय-खखावली (नगर)-डीग

परिशिष्ट 8

पैरा संख्या 39 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	आस्था केन्द्र/पेनोरमा/बावड़ी सम्बन्धी कार्य
1.	वीर हनुमान मंदिर (सामोद)- जयपुर, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर-दौसा, दधिमति माता मंदिर गोठ मांगलोद (जायल)- नागौर तथा दत्तात्रेय मंदिर (कुम्हेर)- डीग में विकास कार्य
2.	नीलकण्ठ महादेव-दौसा के लिए रोप-वे का निर्माण
3.	महंगेश्वर महादेव मंदिर-महंगी एवं दांत माता मंदिर (जमवारामगढ़)-जयपुर के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्याकरण सम्बन्धित कार्य
4.	विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री कोलायत जी एवं श्री करणी माता मंदिर (देशनोक)-बीकानेर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित
5.	पेनोरमा निर्माण कार्य- श्री महावीर जी पेनोरमा- करौली, श्री विद्यासागर जी महाराज पेनोरमा - अजमेर, श्री भक्त शिरोमणि करमा बाई पेनोरमा (कालवा)- डीडवाना कुचामन, श्री जसनाथजी पेनोरमा (कतरियासर) -बीकानेर, श्री खेमा बाबा पेनोरमा (बायतू)-बालोतरा, श्री भामाशाह पेनोरमा-चित्तौड़गढ़, श्री राव चन्द्रसेन पेनोरमा-जोधपुर, गोविन्द स्वामी पेनोरमा (अटारी), श्री गोकुला जाट पेनोरमा, राजा खेमकरण पेनोरमा-भरतपुर, आदिवासी पेनोरमा-दौसा तथा जैसलमेर पेनोरमा-जैसलमेर के निर्माण कार्य
6.	बावड़ी जीर्णोद्धार कार्य- धूलारावजी बावड़ी एवं बोरा की बावड़ी (जमवारामगढ़)- जयपुर का जीर्णोद्धार कार्य

परिशिष्ट 9

पैरा संख्या 45 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	सिंचाई सम्बन्धी कार्य	लागत
1.	सावनभादो नहर में शेष मुख्य नहर की वितरिकाओं के जीर्णोद्धार के कार्य (तृतीय चरण) (सांगोद)-कोटा	15 करोड़ रुपये
2.	जुल्मी, उण्डवा, देवलीखुर्द, धरनावद एवं मण्डा ग्राम पंचायतों (रामगंजमंडी) - कोटा की मध्यम सिंचाई परियोजना की डीपीआर का कार्य	40 लाख रुपये
3.	देवरी जिन्हा तालाब के कार्य (किशनगंज)-बारां	25 करोड़ रुपये
4.	सुराघाटा फीडर-ब्यावर के जीर्णोद्धार की डीपीआर	10 लाख रुपये
5.	अनूपगढ़ शाखा प्रणाली (खाजूवाला) के शेष क्षतिग्रस्त खालों के जीर्णोद्धार का कार्य	100 करोड़ रुपये
6.	फुटिया बांध (बाली)- पाली के जीर्णोद्धार एवं बांध की ऊँचाई बढ़ाये जाने सम्बन्धी कार्य	15 करोड़ 50 लाख रुपये
7.	बनाकिया एनिकट निर्माण-चित्तौड़गढ़	6 करोड़ रुपये
8.	छोटी कालीसिंध व चाचुर्णी नदी से चौमहला क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु डीपीआर (गंगधार) - झालावाड़	55 लाख रुपये
9.	अरणियाली लिफ्ट माईनर पर किमी. 17 से आगे बने नहरी तंत्र में सुधार कार्य (गुड़ामालानी)- बाड़मेर	20 करोड़ रुपये
10.	मनोहरथाना में धारगंगा नदी पर ग्राम सरडा में MST निर्माण कार्य	35 करोड़ रुपये
11.	भालता (अकलेरा)- झालावाड़ में छापी मध्यम सिंचाई परियोजना से सिंचाई सुविधा हेतु सर्वे एवं डीपीआर का कार्य	82 लाख रुपये
12.	कल्याणपुरा-झालावाड़ में सोलर आधारित फव्वारा पद्धति से लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य	80 करोड़ 65 लाख रुपये
13.	गागरीन मध्यम सिंचाई परियोजना में उपलब्ध जल से ग्राम पंचायत हेमडा, मंगीसपुर व औसाव के लगभग 5 हजार 65 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोलर आधारित फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा का कार्य	94 करोड़ रुपये
14.	भाखड़ा व गंग नहर में खाले सम्बन्धी कार्य- श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़	50 करोड़ रुपये

परिशिष्ट 10

पैरा संख्या 53 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	पशु चिकित्सा संस्थान
1.	बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय-बहरोड़
2.	पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नयन- बिरलोका (खींवसर)-नागौर तथा भगवतगढ़ (खंडार)- सवाई माधोपुर
3.	पशु चिकित्सा उप केन्द्र से पशु चिकित्सालय क्रमोन्नयन- घोहंडी (महवा)-दौसा, गुस्सांईसर (लूणकरणसर)-बीकानेर
4.	नवीन पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र-गाडोली (जहाजपुर) - शाहपुरा

परिशिष्ट 11
पैरा संख्या 62 में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कार्य
1.	Centre of Excellence for Cyber Security के अन्तर्गत Threat Hunting, Digital Forensic एवं Sand Boxing/Simulation सुविधायें।
2.	Data Centre के अन्तर्गत Security Operation Centre (SOC) का उन्नयन।
3.	समस्त विभागों/संस्थाओं में honeypot Sensors.
4.	केन्द्र के CERT-IN की तर्ज़ पर राज्य कम्प्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया संचालन केन्द्र (CSIRT) का गठन।

परिशिष्ट 12
पैरा संख्या 63 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	इकाइयां/कार्यालय
1.	ऊर्जा विभाग- कनिष्ठ अभियंता कार्यालय का सहायक अभियंता (विद्युत) में क्रमोन्नयन-चला-नीमकाथाना सहायक अभियंता (विद्युत) कार्यालय-साण्डेराव (सुमेरपुर)-पाली, चौखा (लूणी)-जोधपुर, पूगल (खाजूवाला) -बीकानेर, रानपुर (रीको) अधिशाषी अभियंता (विद्युत) कार्यालय-सुमेरपुर शहर-पाली, कठूमर - अलवर
2.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग- सहायक अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) कार्यालय- सीकरी-डीग व भिवाड़ी अधिशाषी अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) कार्यालय- नगर-डीग, सांगोद-कोटा
3.	राजस्व विभाग- उप तहसील कार्यालय-भीरानी (भादरा)-हनुमानगढ़, खोहरामुल्ला (महवा) - दौसा उप तहसील का तहसील में क्रमोन्नयन- भैरूंदा-नागौर, जयसमंद-सलूम्बर
4.	सांख्यिकी एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय- शेष रही पंचायत समितियों में ब्लॉक कार्यालय
5.	नवीन नगरपालिका-खण्डार-सवाई माधोपुर, घड़साना-अनूपगढ़, पहाड़ी-डीग, सिणधरी-बालोतरा
6.	नवीन पुलिस चौकी-सुकेत रोड (रामगंजमंडी) -कोटा, बराखन (टाटगढ़)-ब्यावर नवीन पुलिस थाना-जामडोली-जयपुर पुलिस चौकी का पुलिस थाने में क्रमोन्नयन-ताथेड (लाडपुरा)-कोटा
7.	अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय का कैम्प कोर्ट-सांगोद-कोटा अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय- उनियारा-टोंक व चौहटन-बाड़मेर

परिशिष्ट 13

पैरा संख्या 64 में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	भवन निर्माण/अन्य सुविधा सम्बन्धी कार्य
1.	स्वास्थ्य इकाइयों के निर्माण सम्बन्धी कार्य- • उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण-दलतपुरा, मोटलावास (दांतारामगढ़), माधोपुरा, हरीपुरा-सीकर • प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य-डांसरोली (दांतारामगढ़) - सीकर व बुर्जा (मालाखेड़ा), रसगण (रामगढ़) - अलवर • एमडीएम चिकित्सालय-जोधपुर का मरम्मत कार्य • BCMO कार्यालय (भीनमाल)-जालोर • सीएचसी (रायसिंहनगर) -अनूपगढ़ में एक्सरे व लैब आदि निर्माण • सीएचसी (समेजा कोठी) -अनूपगढ़ में ओपीडी रूम, लैब आदि की मरम्मत
2.	शिक्षा इकाइयों के भवन/कार्यालय निर्माण कार्य- • पी.जी. कॉलेज-टोंक का पुनर्निर्माण कार्य • महाविद्यालय सांभरलेक (फुलेरा) - जयपुर • सीबीईओ कार्यालय (खानपुर) - झालावाड़
3.	राजस्व इकाइयों के भवन निर्माण कार्य- • उपखण्ड कार्यालय दांतारामगढ़-सीकर में कॉन्फ्रेन्स हॉल • उपखण्ड (विजयनगर)-अनूपगढ़ में मीटिंग हॉल, रिकॉर्ड रूम सुविधा सम्बन्धी कार्य • उपखण्ड एवं तहसील कार्यालय एवं निवास, बाड़ी-धौलपुर • तहसील कार्यालय, रामगढ़-अलवर • उप तहसील कार्यालय-कोलारी (सेपऊ), मरैना (राजाखेड़ा)-धौलपुर व कस्बा डहरा-अलवर
4.	पुलिस हेतु सुविधा- • पुलिस की नई इकाइयों हेतु 250 लांगरी पदों का सृजन • राज्य स्तर पर खेल निधि हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान
5.	विभागीय कार्यालयों के भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य- अधिशाषी अभियंता कार्यालय भवन खण्ड (टोडाभीम) - गंगापुरसिटी